कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 61 | अंक : 02 | दिसम्बर 2014 | मूल्यः ₹10

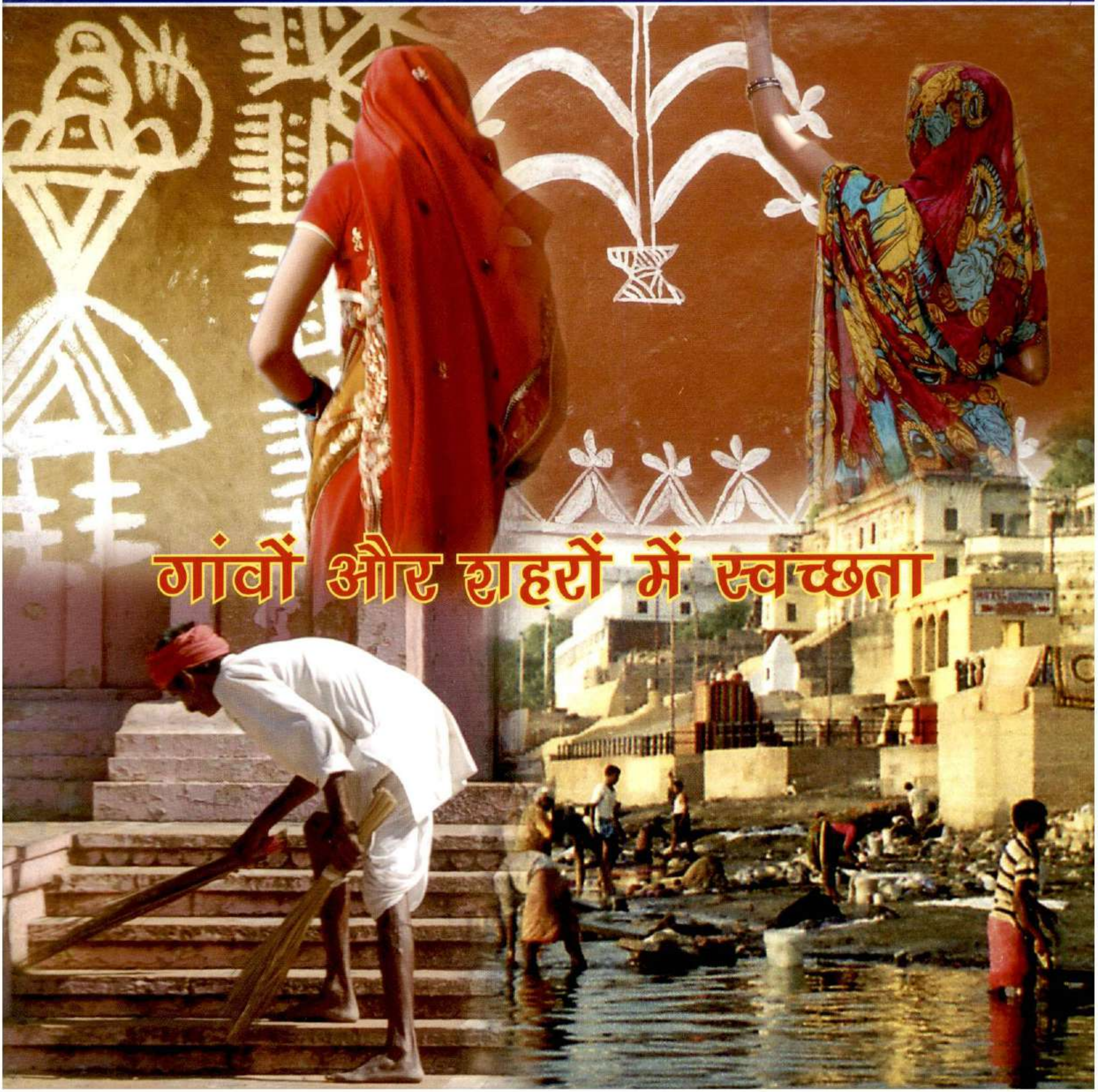

गांवों और शहरों में स्वच्छता

मुक्त विद्यालय-छुए मन, बदले जीवन

विद्याधनम् सर्वधनं प्रधानम्

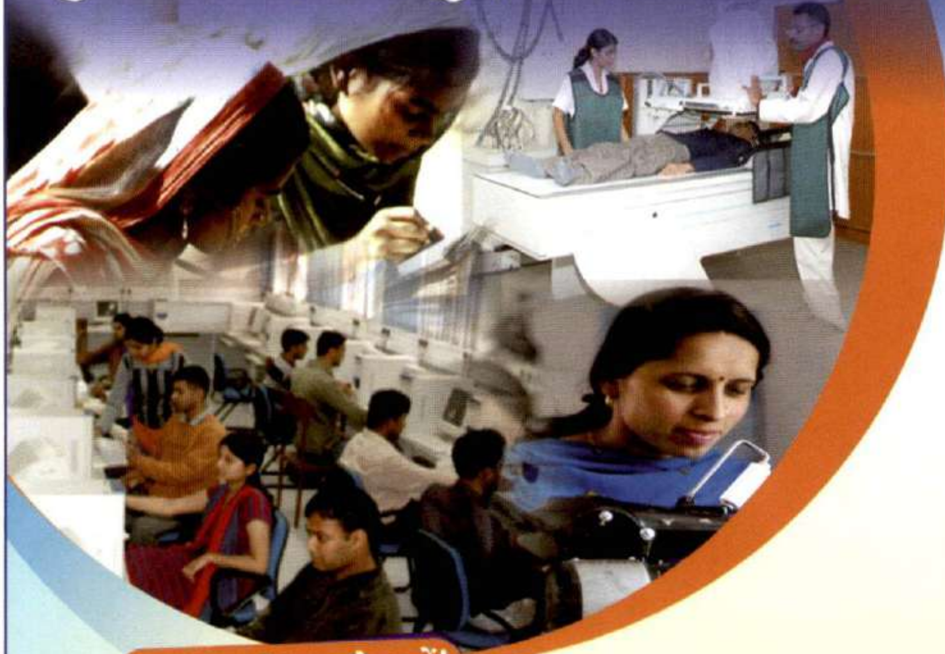

आओ पढ़ें! आगे बढ़ें!

अपनी शिक्षा आगे बढ़ायें...
मुक्त विद्यालय को अपनायें

पाठ्यक्रम	प्रवेश शुल्क (बिना विलम्ब)			प्रवेश के लिए तिथियां
	पुरुष	महिलाएं	छूट प्राप्त वर्ग	
• मुक्त बेसिक शिक्षा कक्षा–III, V एवं VIII	–	–	–	30 जून (प्रत्येक वर्ष)
• सेकेन्डरी (कक्षा - X) (i) पाँच विषयों के लिए (ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	 ₹ 1350 ₹ 200	 ₹ 1100 ₹ 200	 ₹ 900 ₹ 200	ब्लाक-1 : 16 मार्च–31 जुलाई (बिना विलम्ब शुल्क) 1 अगस्त–15 सितम्बर (विलम्ब शुल्क के साथ) ब्लाक-2 : 16 सितम्बर–31 जनवरी (बिना विलम्ब शुल्क) 1 फरवरी–15 मार्च (विलम्ब शुल्क के साथ)
• सीनियर सेकेन्डरी (कक्षा - XII) (i) पाँच विषयों के लिए (ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	 ₹ 1500 ₹ 230	 ₹ 1250 ₹ 230	 ₹ 975 ₹ 230	ब्लाक-1 : 16 मार्च–31 जुलाई (बिना विलम्ब शुल्क) 1 अगस्त–15 सितम्बर (विलम्ब शुल्क के साथ) ब्लाक-2 : 16 सितम्बर–31 जनवरी (बिना विलम्ब शुल्क) 1 फरवरी–15 मार्च (विलम्ब शुल्क के साथ)
• व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (6 माह से 2 वर्ष)	पाठ्यक्रमों एवं अवधि के आधार पर			सत्र - 1 : 30 जून (प्रत्येक वर्ष) सत्र - 2 : 31 दिसम्बर (प्रत्येक वर्ष)

प्रवेश के लिए अपने निकटतम अध्ययन केंद्र अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।
विलम्ब शुल्क, अध्ययन केंद्रो, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि की विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.nios.ac.in देखें।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान)
ए–24/25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

टॉल फ्री नं. 1800-180-9393; ईमेल : lsc@nios.ac.in वेबसाइट : www.nios.ac.in

विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली

KH-259/2014

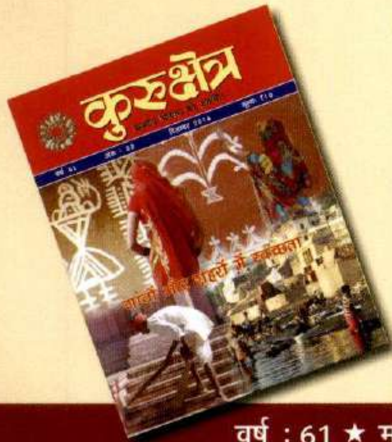

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 61 ★ मासिक अंक : 02 ★ पृष्ठ : 52 ★ अग्रहायण–पौष 1936 ★ दिसम्बर 2014

प्रधान संपादक
राजेश कुमार झा
वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द मीना
संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110 011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
विनोद कुमार मीना
व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 011–26100207, फैक्स : 26100207
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
रजत नायक
सज्जा
संजीव कुमार साणू

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
सार्क देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

भारत में ग्रामीण एवं नगरीय स्वच्छता — आर. बी. भगत — 5

सफाई के साथ कचरे का प्रबंधन भी जरूरी — कविता पंत — 9

बहती रहे निर्मल गंगा — संजय श्रीवास्तव — 13

स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव — शिशिर सिन्हा — 18

क्यों हो स्वच्छ भारत — मनोज श्रीवास्तव — 21

मेक इन इंडिया : एक दूरदर्शी अभियान — डॉ. राकेश अग्रवाल — 25

डिजिटल इंडिया ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर — बालेन्दु शर्मा दाधीच — 29

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक — ______ — 33

चोखो चुरू: खुले में शौच मुक्त जिला बनाने का महत्वाकांक्षी अभियान — ______ — 35

मखाना की खेती कर रही महिलाएं — संदीप कुमार — 39

आलू खाओ, सेहत बनाओ — दिव्या श्रीवास्तव — 43

गांव की स्वच्छता एवं शिक्षा के लिए समर्पित किया जीवन — इंद्रेश चौहान — 47

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

संपादकीय

स्वस्थ नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। स्वास्थ्य का स्वच्छता से सीधा संबंध है। स्वच्छ देश स्वस्थ नागरिकों का गारंटीकार्ड है। यही नहीं जो देश और उसके नागरिक स्वच्छ, स्वस्थ होंगे, वो देश ही समृद्ध हो पाएगा। चूंकि स्वच्छ–स्वस्थ माहौल में ही कोई देश और उसके नागरिक समृद्धता के बारे में सोच–समझ सकते हैं और उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। यही नहीं एक स्वच्छ–स्वस्थ देश विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान कायम करता है और दुनियाभर के पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। पर्यटकों के आने–जाने से हमें न केवल विदेशी मुद्रा मिलती है, साथ ही वैचारिक धरातल पर भी व्यक्ति और देश समृद्ध होता है।

स्वच्छता और आर्थिक विकास के बीच क्या संबंध है? गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। खुले में शौच बीमारी को खुला न्यौता है। उस पर जब बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो तो बीमारी बढ़ेगी ही। बीमार व्यक्ति किसी काम को ठीक ढंग से नहीं कर सकता और इसका सीधा असर उत्पादकता पर पड़ता है। जिस देश के लोग स्वस्थ नहीं होंगे जाहिर तौर पर उस देश की सबसे बड़ी पूंजी 'मानव संसाधन' उत्पादक नहीं हो पाएगी और पूरे देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। अपर्याप्त स्वच्छता की वजह से वर्ष 2006 में 2.44 खरब रुपये या प्रति व्यक्ति 2180 रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। ये सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत के बराबर है।

आंकड़े बताते हैं कि टेलीविजन और मोबाइल का ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी से विस्तार हुआ है। वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों के आधे से ज्यादा घरों में मोबाइल अथवा टेलीफोन थे जबकि इसकी तुलना में सिर्फ एक तिहाई घरों में ही शौचालय बन पाए थे। राज्यों के स्तर पर नल के पानी और सफाई सुविधाओं की उपलब्धता के आंकड़ों में भारी विभिन्नता है।

2011 की जनगणना के मुताबिक ग्रामीण इलाके में रहने वाले 32.7 प्रतिशत परिवारों को ही समुचित शौचालय की सुविधा थी वहीं 2013 के राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण में ये 40.6 प्रतिशत तक पहुंचने की बात कही गई। इसी सब के मद्देनजर 2019 तक सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने और ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता की व्यवस्था बेहतर करने का लक्ष्य तय किया गया है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की विविधता को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और नगरीय स्वच्छता को अलग–अलग करके देखना होगा। ग्रामीण स्वच्छता से अर्थ न केवल आसपास फैले कूड़े–कचरे को हटाना है बल्कि इसका आशय शौचालय, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता और निकासी प्रणाली से शौचालयों को जोड़ना भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने की रफ्तार बहुत धीमी है और खुले में शौच करना एक गंभीर समस्या है। इसी प्रकार घरों में नल के पानी और निकासी के प्रबंध का अनुपात भी एक तिहाई के स्तर पर है।

दूसरी तरफ, नगरीय क्षेत्रों की स्थिति बेहतर है। 2011 में एक तिहाई शहरी घरों में नल का पानी नहीं पहुंचा था और 2001–2011 की अवधि में इस काम में दर्ज प्रगति मात्र 2 प्रतिशत थी। इसी प्रकार नगरीय जनसंख्या का पांचवां भाग किसी प्रकार की जल–मल निकासी सुविधा से नहीं जुड़ा था। स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन की रणनीति में लोगों के आचार–व्यवहार में परिवर्तन लाना तो शामिल है ही, साथ ही आबादी के एक बड़े हिस्से को शौचालय का निर्माण करने व उनके इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। इसके लिए उनके भीतर स्वच्छता के प्रति जागरुकता फैलानी होगी। प्रचार–प्रसार के विभिन्न माध्यमों से स्वच्छता और स्वस्थ तरीके अपनाने के लिए लोगों तक संदेश पहुंचाया जाना जरूरी है।

स्वच्छता अभियान में शौच व्यवस्था के अतिरिक्त ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन पर भी जोर दिया गया है। चूंकि शौच की व्यवस्था दुरूस्त हो भी जाए लेकिन जगह–जगह कचरा और गंदगी फैली रहे तो इससे इंसान ही नहीं पशुधन को भी नुकसान होगा। इसे ध्यान में रखते हुए नई योजना में कचरा प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था और वित्तीय सहायता के प्रावधानों को बरकरार रखा गया है जिसके तहत केंद्र, राज्य एवं ग्रामीण समुदाय मिलकर खर्च करेंगे।

हर शहर में फैलने वाले कचरे का डिस्पोज न केवल खाद बनाने में वरन उसे भविष्य के ईंधन के रूप में भी करना होगा। इसकी शुरुआत जेपीग्रुप ने पंजाब के चंडीगढ़ में की है। उसे पूरे देश में हर बड़े शहर में लागू करना होगा जिससे न केवल सारा कूड़ा–कचरा निपट जाएगा बल्कि सस्ता ईंधन भी उपलब्ध हो सकेगा। हमें अगर स्वच्छ भारत बनाना है तो हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा कि सड़क पर कचरा फैले ही न और इसके लिए हमें अपने देश के नागरिकों को नैतिक रूप से तैयार करना होगा। साथ ही, हमें इसके लिए दण्डात्मक व्यवस्था भी लागू करनी होगी। विदेशों में पहले से ही ऐसी व्यवस्था है।

प्रदूषण रोकने एवं साफ–सफाई के कार्य को स्कूली–स्तर पर ही पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में स्वच्छता के अध्याय को शामिल कर उसे प्रेक्टिकल अंकों से भी जोड़ना होगा। एनएसएस, एनसीसी एवं स्काउट में भी इस पर जोर दिया जाए। जब बचपन से ही बच्चों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया जाएगा तो उनकी नींव मजबूत होगी और वे स्वच्छ माहौल के लिए नैतिक रूप से तैयार होंगे।

हमें स्वच्छ भारत निर्माण की ओर अग्रसर होकर 'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' के सपने को साकार करना होगा। हर घर, हर स्कूल एवं हर गांव को शौचालय सुविधा देनी होगी तभी हम प्रदूषणमुक्त स्वच्छ–स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकेंगे।

भारत में ग्रामीण एवं नगरीय स्वच्छता

—आर. बी. भगत

स्वच्छता सुविधाओं के अभाव के कारण सामने आने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरे किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते बल्कि उससे बाहर भी जा सकते हैं। हम सभी एक-दूसरे से जुड़े और परस्पर निर्भर स्थानों में रहते हैं। इसलिए सरकार, सिविल सोसाइटी और समाज के विभिन्न वर्गों को स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य पाने के लिए मिल-जुल कर कार्य करना चाहिए।

भारत ने 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद से अब तक के बीते दशकों में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है और आजादी के समय की 40 वर्ष से कम की औसत जीवन अवधि (आयु) अब बढ़कर 66 वर्ष हो गई है। इसी तरह 1950 की शुरुआत में दर्ज 150 प्रति 1000 की शिशु मृत्यु दर भी 2013 में घटकर 42 प्रति 1000 रह गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार सकल साक्षरता दर 74 प्रतिशत हो गई है जो 1951 में 20 प्रतिशत से भी कम थी। पर, दूसरी ओर, भारत में कुपोषितों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में लगभग 80 करोड़ (800 मिलियन) लोग भूखे हैं जिसमें से 22.5 करोड़ (225 मिलियन) भारत में हैं। (स्वामीनाथन 2003, राधाकृष्ण 2005)। अध्ययन बताते हैं कि कुपोषण भोजन के साथ–साथ सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच न होने से उपजता है। अतिसार (डायरिया), आंत्रशोथ (डिसेंट्री) और मियादी बुखार (टायफॉइड) सदृश जल–जनित रोग बड़ी बीमारी के बोझ और कामकाजी दिनों के नुकसान से जुड़े हुए हैं। स्वच्छ जल और सफाई तक पहुंच को स्वास्थ्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक माना गया है। पानी से होने वाले रोग वयस्कों में होने वाली रुग्णता का एक तिहाई और बच्चों के रोगों का दो तिहाई होते हैं (एचएलईजी 2011)।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 'लांसेट' पत्रिका में छपे एक शोध लेख का उल्लेख है जिसमें कहा गया है कि सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी से ट्रॉपिकल एन्टेरोपैथी नाम की छोटी आंत की बीमारी होने लगती है। इसका कारण गन्दगी और अस्वच्छता के वातावरण में रह रहे छोटे बच्चों के मल में पनपने वाला बैक्टीरिया होता है। लेख यह सुझाता है कि शौचालयों की उपलब्धता, उनके बनवाने और मल त्याग (शौच) के बाद धोने को बढ़ावा देकर ट्रॉपिकल एन्टेरोपैथी को रोका अथवा कम किया जा सकता है और बाल विकास पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है (योजना आयोग 2013 : 306 में उद्धृत हम्फ्री 2009)। जुलाई 2012 में पूरे हुए सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी) के अध्यन से भी यह पता चलता है कि बेहतर स्वच्छता मिलने से शिशु मृत्युदर में कमी आती है। यह भी कि ग्रामीण क्षेत्र

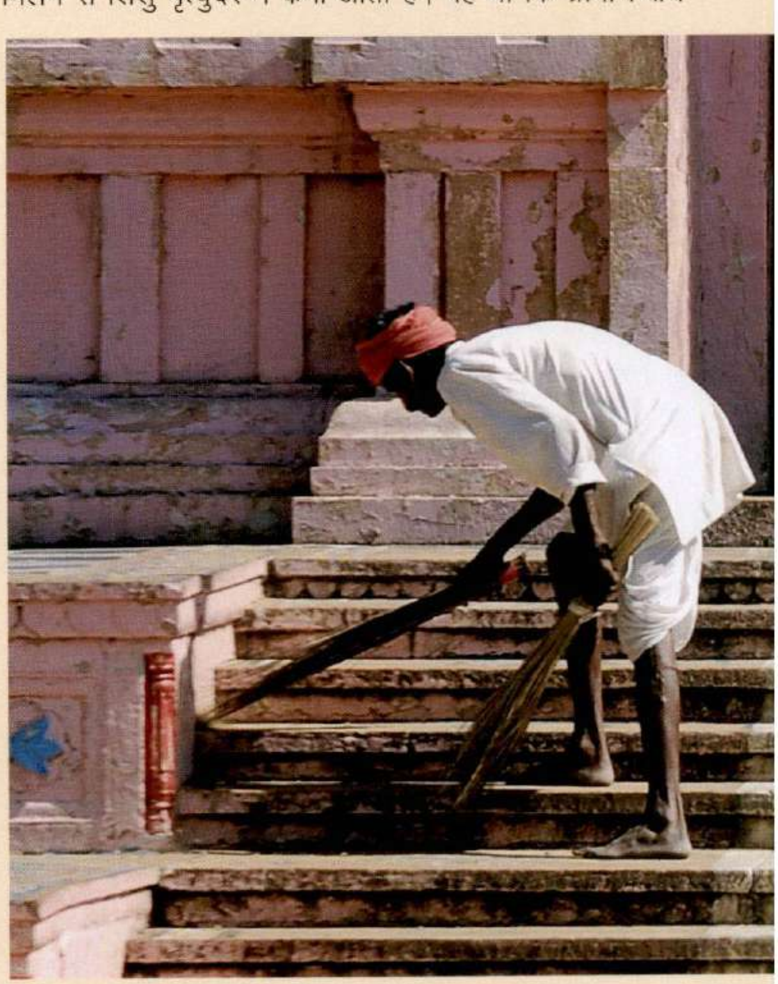

में शौचालय सुविधा से युक्त घरों में जन्म लेने वाले बच्चे ऐसी सुविधा से रहित घरों में पैदा होने वाले बच्चों से कहीं अधिक लम्बे होते हैं (योजना आयोग 2013:307 में उद्धृत स्पीयर्स 2012)।

यह बताना जरूरी है कि भारत की 1.21 अरब जनसंख्या अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी बस्तियों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 7935 नगर (शहर) और उपनगर (कस्बे) तथा 6.4 लाख गांव हैं। लगभग एक तिहाई (31 प्रतिशत) आबादी नगरीय क्षेत्र में और तीन चौथाई आबादी ('ये दो तिहाई होना चाहिए') ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की विविधता को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और नगरीय स्वच्छता को अलग–अलग करके देखना चाहिए।

ग्रामीण स्वच्छता से अर्थ न केवल आसपास फैले कूड़े –कचरे को हटाना है बल्कि इसका आशय शौचालय, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता और निकासी प्रणाली से शौचालयों को जोड़ना भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक बड़ी समस्या है। जल और स्वच्छता तक पहुंच के जनगणना आंकड़े ये बताते हैं कि मात्र 31 प्रतिशत ग्रामीण घरों में ही किसी प्रकार की शौचालय सुविधा है। 2001 से 2011 के दस वर्षों में शौचालय सुविधा में मात्र एक प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ही वृद्धि देखी गयी। इस दर से तो भारत वर्ष 2081 तक ही सार्वभौम स्वच्छता हासिल कर पाएगा।

अतः ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने की रफ्तार बहुत धीमी है और खुले में शौच करना एक गंभीर समस्या है। इसी प्रकार घरों में नल के पानी और निकासी के प्रबंध का अनुपात भी एक तिहाई के स्तर पर है। यह बताना आवश्यक है कि कई गांवों और कस्बों के निचले इलाकों में निकासी व्यवस्था न होने से मानसून के दौरान (वर्षाकाल) बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि टेलीविजन और मोबाइल का ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी से विस्तार हुआ है। वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों के आधे से ज्यादा घरों में मोबाइल अथवा टेलीफोन थे जबकि इसकी तुलना में सिर्फ एक तिहाई घरों में ही शौचालय बन पाये थे। राज्यों के स्तर पर नल के पानी और सफाई सुविधाओं की उपलब्धता के आंकड़ों में भारी भिन्नता है। बिहार, झारखण्ड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 10 प्रतिशत से भी कम घरों को नल पाइप से पीने का पानी पहुंच पाया है। इसी तरह इन राज्यों में शौचालय सुविधा भी 20 प्रतिशत से कम घरों में मिल पायी है। दूसरी ओर, केरल में राज्य स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में भी 90 प्रतिशत से अधिक घरों में शौचालय सुविधा प्राप्त है।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1999 में मांग आधारित सामुदायिक कार्यक्रम के तौर पर शुरू किया था। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शौचालय सुविधाओं की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने के लिए इस कार्यक्रम में सूचना, शिक्षा एवं संवाद (आई ई सी) की मजबूत व्यवस्था की गयी थी। योजना आयोग (2013) के मतानुसार 2001 की जनगणना में 22 प्रतिशत शौचालय सुविधा का 2011 की जनगणना में बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाने का प्रमुख कारण सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान है।

वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार टेलीविजन और मोबाइल/टेलीफोन की तुलना में शौचालय सुविधा वाले घरों का प्रतिशतः

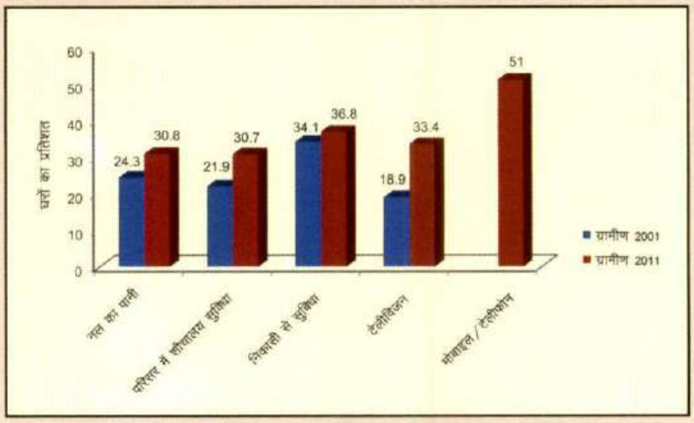

परिणामतः स्वच्छता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने उन ग्राम पंचायतों, ब्लॉक एवं जिलों के लिए वर्ष 2005 में निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत की थी जिन्होंने शत–प्रतिशत स्वच्छता कवरेज प्राप्त कर ली थी। टी एस सी में बड़ी समस्या यह है कि इसके पास उपलब्ध तकनीक की अपनी सीमाएं हैं जबकि देश के भौगोलिक, जलीय एवं सामाजिक–आर्थिक परिवेशों में भारी विभिन्नता है। परिणामतः, स्वच्छता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने उन ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों एवं जिलों के लिए वर्ष 2005 में निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत की थी जिन्होंने शत–प्रतिशत स्वच्छता कवरेज प्राप्त कर ली थी। टी एस सी में बड़ी समस्या यह है कि इसके पास उपलब्ध तकनीक की अपनी सीमाएं हैं जबकि देश के भौगोलिक, जलीय एवं सामाजिक–आर्थिक परिवेशों में भारी विभिन्नता है। पेयजल और स्वच्छता निर्माण परियोजनाओं की एकरूपता को सुनाम करने के लिए वर्ष 2012 में टी एस सी को निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के रूप में नयी नीति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह भी सोचा गया कि जलापूर्ति एवं शौचालयों के निर्माण की योजनाओं को एक साथ चलाने से शौचालयों के उपयोग के पक्ष में लोगों की सोच बदली जा सकेगी। तथापि, एनबीए के लिए आबंटित धनराशि मामूली रही जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोग रहते हैं। यह अलग बात है कि इसे 2011 –12 के 1500 करोड़

से बढ़ाकर 2013 –14 के लिए लगभग 2300 करोड़ रुपये कर दिया गया (वित्त मंत्रालय 2014) ।

नगरीय स्वच्छता

नगरीय क्षेत्रों की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों से बेहतर है फिर भी 2011 में एक तिहाई शहरी (नगरीय) घरों में नल का पानी नहीं पहुंचा था और 2001 –2011 की अवधि में इस काम में दर्ज प्रगति मात्र 2 प्रतिशत थी। इसी प्रकार नगरीय जनसंख्या का 1/5 (पांचवां) भाग किसी प्रकार की जल–मॉल निकासी सुविधा से नहीं जुड़ा था और इसी अनुपात में शहरी आबादी को शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसी तरह टेलीविजन/मोबाइल/टेलीफोन सुविधा से युक्त घरों का अनुपात भी ग्रामीण क्षेत्र से किसी भी तरह भिन्न नहीं था (देखें चित्र–2) । पानी और स्वच्छता तक पहुंच के राज्य–स्तरीय अंतर भी ग्रामीण क्षेत्रों के समान ही पाए गए। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल जैसे अपेक्षाकृत संपन्न राज्यों में इन तक पहुंच बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे निर्धन राज्यों की तुलना में कहीं अधिक थी। साथ ही बड़े नगरों की तुलना में छोटे और मंझोले नगरों में इन सुविधाओं की कमी साफ दिखी (भगत 2011)।

मलिन बस्तियां (झुग्गी–झोंपड़पट्टी) शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता की अस्वास्थ्यकर स्थिति को और दुरुह बना देती हैं तथा 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों की कुल जनसंख्या का पांचवां भाग मलिन बस्तियों में रहता है। स्थानाभाव के कारण मलिन बस्तियों के हर घर में शौचालय सुविधा मुहैया करना संभव नहीं है अतः मुंबई जैसे कुछ बड़े नगरों में सार्वजानिक शौचालय बनवाए गए। इन शौचालयों को चलाने में जलापूर्ति एक गंभीर समस्या है। अतः सामाजिक संस्थाओं , गैर–सरकारी संगठनों, और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इन मलिन बस्तियों में जलापूर्ति के साथ शौचालय और सीवर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए बहुत कुछ किया जाना है।

साथ ही नगरीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कूड़ा–कचरा एकत्र करने की सुविधा का नहीं होना भी स्वच्छता को प्रभावित करता है। कई नगरों में कचरे को एकत्र करने के लिए कोई व्यवस्था है ही नहीं और कूड़ा खुले में गलियों, सड़कों पर फेंका जाता है (पटेल 2013)। आवासीय परिसरों के बाहर, स्कूलों , सार्वजनिक स्थलों और रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता की स्थिति बहुत दयनीय है। हमारे अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर बदबू आती है क्योंकि रेलवे ट्रैक पर ही लोग शौच कर देते हैं। रेल डिब्बों में परिष्कृत शौचालय ऐसे बनाये जाने की जरुरत है जिससे कि लोग खुले में मल त्याग न करें। ऐसा लगता है कि रेल प्रशासन ने कई दशक बीत जाने के बाद भी इस समस्या की गंभीरता का संज्ञान अभी तक नहीं लिया है।

इस विचार–विमर्श से यह स्पष्ट है कि स्वच्छता उपलब्ध कराने के लिए जलापूर्ति अहम है। इसके बगैर शौचालय काम नहीं कर सकते। दूसरी ओर, पानी का अधिक प्रयोग करने से पानी की बर्बादी होती है क्योंकि उसकी अच्छी तरह निकासी का कोई इन्तजाम भी होना जरुरी है। नगरीय क्षेत्रों के जिन भागों में निकासी के लिए नाले यदि हैं भी तो वे बंद पड़े हैं क्योंकि लोग उन्हीं में कचरा फेंक देते हैं। इससे घरों से निकला हुआ गन्दा पानी एक स्थान पर जम जाता है और शहर के कई हिस्सों में जलभराव की नौबत आ जाती है। गंदे पानी और सीवर के पानी का उपचार और उसके पुनर्चक्रण को स्वच्छता नीति का एक भाग बनाना होगा। अतः शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अपेक्षाकृत बड़ा मुद्दा है और इस पर समग्र रूप में विचार किया जाना उपयोगी सिद्ध होगा।

शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार टेलीविजन और मोबाइल/टेलीफोन की तुलना में शौचालय सुविधा वाले घरों का प्रतिशत

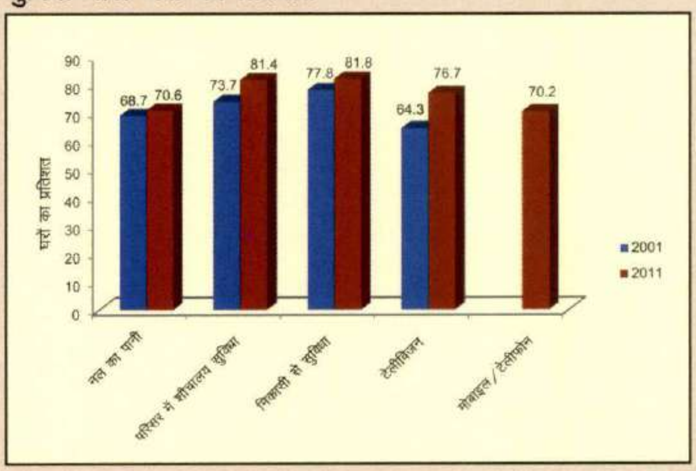

योजना परिदृश्य

शताब्दी विकास लक्ष्यों के अनुसार भारत को वर्ष 2015 तक अपनी शहरी जनसंख्या के आधे लोगों तक, तथा 2025 तक शत–प्रतिशत जनसंख्या तक सुधरी हुई सफाई व्यवस्था की पहुंच करवानी है। इसे ध्यान में रखते हुए शहरी विकास मंत्रालय ने 2008 में राष्ट्रीय स्वच्छता नीति बनाई थी। भारत में स्वच्छता राज्य का विषय है। केंद्र सरकार नीतियां बनाकर राज्यों को कोष उपलब्ध कराती है पर इन नीतियों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति में राज्यों को विस्तृत राज्य–स्तरीय शहरी स्वच्छता कार्यप्रणाली और नगरीय स्वच्छता योजना बनाने की सलाह दी थी। पर्यावरणीय मुद्दे, लोक स्वास्थ्य प्रभाव तथा वंचित एवं निर्धन शहरी तक पहुंचना इस नीति के खास बिंदु हैं। कोष का प्रबंध केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष सहायता अथवा लोक–निजी

भागीदारी के माध्यम से किया जा सकता है। केंद्रीय स्तर पर शहरी स्वच्छता को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम–II) से धन दिया जाता है।

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के अंतर्गत शहरी निर्धन एक बड़ी चिंता का विषय है। वस्तुतः ऐसी मलिन बस्तियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जहां सर्वाधिक शहरी निर्धन रहते हैं। योजना आयोग ने सलाह दी थी कि मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान को उनके न्यायिक स्तर पर निर्भरता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए (योजना आयोग 2013)। यह एक सही कदम है और सम्मान के साथ जीवित रहने के लिए मूलभूत सुविधाओं का होना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और शासन को इसे सुनिश्चित करना चाहिए।

शौचालय सुविधा का अभाव बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है। यह महिलाओं के लिए अधिक कष्टकारी होता है क्योंकि वे पुरुषों के समान दिन में खुले में शौच के लिए नहीं जा सकती हैं और उन्हें इसके लिए अंधेरा होने (रात) तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इससे नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही जनगणना के आंकड़ों से यह भी सामने आता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकतर घर पानी और स्वच्छता सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीण क्षेत्र तो विशेषकर शहरी इलाकों की तुलना में जलापूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं से वंचित हैं और शहरी क्षेत्रों में छोटे और मंझोले नगर बड़े शहरों की तुलना में अधिक वंचित हैं। अतः स्वच्छता तक पहुंच हमारे देश की सामाजिक–आर्थिक सम्पन्नता के स्तर के अनुरूप ही है जैसाकि समाजशास्त्री बताते हैं कि पवित्रता और प्रदूषण हमारे देश की उस जाति व्यवस्था के मूल निर्माता सिद्धांत हैं जिसमें उसके सदस्यों को उनके जन्म के आधार पर शामिल किया जाता है। जाति आधारित समाज में सफाई का अधिकतर बोझ अनुसूचित जाति के ऊपर आ जाता है। 2013 में केंद्र सरकार ने मेहतर प्रथा पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और यदि कोई भी व्यक्ति शौच सफाई के लिए मेहतर रखता है तो उसे न्यायालय से पांच वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है।

हमारे सामाजिक स्थानों के जैसे ही भौतिक स्थान भी पवित्रता और प्रदूषण के मानकों (सिद्धांतों) के आधार पर प्रयोग किये जाते हैं। उदाहरण के लिए कई घरों में पूजागृह को सर्वाधिक पवित्र माना जाता है और जिसे हर हालत में साफ रखा जाता है। रसोई और बाकि घर का स्थान इसके बाद आता है। लेकिन घर के बाहर के परिवेश के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। घर के बाहर के क्षेत्र पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और जहां मनमर्जी से घर का कूड़ा–कचरा फेंका जा सकता है जिससे वह हमेशा ही प्रदूषित बना रहता है।

महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान अथवा स्वच्छता आंदोलन एक अच्छा और सराहनीय प्रयास है। लेकिन सड़कों और सरकारी कार्यालयों को साफ करके ही बात नहीं बनेगी क्योंकि यह बड़ी संख्या में उन ग्रामीण और शहरी लोगों की पात्रताओं और अधिकारों का भी विषय है जो अभी तक स्वच्छ सुरक्षित पानी, शौचालय और जल निकासी सुविधाओं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। सिटीजंस चार्टर का बनाया जाना और मूलभूत सेवाओं का मिलना सुनिश्चित किया जाना जरूरी है और इसे सुशासन का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। साथ ही कूड़े–कचरे को फिर से उपयोग में लाने की योजना भी जरूरी है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करने में सहायता मिलेगी और हमारे शहर और कस्बे रहने योग्य बनेंगे। इस तरह स्वच्छता जल प्रबंध का भी एक विषय है जिसमे सीवर–सफाई और जल के पुनर्चक्रण द्वारा जल स्रोतों की सफाई और उसका औद्योगिक एवं कृषि उपयोग का काम भी हो सकेगा। इसके लिए न केवल एक समेकित योजना बल्कि बहुत अधिक धनराशि की जरुरत पड़ेगी। स्वच्छ भारत अभियान पर जागरुकता को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को देश में हर शहर और गांव के लिए समेकित योजना बनानी पड़ेगी।

तथापि यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि स्वच्छता स्थानीय मुद्दा है और इसके लिए 'टॉप डाउन' प्रणाली उपयुक्त नहीं होगी। इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन को जवाबदेह बनाना होगा और उन्हें पर्याप्त अधिकार, संसाधन और स्वच्छता नीति से लैस करना होगा। स्वच्छता नीति उचित, समग्र और उपयोगी होनी चाहिए। हाशिये पर पड़े लोगों और अल्पसंख्यकों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम बस्तियों से जुड़े मामलों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस नीति से बाहर नहीं करना चाहिए। पूर्वाग्रहों, तनावों और कुछ शहरों में कभी–कभी हो जाने वाले दंगों के कारण अल्पसंख्यक जनसंख्या वाली बस्तियों के लोगों की उपेक्षा हो सकती है और स्वच्छता सुविधा दिए जाने पर उनके प्रति भेदभाव भी हो सकता है। फिर भी इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि स्वच्छता सुविधाओं के अभाव के कारण सामने आने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरे ऐसे किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते बल्कि उससे बाहर भी जा सकते हैं। हम सभी एक–दूसरे से जुड़े और परस्पर निर्भर स्थानों में रहते हैं। इसलिए सरकार, सिविल सोसाइटी और समाज के विभिन्न वर्गों को स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य पाने के लिए मिल–जुल कर कार्य करना चाहिए।

(लेखक, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
प्रशासन एवं नगरीय अध्ययन विभाग,
अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान, मुंबई)
ई–मेल : rbbhagat @iips-net
(अनुवाद : सुधीर तिवारी)

सफाई के साथ कचरे का प्रबंधन भी ज़रूरी

—कविता पंत

ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की समस्या से हर छोटे-बड़े शहर और महानगर जूझ रहे हैं। कचरे के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है और यह जलवायु परिवर्तन के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। कचरे का पुनर्चक्रण या रिसाइक्लींग एक वैश्विक समस्या है और भारत के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती बन गया है। अगर इस समस्या का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो यह एक बड़े संकट का रूप ले लेगी।

सही मायने में कहा जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान कोई लोक लुभावन परियोजना नहीं है बल्कि देश को कचरा प्रबंधन के मुद्दे पर दिखाई गई एक दिशा और इस समस्या के समाधान का प्रयास है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को शहरी और ग्रामीण दो भागों में बांटा गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत के शहरों से करीब 1.60 लाख मीट्रिक टन ठोस कचरा हर रोज निकलता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर वर्ष 7.2 मीट्रिक टन खतरनाक औद्योगिक कचरा, 4 लाख टन इलैक्ट्रॉनिक कचरा, 1.5 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा, 1.7 मीट्रिक टन मेडिकल कचरा, 48 मीट्रिक टन नगर निगम का कचरा निकलता है। इसके अलावा 75 प्रतिशत से ज्यादा सीवेज का निपटारा नहीं होता है।

राजधानी दिल्ली में 1950 से लेकर अब तक 12 बड़े कचरे के ढेर बनाए जा चुके हैं जो सात मंजिल तक ऊंचे हैं। मुंबई का सबसे बड़ा कचरे का ढेर 110 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला देवनार कचरा स्थल है। यहां 92 लाख टन कचरे का ढेर लग चुका है। इस इलाके के पास बसी झोपड़ पट्टियों में प्रत्येक 1000 बच्चों में से 60 बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं, जबकि बाकी मुंबई में यह औसत 30 बच्चे प्रति हजार हैं। यही हाल अन्य महानगरों और शहरों का भी है। यह कचरा लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। कचरे से रिसकर जहरीला रसायन जमीन, हवा और पानी को दूषित कर रहा है और इनके पास रहने वाली आबादी अनेक गंभीर बीमारियों जैसे मलेरिया, टीबी, दमा और चर्म रोगों से पीड़ित है।

कचरे का अगर सही प्रबंधन किया जाए तो इससे लाभ भी मिल सकता है। यदि हम कचरे का ठीक से निपटारा करें तो इतने कचरे से 27 हजार करोड़ रुपये की खाद पैदा की जा

सकती है। 45 लाख एकड़ बंजर जमीन को उपजाऊ खेतों में बदला जा सकता है, 50 लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा करने की क्षमता हासिल की जा सकती है और दो लाख सिलेंडरों के लिए अतिरिक्त गैस हासिल की जा सकती है। विकसित देशों में कचरा प्रबंधन बड़े लाभप्रद व्यवसाय में बदल चुका है। इससे खाद, बायोगैस और बिजली बनाई जा रही है। कुछ कचरे को रिसाइकिल करके उससे वस्तुएं बनाई जा रही हैं।

घरों से निकलने वाले कचरे में बचा हुआ भोजन, रेत, बजरी, कागज, प्लास्टिक, धातु, शीशा आदि हैं। ठोस कचरे में प्लास्टिक सबसे हानिकारक वस्तु है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। गलियों, मुहल्ले, रेलवे स्टेशनों, रेल की पटरियों और सड़कों पर बिखरी प्लास्टिक की थैलियां बरसात में पानी के साथ बहकर नालियों को बंद कर देती हैं। प्लास्टिक हमारे लिए परेशानी पैदा कर रहा है क्योंकि प्रकृति इसे नष्ट नहीं कर सकती और कीड़े इसे खा नहीं सकते। लेकिन कागज, प्लास्टिक, एल्यूमीनियम और शीशे को रिसाइकिल करके इनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

शहरों से निकलने वाले कचरे को ठिकाने लगाने का काम एक बड़ी समस्या बन चुका है। इस कचरे के निपटान के लिए कई तरीके अपनाए गए। इनमें से एक तरीका, शहरों के कचरे का इस्तेमाल जमीन को भरने अथवा लैंडफिल के लिए करने का है। लेकिन इसके कारण शहरों के आसपास के कुछ गांव कूड़ाघर और बीमारियों का घर बन चुके हैं। कचरे से जमीन तो समतल हो गई लेकिन ऐसी जगहों में जमीन का पानी विषैला होने का खतरा पैदा हो गया। साथ ही जमीन में दबे कचरे के कारण इन स्थानों से कई गैसों का रिसाव हो रहा है।

विकसित देशों की तुलना में हमारे यहां हर वर्ष निकलने वाले कचरे की मात्रा काफी कम है लेकिन यह प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। शहरी कचरे का 30–55 प्रतिशत जैविक कचरा होता है जिससे खाद बनाई जा सकती है जबकि अजैविक कचरे की रिसाइक्लिंग से कई चीजें बनाई जा सकती हैं, 40–45 प्रतिशत कचरे को जमीन में गाड़ा जा सकता है जबकि 5–10 प्रतिशत को रिसाइक्लिंग किया जा सकता है।

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका में हर वर्ष करीब 70 मिलियन टन कचरा निकलता है लेकिन उसने इस कचरे के निपटान के लिए इस तरह से निवेश किया है कि हजारों अफ्रीकियों को इसमें नौकरियां मिली हैं और ये उनकी आमदनी का जरिया बन चुका है। थाईलैंड अपने 22 प्रतिशत और नीदरलैंड अपने 64 प्रतिशत कचरे की रिसाइक्लींग करने में सफल रहा है।

एक अन्य समस्या औद्योगिक कचरे की है। औद्योगिकीकरण के कारण कचरे का स्तर बढ़ा है जो दुनिया की तबाही का सबब बन सकता है। औद्योगिक कचरे का निपटान करने के लिए देश में लोहे और प्लास्टिक के अलावा धातुओं का कबाड़, ल्यूब्रीकेंट के नाम पर रासायनिक द्रव्य, जहरीले रसायन, पुरानी बैटरियां और बेकार हो चुकी मशीनों को गलाया जा रहा है जिससे वायु प्रदूषण के अलावा मिट्टी में भी जहरीले रसायन समा रहे हैं। पुराने इलैक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फ्रिज, वाशिंग मशीन, कम्प्यूटर और प्रिंटर, टेलीविजन, मोबाइल, आई–पॉड आदि में से कुछ में जहरीली सामग्री होती है जिससे कैंसर और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाली बीमारियां हो सकती हैं।

ई–कचरा काफी खतरनाक है खासतौर से जब इस कचरे से धातुओं को अलग किया जाता है। एसोचैम के अनुसार देश में सालाना 4.4 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न होता हैं। दुनिया में हर वर्ष 18 करोड़ कम्प्यूटर बेकार हो रहे हैं और 2030 तक एक अरब कम्प्यूटरों का कचरा हो जाएगा। इनकी रिसाइक्लिंग करना भी आसान नहीं है। भारत में ई–कचरे के निपटान की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही विदेशों से ई–कचरे का आयात नहीं किया जा सके, इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए।

हमने धरती से तीन गुना अधिक क्षेत्र में फैले समुद्र को भी कचरे से प्रदूषित और विषाक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि महासागर जलवायु को बनाए रखने में मदद करते हैं। समुद्र में कचरा फेंकने का खामियाजा नाइजीरिया 1998 में भुगत चुका है जब उसके कोको बंदरगाह में इटली की एक कम्पनी 3800 टन खतरनाक कचरा छोड़ गई थी। कचरे में रेडियोधर्मी पदार्थ होने के कारण लोग मरने लगे। वहां बचे लोगों को कोको से हटाना पड़ा। लेकिन बड़ी संख्या में समुद्री जीव–जंतु मारे गए। समुद्र में जहाजों से बिखरने वाले तेल के कारण भी इन जीव–जंतुओं को नुकसान पहुंचता है लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत समुद्रों में कचरा फेंकने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। मनुष्य समुद्र में इतना कचरा फेंक चुका है कि अगर अंतरिक्ष में टोह लेने वाले कैमरों से देखें तो कचरे का अंबार अमरीका के नक्शे के आकार का दिखाई देता है। हमें आने वाले समय में महासागरों को भी प्रदूषित होने से बचाना होना।

कचरा प्रबंधन के लिए वर्ष 2000 में ठोस कचरा नीति बनाई गई। इस नीति में शहरों में सड़कों पर कचरे के डिब्बों की व्यवस्था करने के बजाय सड़क पर कचरा फेंकने पर रोक लगा दी गई और इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई। अनेक दिशा–निर्देश जारी किए गए लेकिन अंत में इसका पालन सही तरीके से नहीं होने के कारण उच्चतम न्यायालय को विभिन्न उच्च न्यायालयों से इसकी निगरानी करने को कहना पड़ा।

शहरों और गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं :

- शहर के बाहरी इलाकों में खाली जमीन अथवा सड़क के किनारे खुले में कूड़ा गिराना रोकना होगा क्योंकि इससे गंदगी और प्रदूषण फैलने के साथ–साथ बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। निश्चित दूरी पर कूड़ेदान लगाए जाने चाहिए। ऐसे शौचालय और हाथ–मुंह धोने के लिए कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए जिनका इस्तेमाल एक निश्चित मूल्य चुकाने के बाद किया जा सकता है।
- सार्वजनिक स्थानों पर जहां–तहां कचरा फैलाने वाले व्यक्तियों पर दंड लगाने का प्रावधान होना चाहिए और यदि कचरा फैलाने पर उन्हें लगातार पकड़ा जाता है तो उन्हें सामाजिक केन्द्र पर अपनी निःशुल्क सेवाएं देने के लिए भेजा जाना चाहिए।
- नगर निगम की जिम्मेदारी तय की जाए कि वह समय पर कूड़ा उठाए और कचरे की सही तरीके से छंटनी की जाए। जैविक कचरा कूड़ेदानों अथवा खुली जगहों में बहुत दिनों तक छोड़ देने से सड़ने लगता है। जैविक और अजैविक कचरे की छंटनी के लिए जन–जागरुकता पैदा करना जरुरी है।
- राज्य सरकारों को जैविक, अजैविक दोनों प्रकार के कचरों के लिए अलग–अलग रंग के बंद कूड़ेदानों के साथ ही कूड़ा उठाने के लिए चारों ओर से बंद बड़े वाहनों की व्यवस्था करनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि इन गाड़ियों से कूड़ा गिरकर सड़क पर बिखर जाता है और इसकी सड़ांध से लोगों के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है।
- अजैविक कचरे के निपटान के लिए इसकी रिसाइक्लिंग के बाद बचे अवशेष को निर्धारित मानकों के अनुसार गहराई में गड़वाया जाए।
- कचरा बीनने वालों, कबाड़ियों तथा इसको व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले लोगों को कचरे से जुड़े व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि वे जैविक कचरे से खाद बना सकें। दूध के पैकेट, पॉलिथीन, प्लास्टिक के थैलों को रिसाइक्लिंग से जुड़े उद्योगों को बेचकर लोग आमदनी भी कर सकते हैं।
- होटलों और घरों में काम करने वालों, सफाई कर्मचारियों को जैविक और अजैविक कचरा एकत्र करने और उसे अलग करने के लिए अतिरिक्त राशि देकर प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- ग्रामीण इलाकों में अधिकतर कचरे का निपटान किया जा सकता है। इसे खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खेतों में रासायनिक खाद की जगह बढ़िया जैविक खाद डालकर किसान मुनाफे के साथ उच्च गुणवत्ता वाली फसलें उगा सकते हैं। इसके अलावा रसोई के लिए बायो–गैस और रोशनी के लिए बिजली के छोटे संयंत्र आसानी से लगाए जा सकते हैं। बेरोजगारों को आईटीआई के माध्यम से बायोगैस, बिजली बनाने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
- शहर और जिला–स्तर पर अपशिष्ट रिसाइक्लिंग संयंत्र बनाए जाएं।
- कचरे को जलाना इसे ऊर्जा में परिवर्तित करने का अच्छा तरीका है। यह कचरे की मात्रा को कम कर देता है और पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है।
- अस्पताल और होटलों सहित सभी वाणिज्यिक इकाइयों को स्वयं एक विशेष प्रणाली बनाने के लिए कहा जाए ताकि वहां का कचरा सीधे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों में डाला जा सके।
- ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक विकसित की जाए। जागरुकता अभियान के लिए स्कूली बच्चों और गैर–सरकारी संगठनों को शामिल किया जाए। सफाई के बारे में लोगों को शिक्षित करने और उन्हें अपने आसपास की जगह साफ–सुथरी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मशहूर हस्तियों और टीवी विज्ञापनों का उपयोग किया जाए।
- तरल कचरा प्रबंधन के लिए गांवों में नल वाले चबूतरों और तालाबों को नए सिरे से बनवाकर कम लागत की निकासी की व्यवस्था कराई जा सकती है। गांवों में घरों के बाहर नालियां इस तरह बनाई जाएं कि घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी गांव के पास बनाए गए तालाबों में एकत्र हो, जहां से यह पानी छनकर दूसरे तालाब में जाए। इसके बाद यह पानी तालाब में दोबारा फिल्टर होकर तीसरे तालाब में पहुंचे जहां से इसका इस्तेमाल गांवों में खेती और अन्य कार्य के लिए किया जाए। आज अधिकांश शहर अपने तरल कचरे का केवल एक हिस्सा निपटाने में सक्षम हैं, बाकी तरल कचरा नदियों में ऐसे ही फेंक दिया जाता है। यमुना जैसी कुछ नदियां तो खुले नाले में तब्दील हो चुकी हैं। कई बार शहर की गंदगी लेकर बहने वाला नाला किसी नदी में खुलता है और दोबारा शहर में इस्तेमाल होने वाले पानी में चला आता है। भारत में घरों के नलों में आने वाले पानी में जीवाणु का मिलना आम बात है जो मल से निकलता है।
- ट्रेन में जैव–शौचालयों का निर्माण कराया जाए और गांवों में सामुदायिक शौचालय बनाए जा सकते हैं।

देश में खुले में शौच करना एक बड़ी समस्या है। हालांकि पिछले 22 वर्षों में खुले में शौच करने वालों की संख्या काफी कम हुई है लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में आज भी सबसे अधिक संख्या में लोग खुले में शौच करते हैं और इनकी संख्या 597 मिलियन है। जिन लोगों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है वह गटरों में, झाड़ियों के पीछे, सड़क के किनारे अथवा तालाबों या खुले पानी के नजदीक जाते हैं। इससे संक्रमण और बीमारियां फैलती हैं। खुले में शौच करने वाले 10 लोगों में से 9 ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। कई ग्रामीण इलाकों में शौचालय हैं लेकिन पानी उपलब्ध नहीं है। शहरों में झुग्गी में रहने वालों के पास न तो पानी की सप्लाई है और न ही शौचालय की सुविधा।

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक गांव को अगले 5 वर्षों तक हर साल 20 लाख रुपये देगा। इसके अंतर्गत सरकार ने हर परिवार के व्यक्तिगत शौचालय की लागत 12,000 रुपये तय की है ताकि सफाई, नहाने और कपड़े धोने के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति की जा सके। एक अनुमान के अनुसार पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय इस अभियान पर 1,34,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

शहरी क्षेत्र में हर घर में शौचालय बनाने, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाने और ठोस कचरे का उचित प्रबंधन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के लिए 2–2 लाख से ज्यादा सीटें मुहैया कराना शामिल है। जिन क्षेत्रों में घरेलू शौचालय बनाने में समस्या है वहां सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे। बाजार, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन के पास पर्यटन स्थलों पर और सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय की सुविधा दी जाएगी। शहरी विकास मंत्रालय ने इस मिशन के लिए 62,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

सबसे पहले सरकार को मैला ढोने की प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए और इसके लिए बने कानून को कड़ाई से लागू करना चाहिए। सरकार इस संबंध में सितम्बर 2013 में एक विधेयक पारित कर चुकी है और दिसम्बर 2013 में इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी कर चुकी है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1895 में जब ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और एशियाई व्यापारियों के साथ उनके स्थानों को गंदा रखने के आधार पर भेदभाव किया था, तब से लेकर अपनी हत्या के एक दिन पहले तक गांधीजी लगातार सफाई रखने पर जोर देते रहे।

गांधीजी ने रेलवे के तीसरी श्रेणी के डिब्बों में बैठकर देशभर का दौरा किया था और वह इस श्रेणी के डिब्बों में गंदगी से स्तब्ध थे। उन्होंने अखबारों को पत्र लिखे और गंदगी की तरफ सभी का ध्यान आकृष्ट किया था। 25 सितम्बर, 1917 को लिखे अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि इस तरह की संकट की स्थिति में यात्री परिवहन को बंद कर देना चाहिए। जिस तरह की स्थिति इन डिब्बों में है उसे जारी नहीं रहने दिया जा सकता क्योंकि इससे हमारे स्वास्थ्य और नैतिकता पर प्रभाव पड़ता है। तीसरी श्रेणी के यात्री को भी जीवन की बुनियादी जरुरतें हासिल करने का अधिकार है। उसकी उपेक्षा कर हम लाखों लोगों को व्यवस्था, स्वच्छता, शालीन जीवन की शिक्षा देने, सादगी और उनमें स्वच्छता की आदतें विकसित करने का बेहतरीन मौका गंवा रहे हैं।

लेकिन रेलवे की गंदगी आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। रेल के डिब्बों और शौचालयों को साफ रखने के लिए कर्मचारियों को तो रखा जाता है लेकिन यात्रियों को उन्हें गंदा करने में किसी प्रकार की शर्म नहीं महसूस होती। लोग शौचालयों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। यहां तक कि वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने वाले पढ़े–लिखे लोग भी अपने बच्चों को शौचालय की सीट का इस्तेमाल नहीं करवा कर उन्हें बाहर ही शौच करवाते हैं। डिब्बों में कूड़ा फैलाना तो आम बात है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान के लिए नई पहल की है जिसका असर दिखने लगा है। इस बारे में बहस शुरू हुई है और स्वच्छता अभियान में हर रोज समाज के अनेक वर्ग के प्रतिष्ठित लोग जुड़ रहे हैं। स्कूल–कॉलेज में स्वच्छता पर जोर दिया जाने लगा है लेकिन पूरी सफलता तभी मिलेगी जब हम घर से इसकी शुरुआत करें। अभिभावक बच्चों को घर के साथ सार्वजनिक स्थलों की साफ–सफाई के लिए प्रेरित करें और इस काम को आचरण और नैतिकता से जोड़ें। बाहर की सफाई के लिये सरकार नगर निगम से लेकर पंचायत तक सीधे संवाद की व्यवस्था करे और हर प्रकार के कचरे के निपटारे के लिए प्रबंधन व्यवस्था को दुरुस्त करे।

हमें इस बात को भी समझना होगा कि सफाई के लिए यह माहौल इसलिए बनाना पड़ा कि अपनी लापरवाही के कारण हम दिनोंदिन परेशानियों का शिकार बन रहे हैं। इसका अर्थ है समस्या हमने खड़ी की है तो समाधान भी हम सभी को मिलकर निकालना होगा। यानी स्वच्छ भारत होगा तो गंदगी और बीमारियां तो दूर होंगी ही, साथ ही साफ–सुथरे माहौल में जिंदगी जीने का मजा दुगुना हो जाएगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई–मेल : kavitapant24@yahoo.co.in

बहती रहे निर्मल गंगा

—संजय श्रीवास्तव

गंगा को लेकर अब केवल सरकारी खानापूर्ति या हवाई बातें नहीं हो रही हैं बल्कि वास्तविक धरातल पर भी एक मजबूत संरचना तैयार होती हुई महसूस होने लगी है। सरकार पावन सलिला गंगा को अविरल बनाने के लिए पुरजोर से कोशिश में लग गई है। गंगा की सफाई के लिए पांच हजार करोड़ की 76 योजनाएं प्रस्तावित हैं और उन पर काम चल रहा है।

अंग्रेज जब 18वीं सदी में भारत में फैलने लगे तो वो ये देखकर हैरान थे कि गंगा के आसपास का इलाका कितना खुशहाल और उर्वर है। वही गंगा अब उदास है। अस्तित्व के लिए लड़ रही है।

अब समय है पवित्र गंगा को बचाने का। पहली बार गंगा को निर्मल और अविरल बनाने पर गंभीर पहल होती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा की सफाई को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देकर जनांदोलन बनाने का भरोसा दिया है। शुरुआती सौ दिनों के भीतर ही न केवल गंगा के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया बल्कि पवित्रपावनी को निर्मल बनाने के लिए 2,037 करोड़ रुपये की 'नमामि गंगे' योजना का भी ऐलान किया गया। साथ ही गंगा तथा यमुना के घाटों के संरक्षण के लिए भी 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। पहली बार किसी सरकार ने प्राथमिकताओं में गंगा को इतना ऊपर रखा है।

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती कहती हैं, गंगा नदी तीन साल में साफ होगी। सात साल में व्यवस्था दुरुस्त होगी, तभी दस साल में अविरल व निर्मल गंगा की कल्पना साकार हो सकेगी। सरकार ने इसके लिए दीर्घ व अल्पावधि योजनाएं तैयार की हैं। अल्पावधि के तहत तीन साल में गंगा में कल–कारखानों का रासायनिक कचरा गिरने से रोका जाएगा जबकि दीर्घ अवधि में उसकी धारा अविरल हो जाएगी।

गंगा का बखान ईसा से साढ़े सात हजार साल पहले ऋगवेद और दूसरे पुराणों में मिलता है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि गंगा नदी भगवान ब्रह्मा के पैर के पसीने से निकलीं। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की श्रापित होकर भटकती आत्माओं की शांति के लिए तप किया। वह चाहते थे कि ब्रह्माजी गंगा नदी को पृथ्वी पर भेजें ताकि उनके पूर्वजों का कल्याण हो। ब्रह्माजी खुश हुए। अब सवाल था कि गंगा इतनी ऊंचाई से प्रचंड वेग के साथ जब पृथ्वी पर गिरेंगी तो इस धरा का क्या होगा, तब भगवान शिव आगे आए और उन्होंने एक जटा को खोलकर इसके जरिए गंगा का पृथ्वी पर आने का रास्ता सुलभ किया। वैसे गंगा को लेकर न जाने कितनी ही पौराणिक कहानियां हैं।

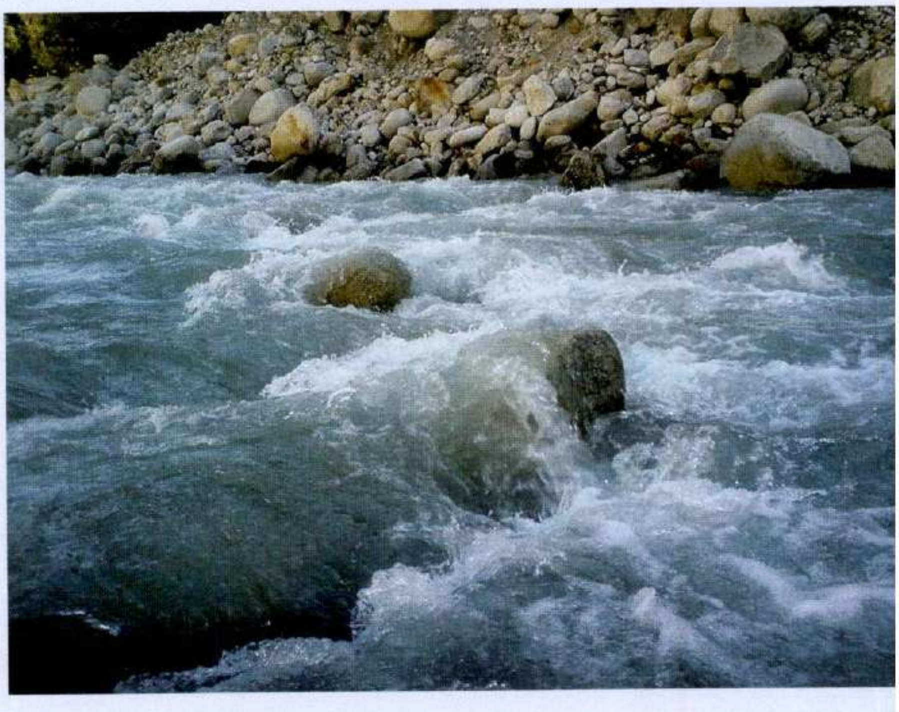

करीब 2525 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकलने से पहले गंगा गंगोत्री में करीब तीन हजार फुट की ऊंचाई से गोमुख से निकलती हैं। सागर से मिलने से पहले धरती पर उनका आखिरी बिंदु सुंदरवन है। कहा जाता है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसी नदी हो, जो इतनी उत्पादक और पवित्र हो। भला कौन–सी नदी होगी, जिसने इर्द–गिर्द के इतने लंबे क्षेत्र को उपजाऊ और उत्पादक बनाकर खुशहाली से भरा हो। नदी के करीब आते ही महसूस होने लगता है कि मानो किसी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ रहे हों। गंगा का आश्रय और निकटता पाकर जितना धर्म–कर्म फला–फूला और साहित्य रचा गया, वो कहां और मुमकिन हो सकता था। आमतौर पर गंगा के किनारे जो शहर–गांव बसे, उनकी तहजीब और दर्शन ने मानवता को समृद्ध किया।

तमाम विदेशी तीर्थयात्री गंगा पर मुग्ध दिखे। तमाम अंग्रेज विद्वानों ने गंगा पर किताबें और कविताएं रच डालीं। हिन्दुओं के जीवन, मन–कर्म–वचन पर सदियों से गहरा असर डालने वाली रामचरित मानस की रचना भी तुलसीदास ने गंगा किनारे ही की। कुल मिलाकर गंगा की अथक यात्रा ने हमारे देश को एक चरित्र दिया, इसके कण–कण में मस्ती और भरपूर जीवन का आलम भरा। आम हिंदू मानता है कि गंगा में एक बार नहाए बगैर उनका जीवन अधूरा है। गंगा का पानी घर में रखना पवित्र माना जाता है। पूजा–अनुष्ठान बगैर इसके नहीं होते।

लेकिन गंगा का एक और पहलू भी है, जिसे हम सबने मिलकर रचा है–हम सबने इसे दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में शुमार कर दिया। अब ये हम सबकी गंदगी, घरों से निकला कूड़ा, कारखानों से निकल रहे जहरीले अवशिष्ट को ढोने वाली नदी में तब्दील हो चुकी है। इस पानी में खुद गंगा का श्वास लेना मुश्किल हो चला है। हालांकि गंगा से खिलवाड़ की शुरुआत बीसवीं सदी की शुरुआत में ही हो गई थी। वर्ष 1912 में मदन मोहन मालवीय ने पहली बार गंगा के लिए आंदोलन किया था। तब विरोध नहर और बांध बनाकर नदी की धारा मोड़ने को लेकर था। हालांकि दशकों से गंगा हमारे शहरों से निकली गंदगी को ढो रही थी लेकिन नदी का असल दुर्भाग्य पिछले तीन–चार दशकों से तब ज्यादा शुरू हो गया जब बाजारीकरण और आर्थिक उदारीकरण के चलते फैक्ट्रियां बढ़ने लगीं और नदी में आने वाले जहरीले अवशिष्ट हजारों गुना बढ़ गए। दिन–रात पानी का दोहन होने लगा। विकास के नाम पर इसके अविरल प्रवाह को बांधा जाने लगा। अब गंगा में डूबकी मारने का मतलब है कई बीमारियों को न्यौता देना।

हालांकि मौजूदा सरकार की हालिया पहल को देखें तो लगता है कि गंगा को लेकर अब केवल सरकारी खानापूर्ति या हवाहवाई बातें नहीं हो रही हैं बल्कि वास्तविक धरातल पर भी एक मजबूत संरचना तैयार होती हुई महसूस होने लगी है। सरकार पावन सलिला को अविरल बनाने के लिए एड़ी–चोटी से लग गई है। गंगा की सफाई के लिए पांच हजार करोड़ की 76 योजनाएं प्रस्तावित हैं और उन पर काम चल रहा है। इन योजनाओं के तहत गंगा क्षेत्र में पड़ने वाले पांच राज्यों के 48 कस्बों में नदी में प्रदूषण रोकना, घाटों का विकास और गंगा स्वच्छता के कार्य में जुटी एजेंसियों को मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। सरकार ने हर योजना पर आने वाले खर्च और उसके पूरे होने की अवधि सहित समस्त ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में दिया है।

लगेंगे 113 जगहों पर सेंसर

गंगा की सेहत की जांच हर पल और हर कदम पर होगी। सरकार उत्तराखंड के देवप्रयाग से लेकर पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर तक गंगा नदी में 113 जगहों पर ऐसे सेंसर लगाने जा रही है, जो गंगा के प्रदूषण की जांच कर ऑनलाइन रिपोर्ट लगातार भेजते रहेंगे। ये अत्याधुनिक सेंसर अगले साल अप्रैल से काम करना शुरू कर देंगे।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने रीयल टाइम गंगाजल में प्रदूषण की जांच के लिए 20 पैरामीटरों का चयन किया है। ये पैरामीटर हैं– जल में ऑक्सीजन की जैविक मांग (बीओडी), जल में घुलनशील ऑक्सीजन (डीओ), जल में भारी धातु इत्यादि। इन पैरामीटर के आधार पर विभिन्न स्थानों पर गंगाजल में मौजूद अशुद्धि का आकलन किया जाएगा। दुनियाभर में यह पहली बार है जब किसी नदी में प्रदूषण की जांच की रीयल टाइम निगरानी के लिए इतने बड़े स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेंसरों का इस्तेमाल किया जाएगा।

फिलहाल सीपीसीबी पायलट परीक्षण के तौर पर गंगा और यमुना में 10 निगरानी केंद्रों पर लगे ऐसे सेंसरों की मदद से दोनों नदियों में प्रदूषण के स्तर की निगरानी रख रहा है। मौजूदा 10 निगरानी केंद्रों के अनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि रीयल टाइम में प्रदूषण के स्तर को परखने के लिए ये सेंसर बेहतर विकल्प हैं, इसीलिए गंगा पर 113 जगहों पर इन्हें लगाने का फैसला किया गया है। सेंसर से प्राप्त होने वाली रिपोर्ट के आधार पर सरकार को स्थानीय जरूरत के अनुसार उपाय करने में मदद मिलेगी। यह भी पता चलता रहेगा कि सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास कितने प्रभावी हैं, तथा उन्हें ज्यादा कारगर बनाने की कितनी गुंजाइश है।

जीआईएस प्रणाली से निगरानी

ज़मीनी स्तर पर ऑनलाइन निगरानी के लिए सरकार भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) इस्तेमाल करेगी। जीआईएस आधारित इस निगरानी प्रणाली से किसी भी औद्योगिक इकाई या

शहर से रोजाना निकलने वाली गंदगी पर नजर रखी जा सकेगी। इसके जरिए यह भी पता लगाया जा सकेगा कि किस शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) चल रहे हैं और कहां बंद पड़े हैं। साथ ही, किस शहर में एसटीपी कितनी बिजली का उपभोग कर रहे हैं।

गंदे पानी का फिर ट्रीटमेंट

गंगा नदी बेसिन के शहरों के लिए तत्काल ही शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं बनाने और शहरी गंदे पानी को ट्रीट करने की जरूरत है। इस गंदे पानी को ट्रीट करके पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। गंगा मंथन कार्यक्रम में इसका सुझाव आया था। इसके अलावा इसी तरह का सुझाव गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए सात आईआईटी तथा 10 अन्य शीर्ष संस्थानों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में भी दिया गया है।

आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर विनोद तारे के नेतृत्व में तैयार की गई इस रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई है कि गंदे जल को साफ करने के बाद उसे उद्योगों को इस्तेमाल के लिए देना चाहिए। इसके साथ ही गंगा बेसिन क्षेत्र में शुद्ध भूमिगत जल की कीमत गंदे पानी को साफ करने की लागत से 50 प्रतिशत अधिक तय करनी चाहिए, ताकि जल के पुनः इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे श्रेणी–1 और श्रेणी–2 के सभी शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

लिहाजा सरकार की मंशा दीर्घावधि उपाय के तौर पर गंगा तट के सभी शहरों में सीवर व्यवस्था की है। सीवर का शोधित (ट्रीट) पानी भी गंगा में नहीं छोड़ा जाएगा। इसका इस्तेमाल कृषि तथा अन्य कार्यों में किया जाएगा।

उद्योगों पर सख्ती

उन उद्योगों के लिए भी समय सीमा तय कर दी है जो गंगा को प्रदूषित कर रही हैं। अगले छह महीने में इन उद्योगों द्वारा गंदे पानी के शुद्धीकरण की ऑनलाइन निगरानी शुरू हो जाएगी। जाहिर है कि इस बार प्रदूषण फैलाने वाले बड़े गुनाहगारों के लिए बच निकलना मुश्किल होगा।

गंगा के उद्गम गोमुख से उत्तरकाशी के 130 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी व्यावसायिक या औद्योगिक गतिविधि पर लगे

रोज करोड़ों लीटर कचरा

जीवनदायिनी गंगा पिछले कुछ सालों में लगभग ढाई गुना प्रदूषित हो चुकी है। उसे साफ करने की अब तक की सारी योजनाएं नाकाम साबित हुई हैं। केंद्र के हलफनामे के अनुसार 1985 में अनुमान लगाया गया था कि 1340 मिलियन लीटर मल–जल रोज गंगा में मिलता है जबकि 1993 में मल–जल का गंगा में मिलने का आंकड़ा 2537 मिलियन लीटर पहुंच चुका था। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के किनारे टाउनशिप इसका प्रमुख कारण है।

भारतीय संस्कृति में मां का दर्जा हासिल गंगा वक्त की हिलोरों में बहते हुए सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल हो चुकी हैं। कानपुर के पास इसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। कानपुर में चमड़े के वैध–अवैध करीब 400 कारखानों से हर रोज पांच करोड़ लीटर कचरा निकलता है और सिर्फ 90 लाख लीटर ही ट्रीट हो पाता है। कानपुर और वाराणसी दो बिन्दु हैं, जहां गंगा सबसे गंदी बताई जाती है।

गंगा की बिगड़ती दशा देख मैगसेसे पुरस्कार विजेता मशहूर वकील एमसी मेहता ने 1985 में गंगा के किनारे लगे कारखानों और शहरों से निकलने वाली गंदगी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। फिर सरकार ने गंगा सफाई का बीड़ा उठाया और गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई। जून 1985 में गंगा एक्शन प्लान–1 की शुरुआत हुई। इस अभियान में उत्तर–प्रदेश के छह, बिहार के चार और पश्चिम बंगाल के 15 शहरों पर फोकस किया गया। प्लान का पहला चरण 1990 तक पूरा करने की योजना थी, लेकिन समय पर काम पूरा न होने के चलते इसका समय 2001–2008 तक बढ़ाया गया। संसद की लोकलेखा समिति की 2006 की रिपोर्ट में गंगा सफाई के सरकारी कामकाज पर चिंता भी व्यक्त की गई।

गंगा एक्शन प्लान के दूसरे चरण के लिए 615 करोड़ की स्वीकृति हुई और 270 परियोजनाएं बनीं जिनमें उत्तर प्रदेश में 43, पश्चिम बंगाल में 170, उत्तराखंड में 37 थीं, जिनमें से कुछ ही पूरी हुई। बिहार और उत्तरप्रदेश में तो कई परियाजनाएं शुरू भी नहीं हो सकीं। अब तक गंगा की सफाई पर 20000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो चुका है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। तत्कालीन केंद्र सरकार ने 2009 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के साथ एनजीआरबीए का गठन किया था जिसका मकसद गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए केंद्र और राज्य के साथ मिलकर काम करना था। फिर भी सरकार को कोई विशेष सफलता नहीं मिली।

प्रतिबंध का सख्ती से पालन होगा। गंगा के आसपास लगे औद्योगिक संस्थानों की भी जल्द ही बैठक होगी। प्रदूषित जल गंगा में छोड़ने की मनाही का पालन उन्हें भी करना होगा। इंडस्ट्रीज को प्रदूषित जल के शुद्धीकरण प्लांट को दुरुस्त रखना होगा। उसी जल को फिर से औद्योगिक उपयोग में लाना होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि 31 मार्च 2015 तक इन सभी उद्योगों में प्रदूषण की ऑनलाइन निगरानी के उपकरण लगा दिए जाएं।

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लगभग 900 उद्योगों की गंदगी गंगा में प्रवाहित हो रही है। इसके अलावा बड़ी तादाद में शहरी क्षेत्रों का सीवर भी बिना ट्रीट किए ही गंगा में डाला जा रहा है। ऐसे में प्रदूषणकारी उद्योगों की निगरानी व्यवस्था बनने से गंगा को निर्मल रखने में मदद मिलेगी।

गंगा किनारे 764 अति प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयां लगी हैं। उत्तर प्रदेश में 686 प्रदूषणकारी इकाइयां हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में 42, बिहार में 13 व पश्चिम बंगाल में 22 प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं। प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों में 58 फीसदी टेनरीज हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल, ब्लीचिंग और डाइंग, कागज, चीनी व शीतल पेय बनाने वाली औद्योगिक इकाइयां भी हैं। गंगा में सबसे ज्यादा गंदगी उत्तर प्रदेश से खासकर टेनरीज से गिरती है।

तट पर दाह संस्कार पर रोक

सरकार गंगा तट पर दाह संस्कार और पूजा सामग्री के विसर्जन पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। केंद्र ने एक समिति बनाई है जो दाह संस्कार से प्रदूषण को रोकने की प्रौद्योगिकी सुझाएगी। साधु–संतों को भी ये विचार पसंद है। उनका कहना है कि सरकार प्रदूषण रोकने की जिस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगी वह उन्हें स्वीकार होगी।

पीपीपी मॉडल

गंगा स्वच्छता अभियान के लिए सरकार ने पीपीपी मॉडल भी अपनाने का निर्णय लिया है। सरकार पीपीपी के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की संभावनाएं तलाश रही है। ऐसा होने पर निजी कंपनियां ही एसटीपी स्थापित और संचालित करेंगी।

माना जा रहा है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों पर बसे शहरों से निकलने वाले सीवेज को ट्रीट करने पर लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। राज्य सरकारें अगर अपनी ओर से समुचित धनराशि का योगदान नहीं करती हैं तो वैकल्पिक उपाय के रूप में केंद्र पीपीपी के माध्यम से निजी क्षेत्र की मदद लेगा।

गंगा वाहिनी

गंगा निर्मल बनाने के अभियान से आम लोगों को जोड़ने के लिए सरकार गंगावाहिनी का भी गठन करेगी। गंगावाहिनी में आम लोगों के साथ–साथ रिटायर फौजी से लेकर मछुआरे, नाविक और आइटी पेशेवर शामिल होंगे। समर्पित स्वयंसेवकों की यह फौज गंगा को निर्मल बनाए रखने के लिए गांवों और शहरों में स्वच्छता के लिए जागरुकता अभियान और वृक्षारोपण जैसे सामुदायिक कार्यक्रम चलाएगी। गंगावाहिनी सेना टास्क फोर्स की तर्ज पर काम करेगी। इको टास्क फोर्स ने पर्यावरण संरक्षण में मिसाल कायम की है।

गंगा कोष

सरकार ने स्वच्छ गंगा कोष बनाया है। इस कोष में देशवासियों के साथ–साथ अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोग भी दान कर सकेंगे। स्वच्छ गंगा कोष में दान करने वालों को टैक्स में छूट मिलेगी। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे दानदाता देशों के लिए उपकोष भी बनेंगे। स्वच्छ गंगा कोष में जमा होने वाली धनराशि का इस्तेमाल प्रदूषण रोकने, गंगा की जैव विविधता बनाए रखने और घाटों के विकास के लिए किया जाएगा।

निगरानी चौकियां

अगर सरकार ने गंगा सफाई के लिए बिगुल बजा दिया है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अविरल गंगा के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत गंगोत्री से गंगा सागर तक निगरानी चौकियां स्थापित की जाएंगी।

सरकार की रिपोर्ट

गंगा की सफाई पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने

गंगा के लिए पहला विश्वविद्यालय

सरकार गंगा के लिए एक विशेष विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है। इस अनूठे विश्वविद्यालय का नाम गंगा यूनिवर्सिटी ऑफ रिवर साइंसेज होगा। पूरी दुनिया में यह अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा। इसमें नदी प्रदूषण और जल की गुणवत्ता से लेकर नदियों की विभिन्न अवस्थाओं पर अध्ययन किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले छात्रों को नदियों के अध्ययन में डिग्री मिलेगी।

बदल गई तस्वीर

सत्तर के दशक तक गोमुख के पास साधु–संतों की नाममात्र की कुटियाएं होती थीं। अब यहां बड़ी मात्रा में पर्यटक आते हैं, गंदगी फैलाते हैं। ढेरों दुकानें हैं। निकटतम शहर उत्तरकाशी कभी नाममात्र की जनसंख्या वाला होता था लेकिन अब वहां आबादी बेतहाशा बढ़ चुकी है। ऋषिकेश और हरिद्वार हमेशा ही हजारों–लाखों श्रृद्धालुओं से अटे रहने लगे हैं। यहां तब भी कसर रहती है। गंगा का पानी नीला और स्वच्छ दिखता है लेकिन आगे तो प्रदूषण बढ़ता चला जाता है। कमर्शियल दोहन शुरू होने लगता है। हरिद्वार के पास से ही भीमगंगा बैराज से नदी का 95 फीसदी पानी पूर्वी और पश्चिमी गंगा नहरों की ओर रवाना कर दिया जाता है। फिर आगे बढ़ने के साथ ही गंगा के जल का इसी तरह बंटवारा होते चलता है। तमाम नहरें गंगा का स्वच्छ पानी ले तो लेती हैं बदले में इसे मिलता है–शहरों की गंदगी, जहरीले रसायन और कूड़ा–करकट।

उत्तर प्रदेश की 1000 किलोमीटर की यात्रा नदी को जर्जर, बीमार और प्रदूषित कर देने के लिए काफी होती है। इसके बाद ये नदी उबर नहीं पाती। इसका स्वरूप, चरित्र, प्रवाह सभी पर प्रतिकूल असर दिखने लगता है। पूरे उत्तर भारत में गंगा के किनारे इंडस्ट्रीज और कारखानों की बड़ी तादाद खड़ी हो चुकी है। रोज हजारों–लाखों गैलन रासायनिक कचरा धड़ल्ले से नदी में निकलता है। तमाम शहरों की सीवेज लाइनों का जो बोझ, सो अलग। आधिकारिक तौर पर सौ मिलीलीटर पानी में 500 कॉलिफार्म बैक्टीरिया प्रदूषण को सामान्य माना जाता है। ये पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें नहाने आदि से बीमारियों का खतरा नहीं रहता लेकिन उत्तर भारत के शहरों से निकलने वाली गंगा में प्रदूषण इतना ज्यादा है कि कल्पना भी कठिन है। एक अनुमान के अनुसार वाराणसी और कानपुर में प्रदूषण 60 हजार कॉलिफार्म बैक्टीरिया प्रति सौ मिलीलीटर है। समझा जा सकता है कि जिस पानी में प्रदूषण की मात्रा सामान्य मानकों से इतनी ज्यादा है, उसका इस्तेमाल करने वालों की क्या हालत हो सकती है। इस पानी में मूल गंगा का एक फीसदी भी चरित्र नहीं होता।

विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ये पानी त्वचा रोगों को बढ़ा सकता है और बिल्कुल इस्तेमाल के लायक नहीं है। जबर्दस्त प्रदूषण के चलते गंगा में अब अपने पानी को खुद साफ करने और बैक्टीरिया को मारने की ताकत काफी हद तक खत्म हो चली है। दुनियाभर की नदियों में ये अकेली गंगा ही थी, जो खुद में विद्यमान वैक्टीरियोफेजेस विषाणुओं के जरिए पानी में दूसरे हानिकारक बैक्टीरिया और तत्वों को पनपने नहीं देती थी। अफसोस अब ऐसा नहीं रहा। इसका कारण भी जरूरत से ज्यादा विषाक्त प्रदूषण है। इसके चलते नदी में पलने वाले जीव–जंतु, 130 से ज्यादा प्रजातियों की मछलियां, कछुए, डाल्फिन मरने लगे हैं।

गंगा के किनारे बसे शहरों और नगरों में सैकड़ों सीवेज करोड़ों टन गंदगी रोज नदी में उड़ेलते हैं। गंगा एक्शन प्लान के तहत इन सीवेज पाइप्स को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ने की योजना बनाई गई। कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने भी लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा सरीखे और ऐसे जो अक्सर खराब ही रहते हैं।

अगर प्रदूषण एक बड़ा खतरा है तो बदलता मौसम और ग्लोबल वार्मिंग एक नया खतरा लेकर आया है। यूं तो दुनियाभर में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेकिन इसका असर गंगोत्री ग्लेशियर पर खासा दिख रहा है। क्लाइमेट रिपोर्ट कहती है कि गंगा नदी को पानी मुहैया कराने वाले ग्लेशियर जिस तेजी से सिकुड़ और पिघल रहे हैं, उससे चलते अगले कुछ दशकों में इनका नामोनिशान मिट सकता है। तब गंगा को मानसून के पानी पर निर्भर रहना पड़ेगा।

वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट आगाह करती है कि अगर गंगा खतरे में है तो तय मानिए कि फिर करोड़ों लोगों का जीवन भी खतरे में है और सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरणीय संतुलन में होगा। काश लोग अभी भी चेतें और गंगा को बचाने की मुहिम में साथ दें।

नदी की स्वच्छता के संबंध में अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि उपायों का खाका पेश किया।

इसके अनुसार इसमें करीब अठारह साल लगेंगे। गंगा किनारे के 1१७ शहरों की पहचान सुनिश्चित की गई है, जिसके तहत सबसे पहले सेनिटेशन, वॉटर वेस्ट ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखा जाएगा। गंगा की सफाई के लिए चरणबद्ध योजना तैयार की गई है। अल्पावधि उपायों के लिए तीन साल, मध्यम अवधि के लिए उसके बाद पांच साल और दीर्घावधि के लिए 10 साल और उससे आगे की समय–सीमा तय की गई है।

मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय–सीमा गंगा बेसिन में बसे पांच राज्यों के साथ विचार–विमर्श के बाद तैयार की गई है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव

—शिशिर सिन्हा

कहते हैं कि गांवों की हवा में जो ताजगी है, वो शहरों में कहां। शहरों के मुकाबले गांवों में वायु एवं शोर प्रदूषण काफी कम है। फिर भी अगर गांवों में रहने वाले बीमार हैं तो उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एक वजह हो सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत इस बात की है कि बीमारी नहीं होने का इंतजाम किया जाए। स्वच्छ भारत अभियान इसी दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।

देश का आर्थिक विकास नागरिकों के आर्थिक विकास पर टिका है। लेकिन जब नागरिकों के एक बड़े समूह का विकास धीमा पड़ जाए या कुछ के लिए रुक जाए, तो क्या होगा? पूरे आर्थिक विकास, जिसे हम जीडीपी भी कहते हैं, के बढ़ने की दर पर असर पड़ेगा। ये बात और भी गंभीर हो जाती है जब नागरिकों का एक बड़ा समूह गांवों में रहता हो।

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि देश में 5.97 लाख (पूर्ण संख्या – 5,97,608) से भी ज्यादा आबाद गांव हैं। इन गांवों में 83.37 करोड़ (पूर्ण संख्या – 83,37,48,852) लोग रहते हैं। अब एक नजर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (National Sample Survey or NSS) के नतीजों पर जो बताते हैं कि 59.4 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में शौचालय नहीं हैं। यानी ये परिवार खुले में शौच करने के लिए विवश हैं।

खुले में शौच और आर्थिक विकास के बीच क्या सम्बंध है? खुले में शौच, बीमारी को खुला न्यौता है। उस पर जब बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो तो बीमारी बढ़ेगी ही। काम पूरी तरह से या ठीक ढंग से नहीं करने का कारण बनती है बीमारी। इसका असर होता है उत्पादकता पर। अब यदि ऐसे बीमारों की संख्या ज्यादा होगी उत्पादकता में बड़े पैमाने पर कमी होगी। ये कमी केवल परिवार, समाज, गांव, कस्बे, जिला या राज्य पर ही नहीं, बल्कि पूरे देश के आर्थिक स्थिति पर असर डालती है।

याद कीजिए बापू को। करीब 89 वर्ष पहले 'नवजीवन (मई 24, 1925)' में उन्होंने लिखा कि हमारी कई बीमारियों का कारण हमारे शौचालयों की स्थिति और किसी जगह व हर जगह शौच करने की बुरी आदत है। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जहां स्वच्छता होती है, वहां देवता निवास करते हैं। बीते दिनों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "स्वच्छता और भक्ति भाव से सबसे बड़ा लाभ अच्छी सेहत के रूप में मिलता है। हमारे देश में ज्यादातर आम बीमारियां ऐसी हैं जो स्वच्छ माहौल में कतई नहीं फैल सकती हैं। अगर हम इसे सफल क्रांति में तब्दील कर देते हैं तो इलाज पर लोगों का खर्च काफी कम हो जाएगा तथा इस तरह से वे अपनी बचत का कहीं और बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकेंगे।"

स्वच्छता को आप कैसे परिभाषित करेंगे? 2011 में जारी एक रिपोर्ट, जिसका शीर्षक भारत में अपर्याप्त स्वच्छता के आर्थिक प्रभाव (इकोनॉमिक इम्पेक्ट ऑफ इनएडिक्वेट सेनिटेशन इन इंडिया) है, कहता है कि स्वच्छता दरअसल, मानव मलमूत्र, ठोस कचरा, और गंदे पानी की निकासी के प्रबंधन का निष्कर्ष है। यह रिपोर्ट विभिन्न

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की वित्तीय सहायता और विश्व बैंक के प्रबंधन के तहत चल रहे वॉटर एंड सेनिटेशन प्रोग्राम ने तैयार की है। यह रिपोर्ट मानव मलमूत्र के बेहतर प्रबंधन और उससे जुड़े स्वास्थ्य चलन पर केंद्रित है। इसके पीछे दलील दी गई कि ऐसा करने के पीछे मंशा भारतीयों और खासकर गरीब भारतीयों पर स्वास्थ्य की लागत को खास महत्व देना है। वैसे स्वच्छता के दूसरे कारकों का महत्व कम नहीं है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि ज्यादातर गरीब भारतीय कहां रहते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, अपर्याप्त स्वच्छता की वजह से वर्ष 2006 में 2.44 खरब रुपये या प्रति व्यक्ति 2,180 रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। ये सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 6.4 प्रतिशन के बराबर है। इसमें स्वास्थ्य पर होने वाला असर अकेले 1.75 खरब रुपये (कुल असर का 72 प्रतिशत) की हिस्सेदारी रखता है। कुल नुकसान में चिकित्सा पर होने वाले खर्च का अनुमान 212 अरब रुपये और बीमार होने से उत्पादकता के नुकसान का अनुमान 217 अरब रुपये लगाया गया।

रिपोर्ट ने अपर्याप्त स्वच्छता से होने वाले असर को चार वर्गों में बांटा गया है। पहला असर स्वास्थ्य से जुड़ा है। इसमें डायरिया और दूसरी बीमारियों से बच्चों की मौत शामिल है। इसके अलावा, चिकित्सा पर होने वाले खर्च और बीमारी की सूरत में मरीज और तीमारदारों की उत्पादकता में कमी का जिक्र है। दूसरा असर पीने की पानी को लेकर है जिसमें पानी पीने लायक बनाने व बोतलबंद पानी खरीदने पर खर्च और दूर से पानी लाने पर समय का नुकसान शामिल है।

तीसरा असर स्वच्छता की सुविधाओं के इस्तेमाल तक पहुंचने में लगने वाले समय को लेकर है। सामुदायिक शौचालय के इस्तेमाल या खुले में शौच जाने में समय लगता है। इसके साथ ही स्त्रियों के लिए विद्यालयों में शौचालय नहीं होने से पढ़ाई–लिखाई छोड़ने का नुकसान है। चौथा असर, ग्रामीण पर्यटन को लेकर है। अपर्याप्त स्वच्छता की वजह से पर्यटकों की संख्या तो कम होती है जिससे आमदनी कम होगी। इसके साथ ही विदेशी सैलानियों के बीच पेट की बीमारी मुमकिन है, जिससे वो यहां आने से हिचकेंगे।

रिपोर्ट में स्वच्छता पर निवेश के फायदे की भी चर्चा की गई। विभिन्न अध्ययनों के हवाले से कहा गया कि अतिरिक्त स्वच्छता और साबुन से हाथ धोने जैसे साफ–सफाई के तरीके अपनाए जाने से 2006 में ही अकेले 3.46 लाख मौतें नहीं होती, 33.8 करोड़ बीमारी के मामले नहीं आते और कम से कम 1.7 अरब कार्यदिवस बचाए जा सकते थे। यह भी अनुमान लगाया गया कि 1.48 खरब रुपये का सालाना आर्थिक फायदा होता, जबकि प्रति व्यक्ति फायदा 1,321 रुपये का होता।

इस बात को आगे बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के हवाले से कहा कि गंदगी के कारण हर वर्ष भारत के प्रत्येक नागरिक को करीब 6500 रुपये का अतिरिक्त नुकसान झेलना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर सुखी घर के लोगों को निकाल दिया जाए तो ये औसत 12–15 हजार रुपये हो सकती है।

कहते हैं कि बीमारी कहकर नहीं आती। साथ ही आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं करती। लेकिन जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं और जो स्वच्छता के साधन पर खर्च करने की हैसियत रखते हैं, उनके लिए बीमारी से बचने का रास्ता बन जाता है। परेशानी तो उन्हें होती है जिन्हें ये साधन उपलब्ध नहीं। इसी दर्द को 2 नवम्बर को अपने रेडियो संबोधन, 'मन की बात' में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कुछ इस तरह से रखा, "गन्दगी से बीमारी आती है, लेकिन बीमारी कहां आती है। अमीर के घर में आती है क्या ? बीमारी सबसे पहले गरीब के घर पर ही दस्तक देती है। अगर हम स्वच्छता रखते हैं तो गरीबों को सबसे बड़ी मदद करने का काम करते हैं। अगर मेरा कोई गरीब परिवार बीमार नहीं होगा तो उसके जीवन में कभी आर्थिक संकट भी नहीं आएगा। वो स्वस्थ रहेगा तो मेहनत करेगा, कमाएगा, परिवार चलाएगा। और इसलिए मेरी स्वच्छता का सीधा सम्बन्ध मेरे गरीब भाई–बहनों के आरोग्य के साथ है। हम गरीबों की सेवा कर पाएं या न कर पाएं हम गन्दगी न करें तो भी गरीब का भला होता है। इसको इस रूप में हम लें तो अच्छा होगा।"

बात बस इतनी ही नहीं। स्वच्छता के लिए जरूरी साधन तक खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों का रास्ता नहीं खुलेगा तो उससे भी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। इसका भी सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को उठाना पड़ता है। कई रिपोर्ट में ये मुद्दा उठा है कि इस वजह से बालिकाएं विद्यालय नहीं जाती और महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में पूरी तरह से योगदान नहीं कर पाती। 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, "बेचारी गांव की मां–बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं आता है, वो शौच के लिए नहीं जा पाती हैं। उनके शरीर को कितनी पीड़ा होती है, कितनी बीमारियों की जड़ें, उसमें से ही शुरू होती होंगी। क्या हमारी मां–बहनों की इज्जत के लिए हम कम–से–कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते?"

स्वच्छता को लेकर चिंता का ये एक पहलू है। अब इससे निपटने के लिए कई पहल की गईं। एक ओर जहां शहरों के साथ–साथ ग्रामीण इलाकों के विद्यालयों में खासतौर पर बालिकाओं के लिए शौचालय बनाने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक ताजा फैसले के तहत निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) में पुनर्गठित कर दिया गया है। नई योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोग घर निर्माण के तहत शौचालय बनाएं, इसके लिए ग्रामीण

इलाके में हर घर में शौचालय बनाने के लिए वित्तीय मदद 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी गई। इस रकम में पानी की उपलब्धता, हाथ धोने की सुविधा और शौचालय साफ रखने के लिए जरुरी सुविधा तैयार करने पर होने वाला खर्च भी शामिल है।

विद्यालयों में कन्याओं के लिए शौचालय बनाने की जिम्मेदारी जहां मानव संसाधन मंत्रालय के तहत आने वाले स्कूलों शिक्षा और साक्षरता विभाग को सौंपी गयी है, वहीं आंगनवाड़ी शौचालयों के मामले में ये काम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करेगा। इंदिरा आवास योजना में चालू शौचालय बनाने का प्रावधान होगा जिसके लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से पैसा दिया जाएगा। अभी तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के जरिए कुछ पैसा घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाता था। ये पैसा अब मिशन के जरिए मिलेगा।

स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन की रणनीति में लोगों के आचार–व्यवहार में परिवर्तन लाना तो है ही, साथ ही आबादी के एक बड़े हिस्से को शौचालय का निर्माण करने व उनके इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना है। इस मामले में समुदाय की अहम जिम्मेदारी होती है, इसीलिए उनके भीतर भी जागरुकता लानी होगी। प्रचार–प्रसार के विभिन्न माध्यमों से स्वच्छता और स्वस्थ तरीके अपनाने के लिए लोगों तक संदेश पहुंचाया जाएगा।

स्वच्छता अभियान में शौच व्यवस्था के अतिरिक्त ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन पर भी जोर दिया गया है। क्योंकि शौच की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, लेकिन गांवो में जगह–जगह कचरा फैला रहे, गंदा पानी फैला रहे तो इससे इंसान ही नहीं, पशु धन को भी नुकसान होगा। इसे ध्यान में रखते हुए नई योजना में कचरा प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था और वित्तीय सहायता के प्रावधानों को बरकरार रखा गया है जिसके तहत केंद्र, राज्य एवं ग्रामीण समुदाय मिलकर खर्च करेंगे।

वैसे तो ग्रामीण इलाके में स्वच्छता को लेकर योजनाएं तो काफी समय से चल रही हैं। मसलन, 1999 तक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्यों को मदद दी जाती थी। इसके बाद 1999 से 2012 तक कुल स्वच्छता अभियान के तहत मदद दी जानी लगी। इसके बाद शुरू हुआ निर्मल भारत अभियान। लेकिन अपेक्षित नतीजे नहीं मिले। 2011 की जनगणना के मुताबिक, ग्रामीण इलाके में रहने वाले 32.7 प्रतिशत परिवारों को ही समुचित शौचालय की सुविधा थी, वहीं 2013 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण में ये 40.6 प्रतिशत तक पहुंचने की बात कही गई।

इसी सब के मद्देनजर 2019 तक सभी ग्राम पंचायतों को खुले शौच से मुक्त करने और ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता की व्यवस्था बेहतर करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें चार बातों पर खास ध्यान होगा–

- हर ग्रामीण परिवार के लिए पृथक शौचालय के साथ सामूहिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, विद्यालय व आंगनबाड़ी शौचालय की व्यवस्था। सभी ग्राम पंचायतों में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था।
- सूचना, शिक्षा व संचार और व्यक्तिगत संचार के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाना।
- क्रियान्वयन एवं वितरण को मजबूत करना।
- ग्राम पंचायत और परिवार के स्तर पर शौचालय का केवल निर्माण ही नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल की निगरानी करना जिससे स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सके।

कोशिश बस इतनी नहीं कि गांव में व्यक्ति स्वस्थ रहे, बल्कि वो अर्थव्यवस्था में खुलकर योगदान कर सके। ये अफसोस की बात है कि कृषि की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 14 प्रतिशत तक सिमट कर रह गई है। अब अगर इसे बढ़ाना है तो वैज्ञानिक तरीके से खेती, उन्नत किस्म के बीज, प्राकृतिक खाद, सस्ता कर्ज और कृषि उत्पादों के लिए समुचित मूल्य व उचित बाजार के साथ–साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा कि किसान स्वस्थ रहे, खेतों पर काम करने वाला मजदूर स्वस्थ रहे और वातावरण स्वस्थ रहे।

हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का दायरा अब सिर्फ खेतीबाड़ी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अत्यंत छोटे–छोटे उद्यमों और खासतौर पर बगैर मशीन के चलने वाले उद्यम मसलन हस्तकारी और शिल्पकारी को अपने दायरे में ले चुका है। स्वस्थ श्रमशक्ति के लिए अगर खेतीबाड़ी में समुचित काम नहीं मिल पाता तो वे इन उद्यमों के जरिए अपनी और अपने परिवार की जीविका चला सकेंगे।

आज शहरों में ग्रामीण इलाके से पलायन बढ़ रहा है। हालांकि शहरों में ग्रामीणों को कोई बेहतर स्वच्छ माहौल भले ही नहीं मिल पाता हो, फिर भी गांवों में रोजगार की कमी उन्हें शहर जाने के लिए मजबूर करती है। अब यदि स्वच्छ और स्वस्थ गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो ग्रामीण शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे।

तो आइए, अंत में एक बार फिर वो शपथ ले जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर को देशवासियों को दिलायी थी : "महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना की थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें।"

(लेखक संप्रति 'द हिंदू' बिजनेस लाइन में डिप्टी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इसके पूर्व अमर उजाला, सीएनबीसी, आवाज और आज तक से जुड़े रहे। संसदीय और सरकार की आर्थिक गतिविधियों पर नियमित लेखन।

ई–मेल : hblshishir@gmail-com

क्यों हो स्वच्छ भारत

—मनोज श्रीवास्तव

हमें स्वच्छ भारत बनाना है तो हम सिर्फ झाड़ू लगाकर भारत को स्वच्छ नहीं बना सकेंगे। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें ऐसा माहौल बनाना होगा कि सड़क पर कचरा ही न फैले। इसके लिए हमें नैतिक बल तो दिखाना होगा साथ ही हमें इसके लिए दण्डात्मक व्यवस्था भी लगानी होगी। यानी कुल मिलाकर हमें भारत को स्वच्छ बनाना है तो मात्र यह गंदगी व प्रदूषण झाड़ू से नहीं, स्वयं की सोच में परिवर्तन से दूर होगी।

स्वतंत्रता के 67 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत विकासशील देश से विकसित देश की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत गांवों का देश रहा है पर आज के संचार युग में भारत का पिछड़ा गांव भी 'ग्लोबल विलेज' में बदल गया है। एक क्लिक पर भारत विश्व के किसी भी कोने से जुड़ जाता है। भारत हर तरफ आगे बढ़ रहा है। बाजारवाद में भारत ने खुद को स्थापित कर लिया है पर भारत आज भी एक बड़ी चीज से निजात नहीं पा सका है जिसे गंदगी कहें, कचरा या प्रदूषण। भारत के जिस भी हिस्से में हम देखें हमें गंदगी का अम्बार दिखाई देता है। भारत में हर चीज के लिए बड़े–बड़े आंदोलन व धरने देखने को मिलते रहे हैं पर गंदगी को हमने छोटा समझा। इसके लिए छोटे–छोटे स्तर पर प्रदूषण के खिलाफ तो आवाज उठी पर समग्र रूप में गंदगी को दूर करने का प्रयास नहीं हुआ था। महात्मा गांधी जिन्हें आदर्श माना जाता है वो गंदगी के खिलाफ थे एवं स्वयं सफाई अभियान चलाते थे पर उनकी सोच भी सम्पूर्णता नहीं पा सकी। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से तो मुक्त करा दिया पर गंदगी से वो भी भारत को मुक्त नहीं करा पाए; न ही गंदगी को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना सकें।

2014 में भारत में एक युग का परिवर्तन होता है और राजनीतिक शिखर पर एक बड़ा नाम नरेन्द्र मोदी के रूप में उभरा और उन्होंने कांग्रेस को परास्त कर भाजपा के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय जैसे आदर्शों को सामने रखकर कार्य करने का निर्णय लिया और 15 अगस्त को लालकिले से उन्होंने सबसे बड़ा संदेश जो दिया उससे पूरे देश में शौचालय बनाने पर बल दिया और महिलाओं व बच्चियों के लिए अलग से शौचालय निर्माण की बात की। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी के आदर्श को सामने रखकर भारत को गंदगी मुक्त करने का अभियान शुरू करने की बात की और 2 अक्टूबर, 2014 को 'स्वच्छ भारत' अभियान का शुभारम्भ कर दिया जिसमें उन्होंने 2019 तक भारत को 'कचरा मुक्त भारत' बनाने का संदेश दिया। इस कार्य को बड़ा रूप देने के लिए उन्होंने सचिन तेन्दुलकर, अनिल अम्बानी, सलमान खान, शशि थरूर सरीखे 9 लोगों को चयनित कर ऐसे ही 9 का दल बनाने की बात की और उन्होंने स्वयं बाल्मिकी आश्रम में झाड़ू लगाकर अभियान शुरू किया और देखते–देखते उनके सभी मंत्री, केन्द्रीय कर्मचारी, सब लोग इस अभियान से जुड़ गए। झाड़ू चुनाव चिन्ह वाले 'आप' पार्टी के प्रमुख अरविन्द केजरीवाल ने भी सफाई

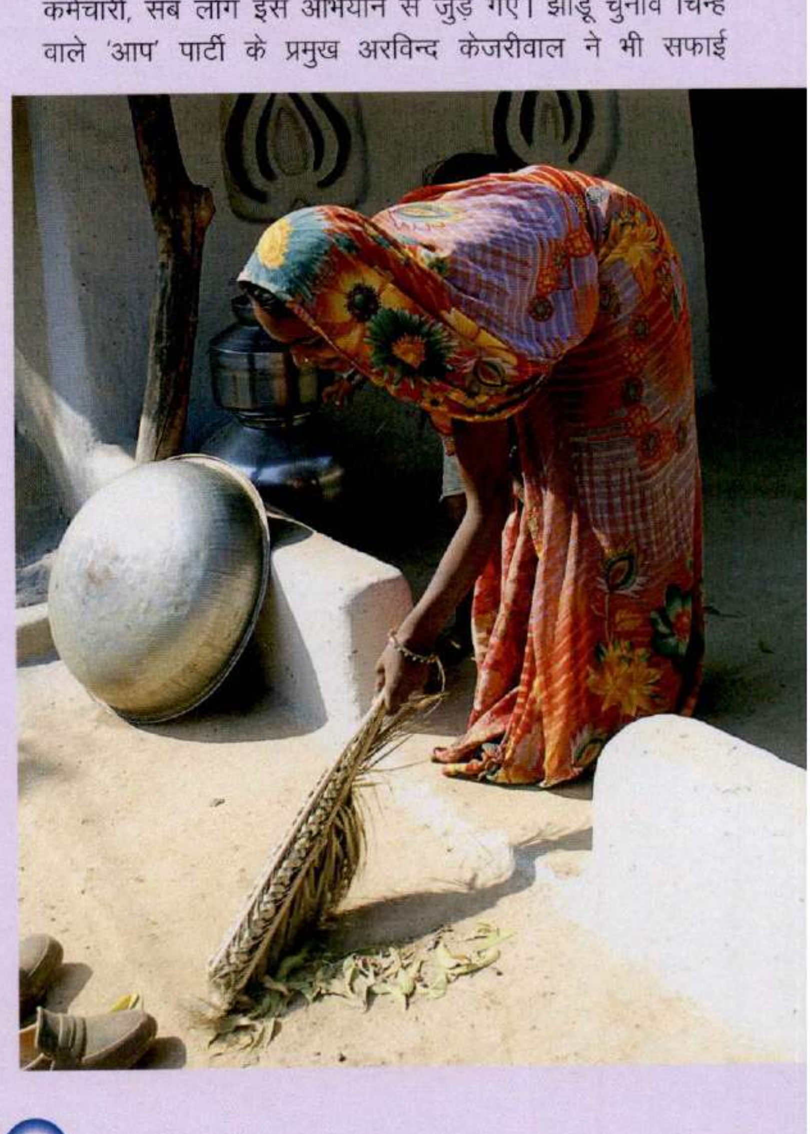

अभियान में भागीदारी की। हम सभी लोगों ने भी झाडू लगाकर एवं गंदगी हटाकर सफाई अभियान में अपना योगदान दिया।

हमें स्वच्छ भारत बनाना है तो हम सिर्फ झाडू लगाकर भारत को स्वच्छ नहीं बना सकेंगे। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें ऐसा माहौल बनाना होगा कि सड़क पर कचरा ही न फैले। इसके लिए हमें नैतिक बल तो दिखाना होगा साथ ही हमें इसके लिए दण्डात्मक व्यवस्था भी लगानी होगी क्योंकि जब हम भारत में मेट्रो स्टेशन पर थूकने पर 200 रुपये के जुर्माने का बोर्ड पढ़ते हैं तो हम थूक आने पर भी अपनी थूक गटक जाते हैं। हम सिंगापुर एवं अन्य देशों का उदाहरण देखते हैं कि वहां पर गंदगी फैलाने पर कितना जुर्माना लगता है। यानी कुल मिलाकर हमें भारत को स्वच्छ बनाना है तो मात्र यह गंदगी व प्रदूषण झाडू से नहीं, स्वयं की सोच से दूर होगी। आइए हम देखे कि कैसे होगा हमारा भारत स्वच्छ?

- हमें सबसे पहले जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जल और वायु को स्वच्छ बनाना होगा। हम जैसे एक्वागार्ड लगाकर घर में पानी साफ कर लेते हैं वैसा ही प्रयास हमें सार्वजनिक पानी के स्रोतों की स्वच्छता पर देना होगा – हमें नदियों–गंगा, यमुना एवं अन्य जल को 'प्रदूषण मुक्त' बनाना होगा। इसके लिए पहला सार्थक प्रयास यह होगा कि हम स्वयं कचरा न डालें। पूजन सामग्री, घर की मूर्तियां या प्लास्टर ऑफ पेरिस व केमिकल युक्त दुर्गा, गणेश प्रतिमा नदियों में विसर्जित न करें। वहीं बड़े स्तर पर उद्योगों का अपशिष्ट, सीवर का गंदा पानी नदियों में जाने से रोकें। एसटीपी व ईटीपी व्यवस्था को बेहतर कर पानी को शोधित कर उसे सिंचाई में प्रयुक्त करें।
- हमें वायु प्रदूषण रोकने के लिए सीएनजी व एलपीजी गैसों व इलेक्ट्रॉनिक बैटरी चालित वाहनों का प्रयोग करना होगा। साथ ही, वाहनों में प्रदूषण की नियमित जांच करानी होगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगे, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की भी हमें समुचित व्यवस्था करनी होगी। हमें अम्लीय वर्षा रोकने का प्रयास करना होगा, ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करना होगा। एसी, फ्रिज से निकलने वाली ओज़ोन गैस पर नियंत्रण लगाना होगा जिससे ओज़ोन छिद्र को कम किया जा सके। शवों को खुले में जलाने से वातावरण में फैलने वाले प्रदूषण को हमें विद्युत शवदाह गृह के माध्यम से कम करना होगा। धार्मिक रीति–रिवाज के अनुरूप गंगा–यमुना में मृत पशुओं व बच्चों के शवों को नहीं बहाना होगा।
- खुले में शौच करने वाली व्यवस्था को रोकना होगा। नदी तटों को तो इससे पूरी तरह मुक्त करना होगा। शौच से फैलने वाली गंदगी व प्रदूषण पर नियंत्रण लगाना स्वच्छ भारत का पहला कदम होगा। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा शौचालय के लिए जैसा प्रयास हुआ है वैसा ही प्रयास पूरे भारत में किया जाए। सरकारी व निजी शौचालय न केवल बने वरन् उनका समुचित प्रयोग हो सके इसके लिए प्रचार–प्रसार माध्यम से लोगों को जागरूक करना होगा। इससे महिला सुरक्षा व स्वास्थ्य दोनों ही सुरक्षित हो सकेगा। साथ ही उ.प्र. के कुशीनगर की प्रियंका जैसी तमाम औरतों को अपने ससुराल से शौचालय के अभाव में वापस न लौटना पड़े।
- भारत में कृषि कार्य में प्रयुक्त मृदा में रासायनिक खाद व कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है, भूमि को बंजर बनाता है, वहीं भूमिगत जल को भी प्रभावित करता है। नदी तट के गांवों में रसायन का प्रयोग नदियों के जल को प्रभावित करता है। हमें रासायनिक खेती की जगह जैविक एवं प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना होगा। यह स्वच्छ भारत का एक और बड़ा कदम होगा।
- स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो एक और अनिवार्य व बड़ा कदम है वह है, ठोस अपशिष्ट का निपटान करना। जिसमें हम सबसे बड़े रूप में प्लास्टिक व पॉलिथीन को ले सकते हैं। आज पॉलिथीन संस्कृति की सस्ती सुविधा ने मनुष्य को सिर से पांव तक पॉलिथीन में कैद कर लिया है। खाने–पीने का समान हो– दूध, दही, चाय, घी, सब्जी, आटा, चावल, दाल सब इसमें ही पैक है। इसने झोला संस्कृति को नष्ट कर दिया है। लोग पॉलिथीन का प्रयोग कर इसे नालियों में फेंक देते हैं जो नालियों को जाम कर देता है जिससे बारिश में मुहल्लों में पानी भर जाता है। वही ये बहकर गंगा, यमुना एवं अन्य नदियों को प्रदूषित कर इनके तटों को गंदा करते हैं और नदियों के प्रवाह को भी प्रभावित करते हैं। पॉलिथीन भूमिगत जल स्रोत को भी प्रभावित करता है। और जिस सफाई की बात आज हो रही है उस गंदगी का 80 प्रतिशत पॉलिथीन की वजह से ही है क्योंकि बाकी गंदगी तो बायोडिग्रेडेबल है एवं नष्ट भी हो जाती है पर पॉलिथीन कचरा नॉन–बायोडिग्रेडेबल है जिसके कारण वह 100 साल में भी नष्ट नहीं होता और चारों तरफ फैला रहता है। नगर निगम जैसी सरकारी संस्था उसका सही से निपटान भी नहीं कर पाती है। स्वच्छ भारत के मार्ग का पॉलिथीन कचरा सबसे बड़ा रोड़ा है।
- **ई–वेस्ट** – आज के इस दौर में गंदगी का एक बड़ा प्रारूप ई–वेस्ट से फैलने वाला कचरा भी है क्योंकि भारत में मोबाइल, कम्प्यूटर आदि का कचरा दूर तक फैला रहता है इसका उचित निपटान नहीं हो पाता है। कार्बन क्रेडिट की बात होती है पर यह लाभ कार्बन उत्पन्न करने वाली

कम्पनियों को ही कार्बन क्रेडिट के रूप में मिलता है। भारत में हम अभी भी इसे हटा नहीं पाए हैं, यह स्वच्छ भारत की एक बड़ी बाधा है।

- गंदगी को दूर करने के कई प्रारूप हम देख रहे हैं। उनमें ही हम ध्वनि प्रदूषण व शोर को भी देखते हैं जो कान फोडू साउण्ड, डी.जे., बैण्ड प्रेशर, हार्न व पटाखों के शोर से होता है। आज इस गंदगी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पार्टियों में शोर की वजह से लोग बात भी नहीं कर पाते हैं। श्रवण शक्ति के कई गुना अधिक डेसिबल का प्रयोग होता है। हम इसे कम नहीं कर पा रहे जो गंदगी के रूप में हमें प्रभावित करता है। इसके शोर से हमें नियंत्रण पाना होगा नहीं तो मानसिक अवसाद व चिढ़चिढ़ेपन से हम परेशान होते रहेंगे।
- शोर का एक बड़ा प्रारूप हमें पटाखों से देखने को मिलता है जो शादी–विवाह मे देर रात्रि तक बजता है। वहीं दीपावली जैसे पर्व पर तो अरबों रुपये के प्रतिबन्धित पटाखे बजाए जाते हैं जिसका स्वरूप बड़ी गंदगी के रूप में दीपावली की अगली सुबह के रूप में हम देखते हैं जो वातावरण को प्रदूषित कर अम्लीय वर्षा का भी कारक बनता है। स्वच्छ भारत अगर बनाना है तो हमें आतिशबाजी बन्द कर उसे प्रतिबन्धित करना होगा।
- शहर में पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं जो मल–मूत्र, गंदगी आदि सड़क पर फैलाते हैं। नदियों में जाकर उसके पानी को प्रदूषित कर डालते हैं। सड़क पर घूमने वाले गाय, बैल, भैंस, सांड, कुत्तों से फैलने वाली गंदगी हमें हर हाल में रोकनी होगी। सूअर भी गंदगी फैलाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन पर पाबंदी लगानी होगी। लावारिस पशुओं को पकड़ना होगा और यदि उसका मालिक है तो उस पर बड़ी पेनल्टी लगानी होगी।
- स्लाटर हाउस से फैलने वाले रक्त व चमड़े के कचरे को फैलने से रोकना होगा। मांस का व्यवसाय खुले में न हो इसे भी रोकना होगा और अगर इससे गंदगी फैले तो हमें इसका व्यवसाय करने वालों को दण्डित करना होगा।
- अब गंदगी फैलाने वाले सारे कारकों में सबसे बड़ा कारक जो हमें देखने में छोटा लगता है पर पूरे भारत विशेषकर उत्तर भारत को अपनी पूरी गिरफ्त में लिए है। जो थूकने की संस्कृति पिच–पिच करने में हम भारतीय अपनी शान समझते हैं। एक तो हम साधारण थूक को सड़क पर थूकते हैं वहीं दूसरी ओर रंगीन थूक से भी पूरे भारत के सार्वजनिक स्थलों, ऑफिस, बैंक आदि को रंगने में हम कहीं भी पीछे नहीं दिखते। इसका बड़ा कारण हम तम्बाकू, गुटका, खैनी व पान के रूप में खाकर थूकते हैं। पान खाने वाला या गुटका खाने वाला उसे घोंटता नहीं है उसे वह पीक बनाकर थूकता है। कुछ लोग सभ्य बनकर उसे बेसिनों में कुछ बाथरूम में या कुछ डस्टबिन में थूकते हैं पर यहां–जहां थूकते हैं वो स्थान गंदा ही होता है।

लोग पान खाते हैं, मुंह खोला व वहीं पिच मारी। लोग कार मोटर, रेल में चलते–चलते थूकते हैं जिससे सड़क तो गंदी होती है कभी–कभी लोगों पर भी यह थूक पड़ती है। लोगों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। जब तक थूकने पर पेनल्टी व चालान नहीं लगेगा लोग नही मानेंगे। बेचने वाले व खाने वाले दोनों को बराबर का दोषी मानकर सजा देनी होगी। नहीं तो हम कितना भी झाड़ू लगा ले कुछ नहीं होगा क्योंकि थूकने वालों की संख्या झाड़ू लगाने वालों से ज्यादा हैं।

हमारे प्रधानमंत्री जी को आज कुछ करना है तो झाड़ू उठाने से पहले थूकने वालों के मुंह पर टेप लगाना होगा। आज बड़े शान से गुटका खाकर लोग गंगा में थूकते हैं पर उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। हमारे योग गुरू रामदेव कहते हैं कि सिंगापुर में च्यूइंग गम खाना भी जुर्म है पर भारत में तो खईके पान बनारस वाले मुम्बई तक फैले हैं। इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाना होगा। इसे राजस्व का साधन न मानकर पान, गुटका, सिगरेट, शराब सब पर सार्वजनिक रूप से ब्रिकी व खरीद पर साथ ही उपभोग पर रोक लगानी होगी।

स्वच्छ भारत निर्माण करना है तो पहली झाड़ू इन थूकने वाले अपराधियों पर चलाई जाए तो सड़क की गंदगी वैसे ही दूर हो जाएगी। हर चीज में आधुनिक बनने वाले प्रधानमंत्री अगर डिजिटल इण्डिया चाहते हैं तो पॉलिथीन, गुटका, सिगरेट, पान पर तत्काल पाबन्दी लगाएं और सड़क पर एवं गंगा में थूकने पर 500 रु. का जुर्माना लगाएं और पकड़े जाने पर 6 माह की कठोर कारावास की सजा भी हो। हमें प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करना है कि जैसे स्वास्थ्य के लिए सीजीएचएस है वैसे ही केन्द्रीय सफाईकर्मी नियुक्त करने होंगे और सफाई व्यवस्था को नगर निगम को देने से बचना होगा क्योंकि नगर निगम तो राजनीतिक अखाड़ा है, पार्षद व मेयर तो राजनीति करते हैं। नगर आयुक्त एवं अन्य पर्यावरण इंजीनियर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। बाकी भ्रष्टाचार अपना काम करता है। एक सक्षम सफाई की टीम बनानी होगी। एनजीओ को महत्व देना होगा, उनकी आईबी से जांच कराने की जगह उनके कार्यों की गुणवत्ता देख उन्हें मानदेय देकर इस अभियान से जोड़ना होगा। अगर हमें थूकने वाले पर रोक लगानी है तो हर गली–मुहल्ले में चालान करने वाले वॉलन्टियर्स बनाने होंगे। इस कार्य में सीनियर सिटिजन को जोड़ना होगा।

हर शहर में फैलने वाले कचरे का डिस्पोज न केवल खाद बनाने में हो वरन उसे भविष्य के फ्यूल के रूप में भी बनाना

होगा। इसकी शुरुआत जेपी ग्रुप ने पंजाब के चंडीगढ़ में की है। उसे पूरे देश में, हर बड़े शहरों में लागू करना होगा जिससे शहर की सारी गंदगी नष्ट हो जाएगी और यह सस्ता ईंधन भी उपलब्ध कराएगा। सारे देश के म्युनीसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को चंडीगढ़ शहर का उदाहरण लेना होगा जो भारत में स्वच्छता में नम्बर वन जिला है। हरियाली से भरा चारों तरफ सफाई दिखती है क्योंकि लोग यहां सफाई पर बल देते हैं। जहां देखो वहीं दुकान खोलना या सड़क पर रेहड़ी नहीं लगती है।

हमें गंदगी हटानी है तो जलवायु परिवर्तन, जल, वायु, ध्वनि सभी प्रकार के प्रदूषण रोकने होंगे। हमें सक्षम एवं समग्र रूप से रोक लगानी होगी। हमें झाड़ू के साथ–साथ झाड़ू न लगाने पर भी बल देना होगा। यहां दण्ड के स्वरूप को मजबूत बनाना होगा। नहीं तो हम गांधीजी की 150वीं जयंती क्या 200वीं जयंती भी मना लें हम भारत को गंदगी में मुक्ति नहीं दिला पाएंगे। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का गंगा के सन्दर्भ में कहना है कि यही प्रयास रहा तो गंगा 200 साल में भी प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे मेडिसिन स्कवेयर, अमेरिका में जाकर गंगा की सफाई की बात करें या जापान जाकर गंगा को साफ करने का सहयोग मांगें हम गंगा को प्रदूषण मुक्त नहीं कर पाएंगे।

हमें पहले गंदगी फैलाने वालों को रोकना होगा। चाहे जन–जागरुकता कितनी ही हो पर उसमें हमें दण्ड के स्वरूप को भी शामिल करना होगा। पॉलिथीन का प्रयोग करने वाले को पकड़ने पर 500 रुपये का तत्काल जुर्माना लगे। पॉलिथीन को माइक्रॉन के जाल में न उलझाकर उसकी बिक्री पर रोक लगानी होगी। गुटका व तम्बाकू प्रतिबंधित करना होगा न कि पाउच पर सांप, बिच्छू का चित्र बनाकर झूठा डर पैदा करने का दिखावा करना। इससे भारत स्वच्छ नहीं होगा।

हमें दोहरी नीति नहीं अपनानी होगी कि हम सड़क पर गुटका खाकर थूकें और हमारे स्कूल के बच्चे या नौकरी करने वाले या स्वयंसेवी संस्था के लोग गांधीवादी बन झाडू ले उसे साफ करते फिरें, यह उचित नहीं है। हम गंदगी न करने की कसम लेते हैं और लोगों से भी न करने को कहेंगे। न मानने पर पेनल्टी लेने की टोल–फ्री व्यवस्था होनी चाहिए। हां, चालान पुलिस के हाथों में न होकर इसे सीनियर सीटिजन या स्वंयसेवी संस्थाओं के हवाले किया जाए जिन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। जो लोग पेनल्टी लेने वालों की बात न मानें, इनकी शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाए।

हमें प्रदूषण रोकने एवं सफाई कार्य को स्कूली–स्तर पर लेना होगा। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में इसे कोर्स में डाला जाए एवं प्रेक्टिकल अंकों में जोड़ा जाए। एनएसएस, एनसीसी एवं स्काउट में इसे लिया जाए। बच्चों व महिलाओं को बायो–डिग्रेडेबल व नॉन–बायोडिग्रेडेबल कचरे के बारे में बताया जाए और दोनों कचरे को इकट्ठा करने के लिए अलग–अलग डस्टबिन घर से लेकर स्कूल, कॉलेज व सार्वजनिक स्थल पर रखे जाएं। उसका निपटान दो बार किया जाए–एक बार सुबह व दूसरी बार शाम को। कानून का राज स्थापित हो। लोगों की सोच पर झाड़ू लगा कर उन्हें सफाईयुक्त यानी स्वच्छ भारत निर्माण कराने की ओर अग्रसर कर डिजिटल इण्डिया और मेक इन इण्डिया की अवधारणा को साकार करना होगा। हर घर हर स्कूल एवं हर गांव को शौचालय सुविधा देनी होगी। तभी हम प्रदूषण मुक्त स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकेंगे।।

सम्पादक, ग्लोबल ग्रीन्स (पर्यावरणविद्), इलाहाबाद
ई–मेल : featuresunit@gmail.com

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।
शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)
डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।
कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग के नाम नई दिल्ली में देय हो।
नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....
पता ....
.... पिन ....
इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली–110 066

मेक इन इंडिया : दूरदर्शी अभियान

—डॉ. राकेश अग्रवाल

'मेड इन इंडिया' का मिशन भारत को विनिर्माण के बड़े केन्द्र के रूप में स्थापित करने का है। यह संकल्पना औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर निर्यात में वृद्धि और आर्थिक समृद्धि पर आधारित है। इस अभियान का बहुआयामी स्वरूप है। 'मेड इन इंडिया' का सीधा-सा अर्थशास्त्र है- उत्पादन बढ़ाओ, रोजगार के अवसर पैदा करो, क्रयशक्ति बढ़ाओ और विकास प्रक्रिया में सबको लाभ दो।

'भारत में बनाओ' अभियान के पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बहुआयामी विचार परिलक्षित होता है। यह एक दूरदर्शी सोच है। 'भारत को बनाओ' का भाव 'भारत में बनाओ' के भाव में निहित है। 'मेक इन इंडिया' अभियान की सफलता से 'मेड इन इंडिया' का स्वर्णिम स्वप्न पूरा होगा। 'मेड इन इंडिया' अंकित उत्पादों को भारत में बनाओ, उत्पादन बढ़ाओ आज यह एक सुखद पहल है। कल भारत मैनुफैक्चरिंग होम होगा। 'मेड इन इंडिया' का संदेश है– "अपना सामान बनाओ दुनिया भर में पहुंचाओ।" भारत पुरातनकाल से श्रेष्ठ वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी रहा है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुशीलन से तत्कालीन उद्योगों की वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। उस काल में राजकीय, निजी तथा मिश्रित तीनों क्षेत्रों में उद्योग स्थापित थे। कौटिल्य ने वस्त्र, धातु, नमक, रत्न, मदिरा, चर्म, बर्तन, काष्ठ तथा आयुध इत्यादि के कच्चे माल, उत्पादन, किस्म, विक्रय, आदि के सम्बन्ध में विस्तार से वर्णन किया है। कौटिल्य ने दुर्ग, बांध, सड़क आदि बनाने के लिए रचनात्मक उद्योगों का भी उल्लेख किया है। उद्योगों का विकास देश के आर्थिक विकास को गतिमान करता है। यही चिन्तन 'मेक इन इंडिया' के गर्भ में समाहित है।

'मेड इन इंडिया' का मिशन भारत को विनिर्माण के बड़े केन्द्र के रूप में स्थापित करने का है। यह संकल्पना औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर निर्यात में वृद्धि और आर्थिक समृद्धि पर आधारित है। इस अभियान का बहुआयामी स्वरूप है। 'मेड इन इंडिया' का सीधा–सा अर्थशास्त्र है– उत्पादन बढ़ाओ, रोजगार के अवसर पैदा करो, क्रयशक्ति बढ़ाओ और विकास प्रक्रिया में सबको लाभ दो। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत के पास तीन शक्तियां हैं–

- डेमोक्रेसी (प्रभावी प्रजातंत्र)
- डेमोग्राफी (कुशल युवा जनसंख्या)
- डिमांड (भारी मांग)

इन्हीं शक्तियों के कारण विश्व भारत की ओर आकर्षित होता है।

मेड इन इंडिया का ध्येय

- **उत्पादन को बढ़ावा–** 'मेड इन इंडिया' का विज़न व्यापक है। प्रधानमंत्री ने इसमें सभी उत्पादनकर्ताओं से सम्मिलित होने का आह्वान किया है। विदेशों के जो उद्यमी भारत में निवेश के इच्छुक हैं उन सबको इस अभियान में सम्मिलित होने का खुला निमन्त्रण है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र परिर्वतनों और विकास का लाभ उठाने के लिए विदेशी उद्यमियों को भारत में शीघ्र निवेश करना चाहिए। इससे भारत विश्व का बड़ा उत्पादन केन्द्र बनकर जग का कल्याण करेगा। 'मेड इन इंडिया' में उद्यमियों को

शेष पृष्ठ 28 पर ⇨

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

"हमें आपसी मतभेद एवं ऊंच-नीच के अंतर को भूलकर समानता का भाव विकसित करना है   हमें एक ही पिता की संतानों की तरह जीवन व्यतीत करना है।"

–सरदार वल्लभभाई पटेल

सरदार वल्लभभाई पटेल

की जयंती

31 अक्तूबर

राष्ट्रीय एकता दिवस

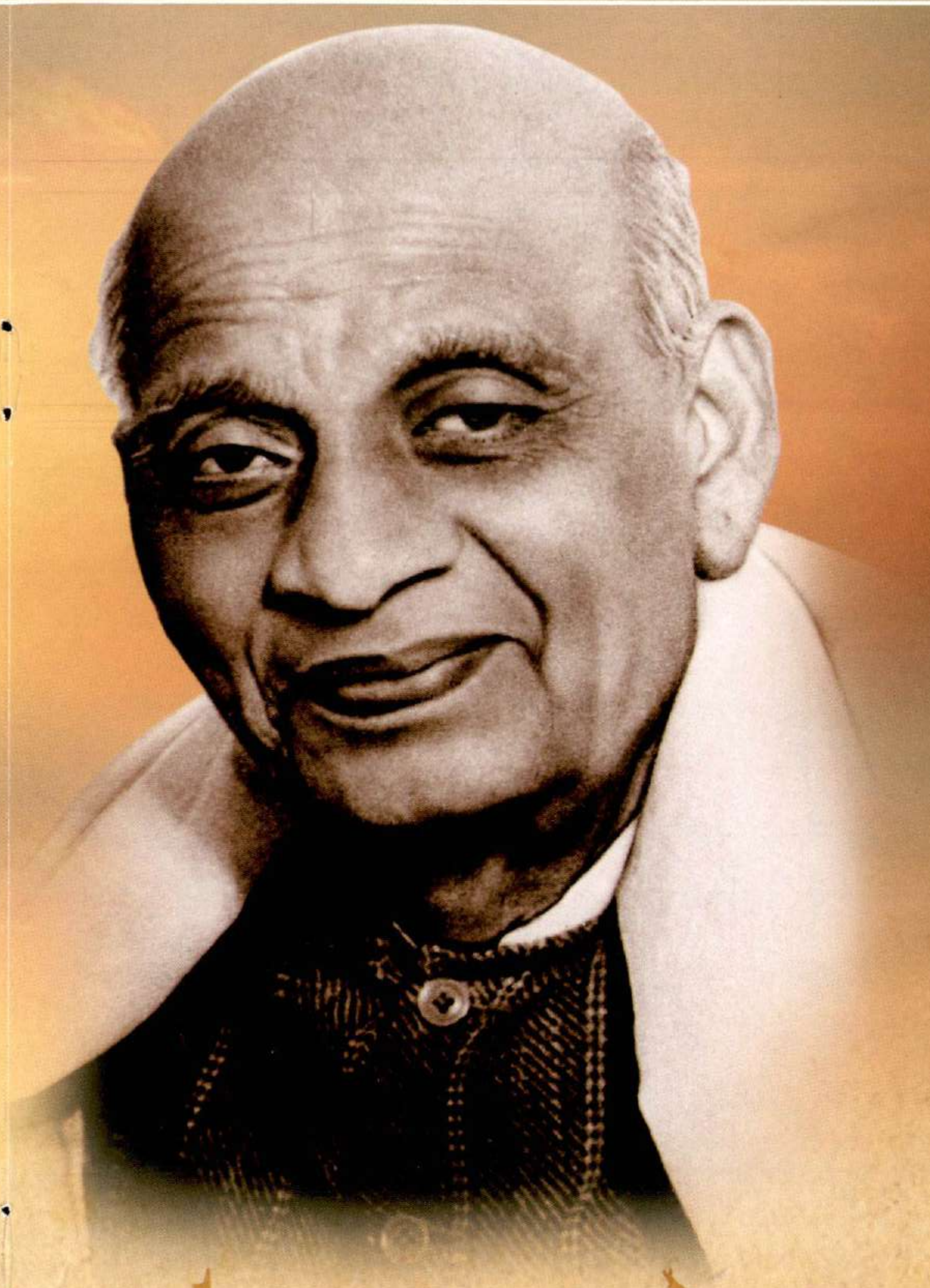

davp 22201/13/0025/1415

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

KH-260/2014

सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी दूर करने का भरोसा दिया गया है। 'मेड इन इंडिया' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में विदेशी उद्यमियों को अब अनुकूल वातावरण मिलेगा। भारत में उत्पादन लागत कम आने के कारण विदेशी उद्यमी लाभान्वित होंगे। प्रतिस्पर्धा और आर्थिक उदारीकरण से विश्व व्यापार को नए आयाम प्राप्त होंगे।

'मेड इन इंडिया' अभियान से विश्व की 3000 कम्पनियों को जोड़ने की योजना है। इसके लिए 25 क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। ये वे क्षेत्र हैं जिनमें भारत अग्रणी स्थान बना सकता है। 'मेड इन इंडिया' से भारत कार से लेकर सॉफ्टवेयर तक, उपग्रह से लेकर पनडुब्बी तक और कागज से लेकर बिजली तक के विनिर्माण का विश्वस्तरीय केन्द्र बन सकता है।

निवेश मात्र आमंत्रण से सम्भव नहीं है। इसके लिए उद्यमियों के हित में व्यावहारिक धरातल पर अनेक कदम उठाने जरूरी हैं–

मूलभूत सुविधाएं– सड़क, रेल, बिजली, ऊर्जा, पानी, बीमा, बैंक, गोदाम, आदि सुविधाओं की समुचित उपलब्धता।

विकास का वातावरण– डिजिटल नेटवर्क, ई–गवर्नेंस के माध्यम से कुशल व समयबद्ध प्रशासन, पारदर्शी और तार्किक नियमों पर आधारित व्यवस्था, सन्तुष्ट उत्पादन और ग्राहक, समाज में सुख–समृद्धि, शान्ति की स्थापना।

श्रम कानूनों में सुधार– उपयुक्त, व्यावहारिक, और सरल श्रम कानूनों की प्रस्तुति।

प्रभावी कर ढांचा– व्यावहारिक, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था का निर्माण।

निर्णयन में तेजी– लालफीताशाही जैसी सरकारी उलझनों से मुक्ति द्वारा शीघ्र निर्णय का उपाय करना।

विनियोग की सुरक्षा– अपराध व आतंक से मुक्ति , पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, बाजार पर नियंत्रण, समुचित प्रतिफल का वातावरण देना।

- **रोजगार के अवसरों में वृद्धि–** 'मेक इन इंडिया' से निश्चित ही बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इससे भारत में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का कुछ सीमा तक समाधान होगा। एक अनुमान के अनुसार इस अभियान से 9 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन सम्भव है। अकेले मुकेश अम्बानी ने ही 12–15 महीने में 1.25 लाख रोजगार उत्पन्न करने का विश्वास दिया है।

चीन ने अपनी विशाल जनसंख्या को रोजगार सुलभ कराने के लिए निर्यात आधारित उद्योगों की तीव्र गति से स्थापना की और उनका विकास किया। अब उसने अर्थव्यवस्था के घरेलू पक्ष पर ध्यान देना शुरू किया है। परिणामस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में अनेक समस्याएं उभरने लगी हैं। इस कारण वहां स्थापित बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अन्य देशों में निवेश की सम्भावनाएं खोज रही हैं। भारत 'मेक इन इंडिया' के अन्तर्गत इस अवसर का लाभ उठा सकता है, ऐसी कम्पनियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यदि ये कम्पनियां भारत में आती हैं तो चीन की तरह भारत में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।

प्रधानमंत्री की चीन यात्रा से 20 अरब डालर के निवेश समझौते और जापान यात्रा से 33 अरब डालर के निवेश समझौते सम्भव हुए हैं। इसी प्रकार अमेरिका से व्यापक निवेश की सम्भावनाएं फलीभूत हुई हैं। विश्व के कितने देशों द्वारा 'मेक इन इंडिया' के अन्तर्गत भारत में निवेश की प्रबल सम्भावनाएं हैं। यदि ऐसा होता है तो भारत में रोजगार के अवसर स्वतः ही बढ़ जाएंगे।

देश का तीव्र आर्थिक विकास– उच्च विकास दर के लिए औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ना जरूरी है। 'मेक इन इंडिया' का संकल्प देश के विकास के नए रास्ते खोलने में सक्षम है। प्रधानमंत्री का यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के पार्श्व में देश के तीव्र विकास का परिदृश्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। उत्पादन और रोजगार का सीधा सम्बन्ध देश के विकास से होता है। उत्पादन और आय बढ़ाने से राष्ट्रीय आय बढ़ती है। इससे देश के विकास को गति मिलती है। मजदूरी बढ़ने से समाज का जीवन–स्तर ऊंचा होता है। इसलिए इस अभियान से जनसंख्या का बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के ऊपर आ सकता है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने कहा है कि 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम देश के विकास को गति देने का माध्यम बनेगा, विदेशों से पूंजी और विशेषज्ञता को खोलकर ही विकास दर को बढ़ाया जा सकेगा, मानवीय संसाधन का अधिकतम विकास और उपयोग होगा, भारत में निर्धनता घटेगी तथा नागरिकों के जीवन–स्तर में सुधार होगा।

'मेक इन इंडिया' के अन्तर्गत विदेशों से उच्च तकनीक प्राप्त करके देश के विकास को और भी तीव्र गति दी जा सकती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफ डी आई) द्वारा भी देश को विकास के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर निवेश की नई सम्भावनाओं से 'मेक इन इंडिया' मिशन/विज़न शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि का मूलमंत्र सिद्ध होगा। इससे देश और समाज में आर्थिक व सामाजिक बदलाव आएंगे। शक्तियों का भरपूर उपयोग करने, कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने, चुनौतियों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने तथा अवसरों का पूरा–पूरा लाभ उठाने से 'मेक इन इंडिया' अभियान विश्व में कीर्तिमान बनाएगा।

(रीडर एवं शोध निदेशक,
एस.एस. वी (पीजी) कॉलेज हापुड़)

डिजिटल इंडिया
ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर

–बालेन्दु शर्मा दाधीच

केंद्र सरकार की 'डिजिटल इंडिया' नामक पहल भारत में सूचना क्रांति के दूसरे दौर का सूत्रपात कर सकती है। 'डिजिटल इंडिया' को भारत की राजनैतिक-सामाजिक व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था और देश की जनता को ज्ञान आधारित भविष्य की ओर ले जाने के महत्वाकांक्षी प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली यह पहल इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे आईसीटी कहा जाता है, में निहित संभावनाओं, शक्तियों और सुविधाओं को भारत के गांव-गांव तक पहुंचाने में प्रभावी भूमिका निभा सकती है।

नागरिकों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने, सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यमों से जनता तक पहुंचाने, सूचना तकनीक और दूरसंचार के क्षेत्र में व्यापक आधारभूत विकास करने तथा विभिन्न विभागों व मंत्रालयों की डिजिटल सेवाओं को आपस में जोड़ने वाली इतनी बड़ी, सुनियोजित और समन्वित परियोजना की परिकल्पना भारत में अब तक नहीं की गई थी। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें पिछले कुछ दशकों से कंप्यूटरीकरण और ई–प्रशासन को महत्व देती आई हैं और उन्होंने इस दिशा में अपने–अपने स्तर पर सफलताएं भी अर्जित की हैं, किंतु सूचना क्रांति में निहित व्यापक संभावनाओं की तुलना में ये उपलब्धियां बहुत सीमित हैं। 'डिजिटल इंडिया' को भारत की राजनैतिक–सामाजिक व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था और देश की जनता को ज्ञान आधारित भविष्य की ओर ले जाने के महत्वाकांक्षी प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।

एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली यह पहल इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे आईसीटी कहा जाता है, में निहित संभावनाओं, शक्तियों और सुविधाओं को भारत के गांव–गांव

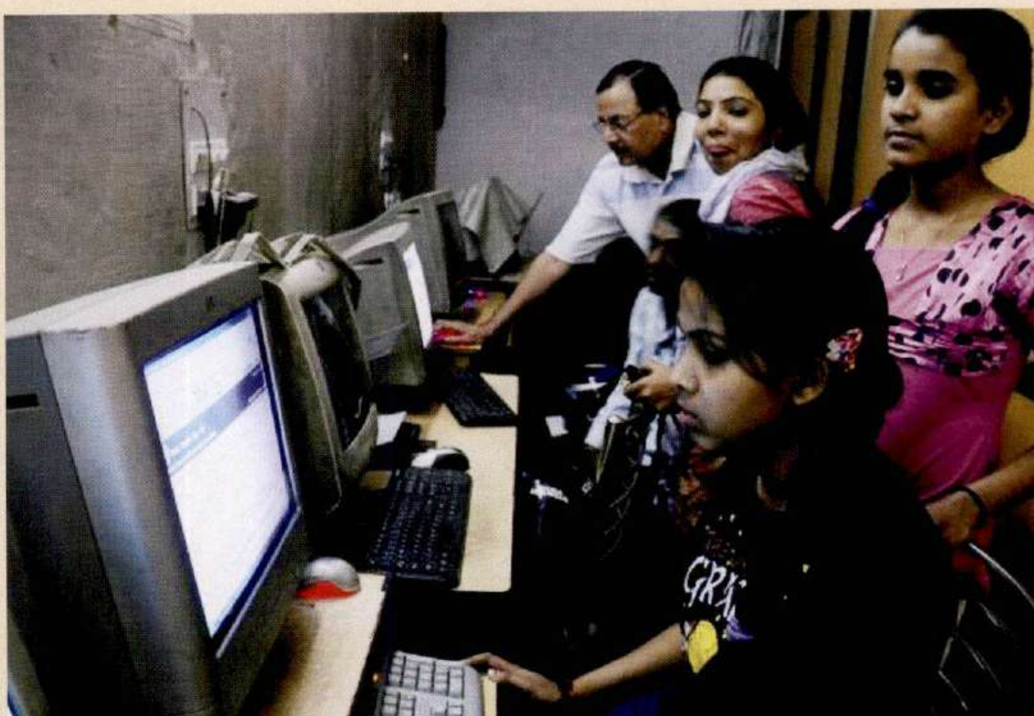

तक पहुंचाने में प्रभावी भूमिका निभा सकती है। हालांकि लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी तथा चुनौतीपूर्ण हैं किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें स्वयं डिजिटल तकनीकों के प्रयोग में प्रवीणता के लिए सराहा जाता है, सन 2019 तक पूरी होने वाली इस पहल में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं और इसके क्रियान्वयन की निगरानी करने वाले शीर्ष समूह का नेतृत्व कर रहे हैं।

ऐसा नहीं है कि भारत के लिए ई–गवर्नेंस, ई–प्रशासन, ई–शिक्षा और डिजिटल साक्षरता जैसे मुद्दे एकदम नए हैं। हम इस मार्ग पर और कुछ नहीं तो पिछले दो दशकों से तो चल ही रहे हैं। उस समय कंप्यूटरीकरण का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसकी स्वाभाविक परिणति वर्तमान सरकार के ई–गवर्नेंस और डिजिटल भारत संबंधी व्यापक तंत्र के रूप में हो सकती है। इस लंबी अवधि में हम सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, आईटी की आधारभूत संरचनाओं, इंटरनेट आधारित सेवाओं, बाजार तथा सूचना तंत्र आदि के विकास में काफी आगे आ चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में हमारे पास कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छी है। आर्थिक–राजनैतिक–सामाजिक परिस्थितियां इस तरह की पहल के अनुकूल हैं।

तीन व्यापक लक्ष्य

डिजिटल इंडिया के तहत केंद्र सरकार तीन बड़े लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है– पहला, देश में व्यापक स्तर पर आधारभूत डिजिटल सेवाओं का विकास जिनका प्रयोग नागरिकों द्वारा बेरोकटोक किया जा सके। दूसरा, जनता को इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से सरकारी सेवाएं तथा प्रशासनिक सुविधाएं हर समय उपलब्ध रहें, जिसे तकनीकी भाषा में 'ऑन डिमांड' कहा जाता है, अर्थात जब चाहें, सेवा पाएं। तीसरा लक्ष्य है– भारतीय नागरिकों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम और सबल बनाना। इसके लिए ज़रूरी है कि तकनीकी उपकरणों, सुविधाओं, ज्ञान और सूचनाओं को समाज के सभी स्तरों तक पहुंचाया जाए।

डिजिटल इंडिया की अवधारणा तकनीकी विश्व के ताजा रुझानों के भी अनुरूप है जहां दुनिया भर की आबादी को इंटरनेट से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। न सिर्फ सरकारों के स्तर पर बल्कि निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा भी। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने पिछले दिनों अपने भारत दौरे के समय कहा था कि भारत के 23 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हैं जबकि एक अरब आज भी इससे वंचित हैं। यदि भारत अपने गांवों को कनेक्ट करने में सफल रहता है तो दुनिया उसकी ओर ध्यान देने पर मजबूर होगी। देश के विशाल समाज और उसमें निहित बाजार तक पहुंच का एक आसान तथा शक्तिशाली जरिया उपलब्ध हो जाएगा।

किसी व्यावसायिक संगठन के प्रमुख के नाते मार्क जुकरबर्ग के बयान के कारोबारी निहितार्थ प्रधान हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से भी उनकी टिप्पणी अव्यावहारिक नहीं है। सूचना तकनीक, विशेषकर इंटरनेट ने धीरे–धीरे आम लोगों को सशक्त बनाने वाली परिघटना का रूप ले लिया है। वह न सिर्फ समान सरोकारों वाले लोगों को साथ ला रही है, बल्कि ऐसी अदृश्य पाइपलाइन की भूमिका भी निभा रही है, जिसके माध्यम से कोई एक नहीं बल्कि विविधतापूर्ण सामग्री और सुविधाओं की आपूर्ति संभव है, और वह भी दोनों तरफ़। तकनीक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को सरल, सुगम और सुविधाजनक बनाने में जुटी है। नई अर्थव्यवस्था (न्यू इकोनॉमी) के रूप में अर्थव्यवस्था की भी एक नई श्रेणी उभर चुकी है जो निरंतर नई उपलब्धियां हासिल कर रही है। नई तकनीकी संस्कृति के भीतर से अवसर भी निकल रहे हैं। न सिर्फ सेवा प्रदाताओं के लिए, बल्कि सेवाओं के उपभोक्ताओं के लिए भी। ऐसे में, दुनिया की कुल आबादी का छठा हिस्सा, जो भारत में रहता है, को तकनीक की शक्तियों से वंचित नहीं किया जा सकता।

किंतु मैकिन्सी की रिपोर्ट कहती है कि विश्व के सर्वाधिक इंटरनेट–वंचित लोग भारत में ही हैं। हाल ही में एक वैश्विक इंटरनेट कंपनी के प्रमुख ने कहा था कि भारत में तकनीकी लिहाज से पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य तो आंख बंद करके भी दिखाई देता है, और वह है– इस विशाल

आबादी को तकनीकी सेवाओं के मानचित्र पर लाना। अगर इतनी बड़ी आबादी इंटरनेट से जुड़ जाती है और इस माध्यम का प्रयोग उसके साथ सीधे कनेक्ट करने के लिए किया जाता है तो उसके परिणाम कितने विस्मयकारी हो सकते हैं, इसकी कल्पना मात्र ही रोमांचित कर देती है। इंटरनेट को दोतरफा संपर्क, आग्रह और डिलीवरी के माध्यम के रूप में इतनी बड़ी आबादी तक ले जाया जा सके तो ई-प्रशासन, ई-कॉमर्स, ई-शिक्षा और ई-बैंकिंग जैसे क्षेत्रों का कायाकल्प हो जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि यह कनेक्टिविटी प्रशासन और जनता के बीच मौजूद अवरोधों को ध्वस्त करने में भी योगदान देगी और हमारी प्रशासनिक मशीनरी को ज्यादा पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाएगी।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 तक 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। लगभग इतने ही विद्यालयों को वर्ष 2019 तक वाई-फाई सुविधा से लैस कर दिया जाएगा। नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, जिस पर करीब 35 हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाने वाली है, ग्रामीण जनता को इंटरनेट सुपरहाइवे पर ले आएगा। डिजिटल सेवाओं के सार्थक प्रयोग के लिए डिजिटल शिक्षा और जागरुकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार का 'दिशा' नामक कार्यक्रम इसमें हाथ बंटाएगा और बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को डिजिटल साक्षरता की ओर भी ले जाएगा।

श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते समय ई-गवर्नेंस के साथ-साथ एम-गवर्नेंस का भी जिक्र किया था, जिसका अर्थ है सचल युक्तियों या मोबाइल गैजेट्स के माध्यम से तकनीकी सेवाओं तथा सुविधाओं की डिलीवरी। डिजिटल इंडिया परियोजना में मोबाइल फोन के प्रयोग को काफी महत्व दिया जा रहा है क्योंकि यह सरकारी सेवाओं को घर-घर तक ले जाने का आसान जरिया बन सकता है। भारत में कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग आज भी बहुत सीमित है किंतु मोबाइल कनेक्शनों के प्रसार की दृष्टि से हम चीन के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। अगस्त 2014 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 80 करोड़ से भी अधिक मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं। सरकार वर्ष 2019 तक देश के हर व्यक्ति के हाथ में एक स्मार्टफोन सुनिश्चित कराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सामान्य मोबाइल फोन की तुलना में स्मार्टफोन अधिक क्षमताओं और शक्तियों से लैस होते हैं इसलिए उनका प्रयोग कंप्यूटर के अपेक्षाकृत कम क्षमतावान विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। याद रहे, जहां कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रयोग के लिए बिजली की उपलब्धता एक बड़ा मुद्दा है, वहीं मोबाइल के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए भारतीय परिस्थितियों में ई-गवर्नेंस की तुलना में एम-गवर्नेंस अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभ

डिजिटल इंडिया के तहत विकास के नौ स्तंभ चिन्हित किए गए हैं, जिनमें ब्रॉडबैंड हाइवेज, सर्वत्र उपलब्ध मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट के सार्वजनिक प्रयोग की सहज सुविधा, ई-प्रशासन, ई-क्रांति- जिसका अर्थ सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी से है-, सबके लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम शामिल हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसी सेवाओं और सुविधाओं का विकास करने में जुटें जिन्हें आईसीटी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सके। इनमें स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, न्यायिक सेवाएं, राजस्व सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग आदि शामिल हो सकती हैं। फिलहाल इन विभागों की तरफ से डिजिटल माध्यमों से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं सीमित हैं और उनके बीच कोई स्पष्ट तालमेल नहीं है। एक केंद्रीय तंत्र के अधीन शामिल कर लिए जाने पर ऐसा तालमेल सुनिश्चित किया जा सकेगा और वे एक-दूसरे से लाभान्वित हो सकेंगी। राज्यों के स्तर पर डिजिटल तकनीकों, सुविधाओं और सेवाओं के विकास की एक अलग, समानांतर प्रक्रिया चल रही है। ज़रूरत राज्यों की परियोजनाओं को भी डिजिटल इंडिया के दायरे में लाने की है ताकि अनावश्यक दोहराव, भ्रम और अतिरिक्त खर्चों से बचा जा सके। सरकार इस संदर्भ में राज्यों की सहमति हासिल करने का प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों और सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया जा चुका है, जिसमें केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश डिजिटल क्रांति के मुहाने पर खड़ा है।

डिजिटल इंडिया के लिए निर्धारित वर्ष 2019 की समय सीमा बहुत दूर नहीं है, जो इतनी विशाल परियोजना के लिए बड़ी चुनौती सिद्ध होने वाली है। भारत में बिजली, आधारभूत सुविधाओं, संचार-तंत्र आदि की भी सीमाएं हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सेवाएं मुहैया कराने के लिए विशाल तंत्र के निर्माण की जरूरत है और उसे स्थायित्व देने के लिहाज से लाभप्रद बनाए जाने की भी।

डिजिटल इंडिया के संदर्भ में अनेक चुनौतियों का ज़िक्र किया जा रहा है, जैसे डिजिटल साक्षरता का अभाव, गांव-कस्बों में कंप्यूटरों की संख्या (पीसी पेनेट्रेशन) के कमजोर आंकड़े, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमज़ोर रफ्तार आदि। गांव-कस्बों तक ई-गवर्नेंस के लाभ पहुंचाने के संदर्भ में सिर्फ तकनीकी सीमाएं ही नहीं हैं, हमारी अन्य सीमाएं भी उस लक्ष्य को हासिल करने में रुकावट पैदा कर सकती हैं, जैसे- बिजली की समस्या, जिसके बिना गांव-देहात के लोगों का सरकारी

ई–प्रणालियों के साथ संपर्क कर पाना दिक्कत–तलब होगा, निम्नतम स्तर पर सुविधाओं के संचालन के लिए मानव संसाधनों का अभाव, चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने में प्रशासनिक तंत्र का अनमनापन, जो स्वयं आज तक तकनीक के साथ उस किस्म का तालमेल नहीं बिठा पाया है, जिसकी आवश्यकता डिजिटल इंडिया के संदर्भ में सामने आएगी।

किंतु इन सभी समस्याओं का समाधान असंभव नहीं है और प्रधानमंत्री को इन चुनौतियों का बखूबी अहसास दिखता है। दूसरे, समय उनके साथ है। जनहित में सूचना तकनीक और दूरसंचार क्षेत्र की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प उन्होंने लिया है, उसके लिए संभवतः यह सर्वाधिक अनुकूल समय है। पहला, देश में आधी से अधिक संख्या 35 वर्ष तक की आयु के युवाओं की है जो तकनीक के प्रति स्वाभाविक लगाव रखते हैं और उसे दिलचस्पी से देखते तथा प्रयोग करते हैं। दूसरे, देश में मोबाइल फोन, टैबलेट और कंप्यूटरों का प्रसार तेज रफ़्तार से हो रहा है और दूरसंचार सुविधाएं देश की तीन चौथाई आबादी तक पहुंच चुकी हैं। जब कनवर्जेंस का कारवां एक के बाद एक मोर्चे फतेह करता जा रहा हो तो टैबलेट और मोबाइल फोन सेवाओं को मुहैया कराने और दोतरफा संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं।

इंटरनेट उपभोक्ताओं के मामले में भी, यदि सरकार की प्राथमिकताएं बदली नहीं तो, हम 2018 तक अमेरिका से आगे बढ़ सकते हैं जब देश में लगभग 50 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हो जाएंगे। अगर सरकार कंप्यूटरों के प्रसार पर फोकस करती है तो तीन साल के भीतर हम अपनी एक चौथाई आबादी को कंप्यूटरों से जोड़ने में सफल हो सकते हैं। गार्टनर के अनुसार भारत में आईटी से संबंधित आधारभूत सुविधाओं पर खर्च चार फीसदी सालाना की गति से बढ़ रहा है। हमें इसे छह से आठ फीसदी तक ले जाना होगा। भारतीय सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं के शीर्ष संगठन नैसकॉम ने जिस अंदाज में श्री मोदी की घोषणाओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, वह दिखाता है कि डिजिटल भारत और ई–गवर्नेंस के उनके विज़न में कितनी कारोबारी और विकासात्मक संभावनाएं छिपी हुई हैं।

दृष्टि और संकल्प

भले ही आप राजनैतिक आधार पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हों या नहीं, आप यह स्वीकार किए बिना नहीं रह सकेंगे कि– एक, उनके पास इनोवेटिव (नवोन्मेषी) विचारों की कमी नहीं हैं, दो, वे सरकार और प्रशासन की सीमाओं के बावजूद कुछ ठोस करने का संकल्प रखते हैं और तीन, कारोबार से लेकर तकनीक जैसे परस्पर विविधतापूर्ण क्षेत्रों पर भी उनकी दृष्टि काफी हद तक स्पष्ट तथा संतुलित हैं।

श्री नरेंद्र मोदी को ई–गवर्नेंस का पर्याप्त अनुभव है, यह गुजरात के उनके प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है। गुजरात में उन्होंने जो आईसीटी (सूचना और संचार तकनीकें) विज़न लागू किया, वह प्रायः सफल माना जा रहा है और इसके लिए उन्हें पहले ई–रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सो, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल माध्यमों के लिए श्री मोदी कोई नए व्यक्ति नहीं हैं। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद सोशल मीडिया का उत्कृष्ट प्रयोग कर वे स्वयं को सर्वाधिक आईटी–अनुकूल राजनेता सिद्ध कर चुके हैं। जनता के साथ दोतरफा संवाद के लिए माइगव.इन पोर्टल की शुरुआत, विभिन्न विभागों को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के साथ दोतरफा संवाद के लिए प्रेरित करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार के बाहर भी सरगर्मी शुरू हुई है। एक नया जोश, नया उत्साह और नई उम्मीद है।

परियोजना की व्यापकता और विशालता के मद्देनजर सरकार को नए सहयोगियों के साथ जुड़ने में आपत्ति नहीं है। सरकार न सिर्फ आम लोगों, विशेषज्ञों आदि को जोड़ने की इच्छुक है बल्कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को साथ लेकर चलने में भी कोई हिचक नहीं है। 'डिजिटल इंडिया' में पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है और यही वजह है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजन जैसी विश्व की अग्रणी आईटी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने पिछले दिनों भारत का दौरा किया है। आईबीएम और सिस्को जैसी अन्य कंपनियां भी परियोजना में अपनी दिलचस्पी दिखा चुकी हैं। भारत के आईटी उद्योग के लिए भी बड़ा कारोबारी अवसर उभरने जा रहा है।

भारत के समाज और अर्थव्यवस्था में विकास की व्यापक संभावनाएं निहित हैं किंतु आधारभूत सुविधाओं के अभाव में हम उन संभावनाओं का पर्याप्त दोहन नहीं कर पाते। डिजिटल इंडिया परियोजना डिजिटल आधारभूत ढांचे के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होने वाली है। अगले पांच साल में जिस बड़े पैमाने पर यह विकास होने वाला है, वह बाजार अर्थव्यवस्था से जुड़े हमारे व्यापक आर्थिक लक्ष्यों के भी अनुकूल है। उम्मीद करनी चाहिए कि डिजिटल इंडिया न सिर्फ सरकार और नागरिकों के बीच दूरी को पाट सकेगी बल्कि इक्कीसवीं सदी की अपेक्षाओं के अनुरूप हमें ज्ञान आधारित भविष्य की ओर भी ले जा सकेगी।

(लेखक सूचना तकनीक के विशेषज्ञ हैं।)
ई–मेल : balendudadhich@gmail.com

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक

भारत के लौहपुरुष को श्रद्धांजलिस्वरूप 182 मीटर ऊंची प्रतिष्ठित प्रतिमा साधु-बेट द्वीप पर बनाई जा रही है, जो गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में बने सरदार सरोवर बांध से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण में है। यह प्रेरक स्मारक स्थल अपने में कई शिक्षण-मनोरंजन संघटकों को समेटे हुए है। 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। दुनियाभर के सैलानियों को भारत की खूबसूरती को सराहने के लिए पर्यटन को प्रोत्साहन देने और भारतीय एकता के प्रतीक पुरुष के अभिवादन में सरदार जी की यह 182 मीटर ऊंची प्रतिमा एक अद्वितीय पहल है।

महात्मा गांधी का नाम आते ही उनसे जुड़ा पहला शब्द जो हमारे दिमाग में आता है वह है 'अहिंसा'। उसी तरह जब हम सरदार वल्लभभाई पटेल का नाम लेते हैं, तो हमारे दिमाग में जो शब्द उभरता है, वह है 'लौह पुरुष'। इसी लौह पुरुष की गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण की योजना को 2014–15 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय योजना घोषित किया गया और इसके लिए केंद्र ने 200 करोड़ रुपये आवंटित किए। गुजरात सरकार ने इस प्रतिष्ठित संरचना के निर्माण के लिए पहले ही 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हुए हैं। नर्मदा नदी के जल में खड़ी होने वाली यह प्रतिमा भारत में प्राचीनकाल से मौजूद सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता के बावजूद भारतीयता, एकता और राष्ट्र की इस एकता व एकजुटता के वाहक पुरुष के पुण्य स्मरण की प्रतीक है। इसीलिए भारत सरकार ने श्री वल्लभभाई पटेल के जन्मदिवस 31 अक्टूबर को हर वर्ष 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाने का निश्चय किया है।

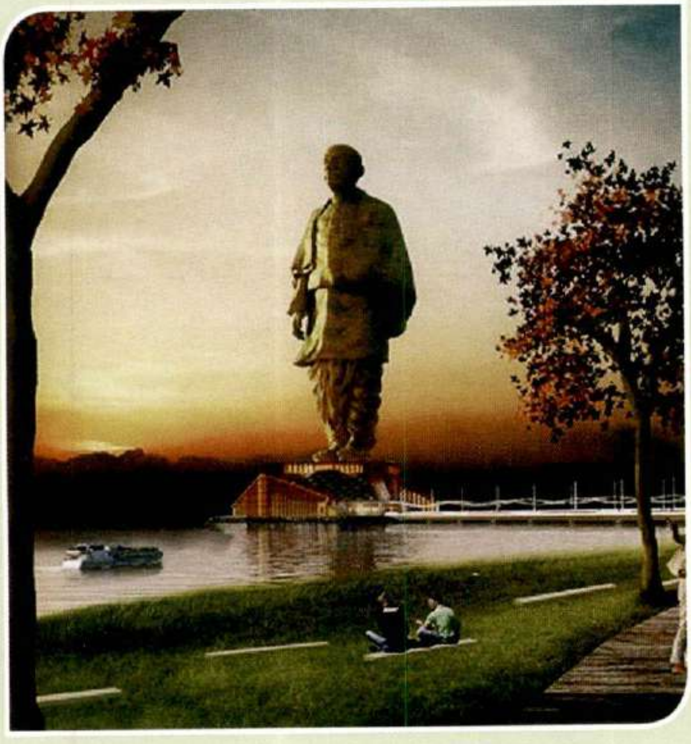

'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' : भारत की एकता का प्रतीक

भारत के लौहपुरुष को श्रृद्धांजलिस्वरूप 182 मीटर ऊंची प्रतिष्ठित प्रतिमा साधु–बेट द्वीप पर बनाई जा रही है, जो गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में बने सरदार सरोवर बांध से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण में है। यह प्रेरक स्मारक स्थल, जो अपने में कई शिक्षण–मनोरंजन संघटकों को समेटे हुए है, नर्मदा नदी की ओर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतश्रेणी, गुरुदेश्वर से घिरे सरदार सरोवर बांध और केवड़िया शहर के बीच स्थित है। इस भव्य स्मारक की महिमा इसकी सुरम्य पृष्ठभूमि से और बढ़ जाएगी। इसकी अद्‌भुत अवस्थिति पारिस्थितिकी, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास के लिए लाभकारी है।

'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह स्वतंत्रता के बाद लगभग 565 रियासतों के विखंडित समूहों की और भारतीय राज्य के निर्माण के श्री पटेल के निष्कलंक कार्य का प्रतीक है। यह रक्तरंजित और दर्दनाक विभाजन के बाद अखंड भारत में तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की अद्वितीय प्रशासनिक क्षमता और वीरता को श्रृद्धांजलि के रूप में स्थापित होगा।

भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रिय परियोजना है, जिसके निर्माण का कार्यभार गुजरात सरकार ने अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) को सौंपा है। सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के निर्माण की कुल लागत 2,979 करोड़ रुपये है, जो अभी तक इस परियोजना के लिए आवंटित कुल 700 करोड़ रुपये की धनराशि से बहुत अधिक है। लेकिन इसके एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के बाद सरकार द्वारा इसके त्वरित निर्माण और पर्याप्त वित्तपोषण को सुनिश्चित किया गया है।

गुजरात की मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि ''यह विशाल निर्माण कार्य 2,979 करोड़ रुपये की लागत से चार वर्षों में पूरा होगा। इसका निर्माण अनुबंध देश की अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को दिया गया है।'' 1,347 करोड़ रुपये मुख्यक प्रतिमा पर खर्च होंगे, 235 करोड़ रुपये प्रदर्शनी हॉल और सम्मेलन केंद्र पर खर्च होंगे, वहीं 83 करोड़ रुपये मुख्य जगह से स्मारक को जोड़ने वाले पुल के निर्माण पर खर्च होंगे और 657 करोड़ रुपये इसके पूरा होने के बाद 15 वर्ष तक इसकी संरचना के अनुरक्षण के लिए होंगे। 182 मीटर ऊंची 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' जो न्यूयॉर्क की 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' 93 मीटर से आकार में दुगुनी है, भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। इस परियोजना में सरदार वल्लभाई पटेल की जीवनी पर आधारित दृश्य–श्रव्य प्रस्तुति और एक प्रदर्शनी हॉल दुनियाभर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। 75,000 घनमीटर बजरी, 5,700 मीट्रिक टन इस्पात संरचनाएं 18,500 इस्पात छड़ें और 22,500 मीट्रिक टन पीतल इस परियोजना में इस्तेमाल होगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' परियोजना नर्मदा जिले के आदिवासी क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

इस परियोजना का शुभारंभ तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर, 2013 को सरदार पटेल की जयन्ती पर किया था। श्री मोदी ने 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के निर्माण हेतु लौह एकत्र करने के लिए देशस्तर पर अभियान की शुरुआत भी की थी और गुजरात सरकार का यह दावा है कि उसने राष्ट्र के लगभग सात लाख गांवों से लौह इकट्ठा कर लिया है।

वास्तव में यह गुजरात के लिए गौरव का क्षण है कि उसकी धरती के एक नेता ने इस अभूतपूर्व ऊंचाई पर स्थापना का सम्मान प्राप्त किया है। इसमें आश्चर्य नहीं कि पूरे गुजरात ने इसके आगे अपना शीश नवाया है। लेकिन सरदार पटेल को गुजरात तक सीमित करना उनके कार्य का अनादर है। उनका कार्य, हालांकि एक राज्य से शुरू है, सारी सीमाओं को तेजी से पार करता हुआ पूरी दुनिया और पूरी मानवता पर अपना असर छोड़ता है। सरदार पटेल के शब्द पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं, इसलिए इसे एक राष्ट्रीय योजना घोषित करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें आशा है कि पूरी दुनिया वास्तव में इसे एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में देखेगी न कि राजनीतिक रूप में और प्रत्येक भारतीय इस पर नाज करेगा।

विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा की प्रस्तावित ऊंचाई न्यूयार्क की विश्व प्रसिद्ध 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' से लगभग दुगुनी है और रियो–दि–जेनेरो की क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा से पांच गुना ऊंची है। यह सरदार सरोवर बांध से भी ऊंची है। यह प्रतिमा न तो अपने विहंगम आकार में गर्व का मान लिए हुए है, न ही यह शांत स्मारक के रूप में स्थापित होगी। बल्कि एक विशेष कार्ययोजना द्वारा इसे एक जीवंत कार्य केंद्र बनाया जाएगा। 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को याद करने के लिए बनाया जा रहा है, बल्कि सरदार पटेल की एकता, देशभक्ति, समावेशी विकास और सुशासन की दूरदर्शी विचारधारा को विकसित करना है।

यह स्मारक जल्दी ही एक पूरी तरह कार्यात्मक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा जो लोगों को जोड़ेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा क्षेत्र की आदिवासी आबादी के लिए विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां चलाएगा। इस योजना के चलते नर्मदा जिले में आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा जो इस जिले के साथ–साथ राज्य के लिए भी लाभकारी होगा। आधुनिक बुनियादी ढांचा जिले में औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाएगा। विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उद्योग इस क्षेत्र में स्थापित किए जा सकते हैं, जो न सिर्फ आम आबादी को रोजगार उपलब्ध कराएंगे बल्कि उनके जीवन–स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में किसान भी लाभान्वित होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अद्‌भुत स्मारक की स्थापना से पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवन मिलेगा।

सरकार इस स्मारक की विकास के जीवंत केंद्र के रूप में परिकल्पना कर रही है। हालांकि कुछ भागों में इस परियोजना की संसाधनों और धन का अपव्यय बताकर आलोचना की गई है, लेकिन इस योजना के पीछे छिपे उद्देश्यों को देखा जाए तो यह हमारे देश के विकास के लिए एक आधुनिक केंद्र के रूप में उभर कर आएगा। पूरा होने के बाद, यह प्रतिष्ठित स्मारक अवश्य ही दुनियाभर के पर्यटकों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों, बुद्धिजीवियों और शोधार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और यह योजना विश्व में भारत की एक नई पहचान कायम करेगी। सरदार जी की जिजीविषा और इच्छाशक्ति की तरह, यह स्मारक दुनिया में बाकी मूक स्मारकों के पार एक जीवंत आर्थिक केंद्र होगा।

(पसूका, अहमदाबाद से प्राप्त जानकारी के आधार पर)

चोखो चुरू: खुले में शौच मुक्त जिला बनाने का महत्वाकांक्षी अभियान

राजस्थान की सैंकड़ों ग्राम पंचायतों ने निर्मल ग्राम पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार भारत सरकार गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) और स्वच्छ बनाने में कामयाबी हासिल करने वालों को देती है। समूचे चुरू जिले को ओडीएफ बनाने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा छेड़ा गया अभियान राजस्थान में कामयाबी की इन्हीं दास्तानों में से एक है। इस मुकाम को आमतौर पर अव्यावहारिक मान कर खारिज किया गया था। इसलिए कुछ महीनों के भीतर ही 28 ग्राम पंचायतों के एक समूचे प्रखंड और 50 अन्य ग्राम पंचायतों के पूरी तरह ओडीएफ बन जाने पर कइयों को हैरानी हुई।

राजस्थान की सैंकड़ों ग्राम पंचायतों ने निर्मल ग्राम पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार भारत सरकार गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) और स्वच्छ बनाने में कामयाबी हासिल करने वालों को देती है। समूचे चुरू जिले को ओडीएफ बनाने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा छेड़ा गया अभियान राजस्थान में कामयाबी की इन्हीं दास्तानों में से एक है। इस मुकाम को आमतौर पर अव्यावहारिक मानकर खारिज किया गया था। इसलिए कुछ महीनों के भीतर ही 28 ग्राम पंचायतों के एक समूचे प्रखंड और 50 अन्य ग्राम पंचायतों के पूरी तरह ओडीएफ बन जाने पर कई लोगों को हैरानी हुई। समूचा चुरू जिला पूरी तरह ओडीएफ बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

इस बदलाव के केन्द्र में स्वच्छता को बढ़ावा देने में सक्रिय दिलचस्पी रखने वाला एक मजबूत नेतृत्व रहा है। जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता की पहल पर यह अभियान नवंबर 2013 में शुरू किया गया था। झालावाड़ में इसी पद पर रह चुके श्री गुप्ता ने अक्टूबर 2012 में चुरू के जिला कलेक्टर का पद संभाला था। अभियान की रफ्तार बनाने और उसे बरकरार रखने में देश, राज्य और जिला स्तरों के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से हौंसला आफजाई उपयोगी साबित हुई है।

जिला परिषद के अध्यक्ष और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों समेत चुरू जिले के सभी महत्वपूर्ण भागीदारों ने माह भर के अंदर ही इस साझा सपने को अंगीकार कर लिया। वे सामुदायिक नेतृत्व वाले एक ऐसे जन अभियान के उदय के गवाह बने जिसके परिणामस्वरूप एक–एक करके गांव खुले में शौच से मुक्त होते गए। इस पहल की सफलता में जिला कलेक्टर और जिला प्रमुख के सक्रिय नेतृत्व के अलावा अभियान की रूपरेखा का भी बड़ा योगदान रहा। अभियान में संस्थागत व्यवस्था, संचार, क्षमता निर्माण, चरणबद्धता, वित्त प्रबंध, निगरानी और प्रोत्साहन का पूरा ध्यान रखा गया।

संस्थागत व्यवस्था

विभिन्न स्तरों पर मजबूत संस्थागत व्यवस्था के बिना इतने बड़े पैमाने पर अभियान चलाना संभव नहीं था।

जिला स्तरः अभियान की निगरानी की सर्वोच्च जिम्मेदारी **जिला स्वच्छता मिशन** की है। मिशन का अध्यक्ष जिला प्रमुख और सहअध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का सदस्य सचिव के रूप में मिशन में महत्वपूर्ण किरदार है। विभिन्न सरकारी विभागों के जिला–स्तरीय अधिकारी मिशन के सदस्य हैं। **जिला समर्थन इकाई और जिला संसाधन समूह** मिशन को मदद करता है। रोजमर्रा के आधार पर अभियान चलाने की जिम्मेदारी जिला संयोजक के नेतृत्व वाली समर्थन इकाई के विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर स्टाफ सदस्यों की है। जिला संसाधन समूह में तकरीबन 30 सदस्य हैं जिनकी सेवाएं जरूरत के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों या गांवों में सामुदायिक पूर्ण स्वच्छता (सीएलटीएस) के प्रवर्तन के लिए ली जाती है।

प्रखंड स्तरः प्रखंड स्तर पर यह अभियान एक केन्द्रीय समूह की देखरेख में चलाया जाता है। इस समूह में प्रखंड पंचायत का प्रधान, सबडिविजनल मजिस्ट्रेट, प्रखंड विकास अधिकारी और प्रखंड संयोजक शामिल होते हैं।

ग्राम पंचायत स्तरः ग्राम पंचायत स्तर पर भी अभियान एक केन्द्रीय समूह चलाता है। इसमें सरपंच, ग्राम पंचायत का सचिव और एक प्रभारी होता है। प्रभारी का चयन ग्राम पंचायत में पदस्थापित सरकारी कर्मचारियों के बीच से किया जाता है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा ग्राम पंचायतों में दो प्रेरकों की सेवाएं भी ली जाती हैं।

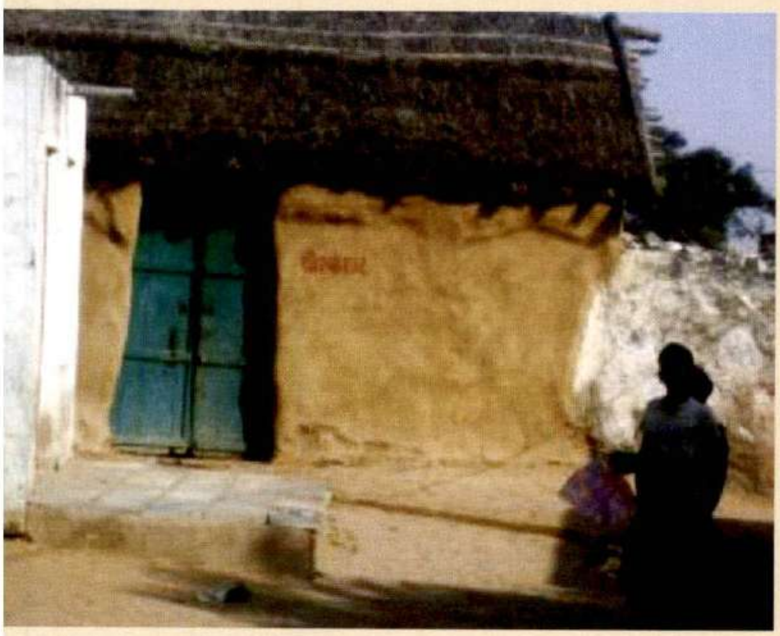

गांव/बस्ती स्तरः हर बस्ती के लिए एक निगरानी समिति गठित की गई जिसमें 10 से 20 स्वाभाविक नेता होते हैं। इन स्वाभाविक नेताओं की पहचान समुदाय प्रवर्तन के दौरान सीएलटीएस तकनीकों का इस्तेमाल करके की जाती है। ग्राम पंचायत स्तर का प्रभारी निगरानी समिति में तालमेल के लिए नर्सिंग सहायकों (एएनएम), आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूली शिक्षकों के बीच से एक ग्राम–स्तरीय प्रभारी नियुक्त कर सकता है।

संचार और संपर्क

जिले में अभियान के लिए विश्व बैंक के जल और स्वच्छता कार्यक्रम (डब्ल्यूएसपी) की मदद से संचार रणनीति तैयार की गई। इस संचार रणनीति के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं–

सम्मान और गौरव को केन्द्र में रखकर अभियान की ब्रांडिंगः अभियान में आदत में बदलाव के लिए संचार की रणनीति के केन्द्र में समुदाय के अंदर सम्मान और गौरव को रखा गया है। अभियान की ब्रांडिंग इन पहलकदमियों के जरिए की गईः

- अभियान का नाम 'चोखो चुरू' दिया गया (स्थानीय बोली में चोखो का मतलब स्वच्छ और सुंदर होता है)।
- अभियान के लिए एक आकर्षक प्रतीक चिह्न का इस्तेमाल किया जाता है जिसका डिजाइन डब्ल्यूएसपी ने तैयार किया है।
- खुले में शौच करना बंद करने वाले परिवारों के मकानों पर 'चोखो घर' का छापा पेंट किया जाता है।
- सरकारी कार्यालयों में मान्यता बोर्ड लगाए गए हैं जिन पर ओडीएफ ग्राम पंचायतों को 'चोखो' चिह्नित किया जाता है।

व्यक्तियों के बजाय समुदाय को लक्ष्य बनाया जानाः जिले ने व्यक्तियों के बजाय समुदाय को अपने संचार के केन्द्र में रखने का फैसला किया। घरों में शौचालय निर्माण तक सीमित रहने के बजाय समूचे गांवों, ग्राम पंचायतों और प्रखंडों को ओडीएफ बनाने का लक्ष्य रखा गया। यह रणनीति इस समझ पर आधारित थी कि आदतों में व्यापक बदलाव व्यक्तिगत पसंदों से ज्यादा सामुदायिक प्रतिमान से प्रभावित होते हैं। समूचे समुदाय को लक्ष्य बनाया जाना इसके सदस्यों पर सामाजिक दबाव भी बनाता है। इससे लोग शौचालय बनाने और उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित होते हैं।

समुदाय आधारित दृष्टिकोणः पिछले अनुभवों से जाहिर है कि समुदाय आधारित अभियान ही सफल होगा। सीएलटीएस प्रवर्तन अभियान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण फौरी और सामूहिक कार्यवाही शुरू कराने में प्रभावी है। लेकिन लक्षित आबादी की सब्सिडी की उम्मीद इस रणनीति को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। इस तरह की उम्मीदों को खत्म करने के लिए सभी स्तरों पर यह जता देना जरूरी था कि निर्मल भारत अभियान के

तहत सरकारी वित्तीय सहायता अपने शौचालय खुद बनवाने वालों को ही मिल सकेगी। इसने समुदाय को शौचालय बनाने और आदत बदलने के लिए सरकारी सहायता का इंतजार किए बिना जिला संसाधन समूह द्वारा प्रवर्तन के तुरंत बाद हरकत में आने को प्रेरित किया।

अंतरवैयक्तिक संचार पर ध्यानः ग्राम पंचायत के संदर्भ में अभियान दो दिनों के गहन प्रवर्तन और जिला संसाधन समूह द्वारा समुदाय संपर्क कार्यक्रम के साथ शुरू होता है। इसे जिला संयोजक श्यामलाल की सीधी निगरानी में एक व्यवस्थित कैलेंडर के अनुसार चलाया जाता है। इससे समुचित संचार रणनीति के साथ अभियान चलाने के लिए उचित माहौल सुनिश्चित होता है।

समेकित अभियानः चोखो चुरू 'रात्रि चौपाल' और 'प्रशासन गांवों के संग' जैसे सभी सरकारी संपर्क कार्यक्रमों में बातचीत के मुद्दों में शामिल है।

क्षमता निर्माण

इस व्यापक अभियान के लिए डब्ल्यूएसपी के सहयोग से गहन क्षमता विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। डब्ल्यूएसपी ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों और कर्मियों की सेवाएं लीं। फीडबैक वेंचर्स की मदद से प्रेरकों और संसाधन समूह के सदस्यों के लिए सामुदायिक पूर्ण स्वच्छता पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी तरह जानेमाने विशेषज्ञ श्रीकांत नवरेकर ने सभी प्रखंडों में प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा डब्ल्यूएसपी ने भोरुखा चैरिटेबल ट्रस्ट की सेवाएं लीं जिसने संचार, क्षमता निर्माण, निगरानी और आकलन के काम में विशेषज्ञता वाले दो पूर्णकालिक सलाहकार मुहैया कराए। इन सलाहकारों का काम नियमित बैठकों और कार्यस्थल दौरों के जरिए पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, प्रेरकों और नोडल अधिकारियों का क्षमता विकास करना था।

चरणबद्धता

अभियान की शुरुआत तारानगर प्रखंड में नवंबर 2012 में जिला कलेक्टर और जिला प्रमुख के नेतृत्व में एकदिवसीय कार्यशाला के साथ हुई। शुरुआत के लिए तारानगर प्रखंड को चुने जाने से चोखो चुरू अभियान को जरूरी गतिशीलता मुहैया कराने में मदद मिली। सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट हरीतिमा, प्रखंड विकास अधिकारियों इमिलाल शरण और गोपीराम मेहला तथा प्रधान अंकोरी देवी कासवा के सक्रिय नेतृत्व की बदौलत प्रखंड की सभी ग्राम पंचायतें दो महीनों में ही ओडीएफ हो गईं। इस कामयाबी के बाद अभियान को जनवरी 2013 में सरदार शहर और चुरू प्रखंडों में शुरू किया गया। मई 2013 तक जिले के सभी छह प्रखंडों को इस अभियान के दायरे में लाया जा चुका था। चरणबद्धता और तारानगर की सफलता से अभियान से जुड़े लोगों का हौंसला बढ़ा तथा शुरुआती चरणों की कामयाब रणनीतियों को पैना बनाने और दोहराने में मदद मिली।

वित्त प्रबंध

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को लागू करने के अनुभवों से यह जाहिर है कि सिर्फ शौचालय मुहैया कराके अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं किए जा सकते। लोग शौचालय खुद बनवाएं तभी लगेगा कि उनकी आदत में दीर्घकालिक बदलाव

'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीई एंड टी) ने देश के विभिन्न स्थानों पर 200 करोड़ रुपये से भी अधिक परियोजना लागत से 12 उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। निदेशालय की शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) के अधीन निदेशालय की योजना का यह पायलट चरण है, जिसे पीपीपी प्रणाली से लागू किया जाना है। इसका उद्देश्य प्रारंभ में 9200 व्यावसायिक अनुदेशकों को प्रशिक्षण देना है। यह प्रयास 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका उद्देश्य भारत को एक सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण हब में परिवर्तित करना है, जिसमें कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने हाल में दिए भाषण में भी भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए कौशल, स्तर और गति पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत पर जोर दिया है। देश में कुशल प्रशिक्षकों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छे शिक्षक समाज की सबसे बड़ी जरूरत हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डीजीई एंड टी ने प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 27 उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। दक्षता और नवाचार को प्रेरित करने के लिए निजी भागीदारी पर स्पष्ट रूप से जोर देते हुए निदेशालय ने इन संस्थानों को विकसित करने के लिए एक मॉडल के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का पता लगाने का फैसला किया है। यह निदेशालय देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के विकास और समन्वय के लिए एक शीर्ष संगठन है।

आया है। लेकिन इस तथ्य को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता कि गरीबों की वित्तीय स्थिति इसमें आड़े आती है। जिला प्रशासन ने इस बात की हर मुमकिन कोशिश की कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के जरिए श्रम मुहैया कराया जाए और अपेक्षित परिणाम आने के तुरंत बाद निर्मल भारत अभियान के तहत लाभ जारी किया जा सके।

निगरानी और पुष्टि

पारंपरिक तौर पर सरकारी स्वच्छता कार्यक्रमों में शौचालयों की संख्या गिनी जाती है। लेकिन ज्यादा–से–ज्यादा गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लक्ष्य वाले अभियान में ओडीएफ ग्रामों की निगरानी के सिवा किसी भी चीज की गिनती नहीं की जा सकती। जिला और प्रखंड स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकों में संख्याओं के बजाय परिणाम पर गौर किया जाता है। सबकी चिंता इस बात को लेकर होती है कि हर प्रखंड में कितनी ग्राम पंचायतें ओडीएफ हो पाई हैं। इसके अलावा जिला कलेक्टर के कार्यालय में एक निगरानी बोर्ड लगाया गया जिस पर सभी ग्राम पंचायतों के नाम दर्ज हैं। इस पर ओडीएफ ग्राम पंचायतों को हरे रंग से रेखांकित किया गया है।

चोखो चुरू अभियान की सफलता के मुख्य कारक

- अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए निर्मल भारत अभियान को मुहिम के तौर पर लागू किया गया।
- इस सफल अभियान को शुरू करने में प्रशासनिक और राजनीतिक प्राथमिकता महत्वपूर्ण थी।
- अभियान के लिए एक प्रभावशाली संस्थागत व्यवस्था की गई।
- अभियान को इस तरह बनाया गया कि सरकारी सहायता का इंतजार करने के बजाय समुदाय खुद पहल करें। सरकारी वित्तीय सहायता को सामुदायिक प्रयास के नतीजों के पुरस्कार के तौर पर प्रभावशाली ढंग से वितरित किया जाता है।
- सामुदायिक प्रयास को बढ़ावा देने के लिए एक असरदार संचार रणनीति अपनाई गई।
- हर गांव में अभियान की शुरुआत दो दिवसीय सघन सामुदायिक संपर्क और प्रवर्तन कार्यक्रम के साथ की गई। इसका मकसद समूचे समुदाय को सम्मान और गौरव के लिए अपनी आदत बदलने के वास्ते प्रेरित करना था।
- प्रवर्तन के बाद नियमित फॉलोअप मुहैया कराने के लिए प्रभारी हर गांव में निगरानी समितियों का समन्वयन करते हैं।
- सामुदायिक पूर्ण स्वच्छता का नजरिया इस्तेमाल करके प्रौद्योगिकी विकल्पों के संबंध में क्षमता विकास का काम शुरू किया गया।
- शौचालयों के निर्माण के लिए किसी भी ठेकेदार और गैरसरकारी संगठन की सेवा नहीं ली गई। शौचालयों को इनका इस्तेमाल करने वालों ने व्यक्तिगत पसंद के अनुसार अपनी ही कोशिशों और संसाधनों से बनाया।
- निर्मल भारत अभियान के तहत लाभ लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित किए गए।
- निर्मल भारत अभियान के तहत ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए कोष का इस्तेमाल ओडीएफ दर्जा हासिल करने के प्रभावी सामुदायिक पुरस्कार के तौर पर किया गया।
- इस अभियान के बारे में ज्यादा जानकारी और नियमित सूचनाएं www.facebook.comechokhochuru पर हासिल की जा सकती हैं।

(पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा डब्ल्यूएसपी की सहायता से तैयार ग्रामीण स्वच्छता पर सर्वश्रेष्ठ व्यवहार के संग्रह 'पाथवे टू सक्सेस' के खंड दो के मुख्य अंश)

(अनुवादकः सुविधा कुमरा)

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक / लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला / पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110001, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

खेतीबाड़ी

मखाना की खेती कर रही महिलाएं

—संदीप कुमार

मखाना उत्पादन पूरी तरह से मछुआरा समुदाय की महिलाओं के हाथों में है। पुरुष इस पूरी प्रक्रिया में बस सहयोग करते हैं। उनका काम केवल तालाब से मखाने के तैयार बीजों को तोड़ना होता है। दरअसल मखाने की पत्तियों, तनों और जड़ों में हजारों नुकीले कांटे होते हैं। ये कांटे बीज तोड़ते वक्त बहुत तेज चुभते हैं। बीज तोड़ने में पूरा हाथ जख्मी हो जाता है। इस काम में पुरुषों का सहयोग केवल यही तक रहता है। इन बीजों को तोड़ने में तकलीफ ना हो, इसके लिए तकनीक सुविधा लेने का विचार हो रहा है।

मिथिलांचल में पान और तालाब के बाद अगर कोई पहचान है तो वह है 'मखाना'। मखाना मिनरल और न्यूट्रियंस से भरपूर होता है। इसके सेवन से कई फायदे मिलते हैं। मिथिला में पैदा होने वाला मखाना एक और लाभ पहुंचा रहा है। वह लाभ है महिलाओं को सशक्त करने का। मछुआरा समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं मखाना का उत्पादन कर आधी आबादी की मेहनत, लगन का उदाहरण पेश कर रही हैं।

संस्था से मिलती है मदद

महिला सशक्तीकरण को लेकर जागरूक रहने वाली संस्था 'सखी बिहार' इस काम में मदद करती है। संस्था की प्रमुख सुमन सिंह बताती हैं कि इन क्षेत्रों की महिलाओं की मेहनत पर संदेह नहीं किया जा सकता है। इसी प्रवृत्ति को देख कर हमने मदद की। हालांकि हमारी उम्मीदों का सुफल परिणाम मिलना इतना आसान नहीं था। मखाना उत्पादन की शुरुआत कब और कैसे हुई? इसके बारे में वह कहती हैं, सन् 1992 के करीब इसकी शुरुआत की गई। पूरे मिथिलांचल में तालाबों की भरमार है। इन तालाबों में मखाना का उत्पादन पहले से भी होता रहा है लेकिन मेहनत के हिसाब से ना तो उत्पादन होता था और ना ही पैसे मिलते थे। संस्था ने इन महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर ही उनकी सहायता करने की बात सोची। नतीजा आज सामने है।

मकड़जाल में फंसी थी पूरी व्यवस्था

काम कैसे शुरू हुआ? वह कहती हैं, मखाना उत्पादन को लेकर जब पहल की गई तब कई तरह की परेशानियां सामने आ गई। सबसे बड़ी परेशानी थी दबंगों, दलालों के चंगुल से इस पूरी व्यवस्था को मुक्त कराना। दबंग तालाबों पर कब्जा किए हुए थे। वह किसी कीमत पर इसे अपने कब्जे से अलग नहीं करना चाहते थे। कई बार बातचीत की गई। मामला अदालत तक चला आया। इन सबके बीच में ही महिलाओं से भी संपर्क रखा गया। वह इन बातों से घबरा कर हमारी बात नहीं सुनती थी। पुरुषों, महिलाओं में असमंजस की हालत थी। इससे पहले इन सभी ने कभी सिलसिलेवार तरीके से काम नहीं किया था। धीरे–धीरे इसमें सुधार होना शुरू हुआ। हमारे समझाने का असर हुआ और करीब 20 महिलाओं ने इस काम के लिए अपनी हामी भरी।

कठोर मेहनत का परिणाम

मधुबनी, दरभंगा जिले के कई गांवों के साथ झंझारपुर इलाके में बड़ी मात्रा में मखाना का उत्पादन किया जाता है। झंझारपुर क्षेत्र के नवानी, सुरखेब, दीपगोधनपुर, ठाढ़ी, उसरार, झंझारपुर मच्छटा और दरभंगा जिले के मनिगाछी में महिलाएं मखाना उत्पादन कर रही हैं। तालाब से मखाने के बीज को गरम करने से लेकर लकड़ी के हथौड़े से मार कर मखाना महिलाएं ही निकालती हैं। बीज पर जितनी जोर से चोट लगती है, उसके अंदर से उतना ही बड़ा मखाना निकलता है। यह प्रक्रिया परंपरागत है। सुमन बताती हैं कि जब दबंगों के चंगुल से तालाबों को मुक्त कराया गया तब इन्हीं महिलाओं के नाम पर को–आपरेटिव से तालाबों का पट्टा कराया गया। महज 20 महिलाओं के साथ शुरू किया यह काम अब विस्तृत हो गया है। आज करीब तीन हजार महिलाएं लगभग एक सौ तालाबों में मखाना उत्पादन कर रही हैं। वह कहती हैं कि अपने मेहनत का नतीजा देखते हुए अब निजी तालाबों को भी पट्टे पर ले रही हैं। मखाना को फाक्सनर या प्रिकली लिली कहा जाता है। इसके पत्ती के डंठल एवं फलों पर छोटे–छोटे कांटे होते हैं। वनस्पति शास्त्र में नाम यूरेल फरोक्स है। मखाना में जड़कंद होता है। इसकी बड़ी–बड़ी गोल पत्तियां पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। कृषक मो. शहाबुल के अनुसार मखाना का फल व बीज दोनों खाया जाता है। एक फल में 15 से 20 संख्या में बीज लगते हैं। बीज मटर के दाने के बराबर किंतु कठोर होता है। अप्रैल के महीने में पौधों में फूल लगते हैं। फूल पौधों पर 3–4 दिन तक टिके रहते हैं। और इस बीच पौधों में बीज बनते रहते हैं। 1–2 महीनों में बीज फलों में बदलने लगते हैं। फल जून–जुलाई में 24 से 48 घंटे तक पानी की सतह पर तैरते हैं और फिर नीचे जा बैठते हैं। फल कांटेदार होते हैं। 1–2 महीने का समय कांटों को गलने में लग जाता है, सितंबर–अक्टूबर महीने में पानी की निचली सतह से किसान उन्हें इकट्ठा करते हैं, फिर उनकी प्रोसेसिंग का काम शुरू किया जाता है।

प्राथमिक पहल भी महिलाओं के ही हाथ

तालाब में मखाने के पौधे को लगाना महिलाओं के ही जिम्में है। बकौल सुमन, तालाब में एक बार मखाना का पौधा डाल देने से वैसे तो हर साल फसल की प्राप्ति होती है लेकिन पहली फसल के बाद उसकी उत्पादन क्षमता घटने लगती है। तालाब के पानी का स्तर भी तीन से चार फीट ही रहना चाहिए। सभी बातों का यही ख्याल रखती हैं। साथ ही फसल में कीड़े ना लगे, इसलिए वक्त–वक्त पर इन फसलों की जांच करती रहती हैं। इनकी मेहनत के हिसाब से फसल की प्राप्ति हो, इसके लिए हमनें उन्नत तरीके से पौधे लगाने की बात सोची। इलाके के ही कुछ लोगों को बताया गया कि जैसे धान के बिचड़े होते हैं, वैसे ही मखाना के पौधे तैयार किए जाते हैं। अब लोग मखाने के पौधों का बिचड़ा लगाकर पैसे कमा रहे हैं। महिलाओं को भी आसानी से पौधे मिल जाते हैं। इन्हें प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है।

मेहनत का मिलता है भरपूर नतीजा

मार्च में प्लांटिंग करने के बाद जुलाई–अगस्त तक एक एकड़ क्षेत्रफल वाले तालाब से करीब 10 क्विंटल मखाने के बीज की प्राप्ति होती है। कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इन बीजों में से तकरीबन सात क्विंटल तैयार मखाना मिलता है। 180 रुपये प्रति किलो की दर से लगभग सवा लाख रुपये की फसल की प्राप्ति होती है। इस राशि पर इनका ही अधिकार होता है।

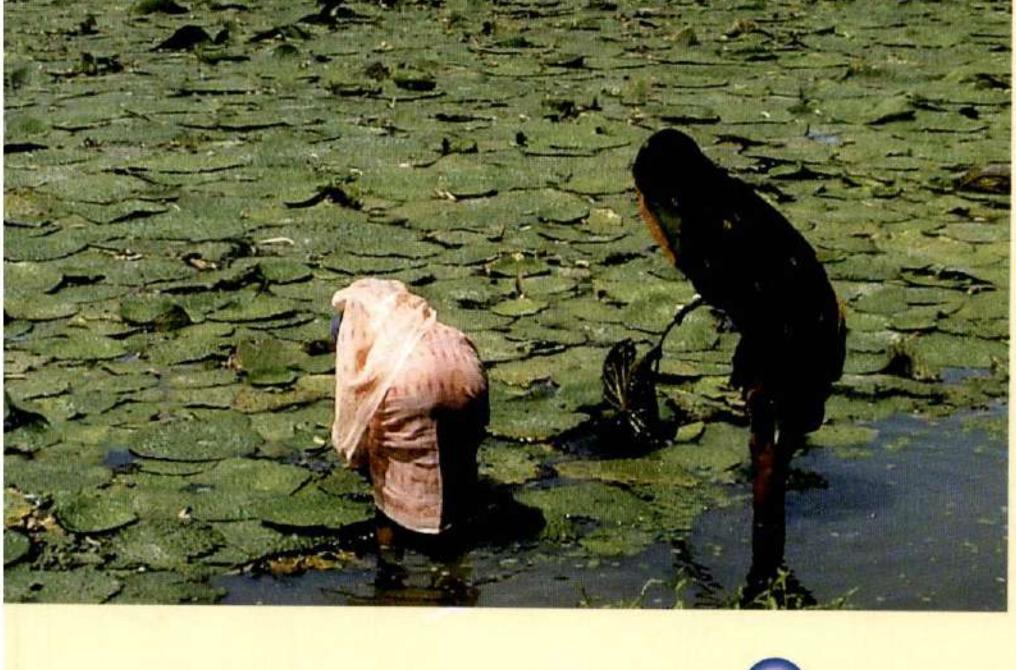

पहले थी 'मजदूर' अब हैं 'मालकिन'

इतने बड़े पैमाने पर मखाने की खेती कर रही ये महिलाएं पहले मजदूरों की तरह काम करती थी। बिचौलिए उनसे दैनिक मजदूरी देकर काम कराते थे। थोड़ी मात्रा का मखाना बड़ी जगह लेता है। तैयार मखाना रखने के लिए इनके पास जगह की कमी होती थी जिसका फायदा बिचौलिए उठाते थे। वह औने–पौने दाम में खरीद कर उसे अच्छे दाम पर बेच देते थे। संस्था ने इस बात को समझा और एक स्टोर का निर्माण कराया। इससे इनको फायदा हुआ। अब महिलाएं अपनी फसल

को इसमें रखती हैं और बाजार एवं मांग के हिसाब से अपनी फसलों को बेचती हैं।

देश के दिल ने भी सराहा

सुमन कहती हैं कि इन महिलाओं की मेहनत को तब और परवान और पहचान मिली जब राजधानी दिल्ली के ट्रेड फेयर में लोगों ने इसकी प्रशंसा की। सन् 1998 में इस फेयर में तब पटना से ट्रेन द्वारा करीब दो टन मखाना ले जाया गया था। वहां का अनुभव बहुत शानदार रहा। वहां मखाने के पकवान को लोगों के सामने पेश किया गया। जिसने भी खाया, खुलकर इसके स्वाद की तारीफ की। मखाने की मांग हमेशा बनी रहती है। सूबे में बड़ी मात्रा में इसकी खपत तो है ही साथ ही दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों के अलावा पूरे देश के साथ विदेशों में भी इसकी आपूर्ति होती है। बड़े व्यापारी खुद संपर्क करते हैं। मखाने की आपूर्ति के लिए व्यापारियों से मोलभाव भी यही करती हैं। सुमन बताती हैं कि मिथिलांचल के मखाने का सबसे बड़ा केंद्र वाराणसी है। यहां से हमेशा मांग बनी रहती है। वाराणसी से ही इन मखानों को पैक कर विदेशों में भेजा जाता है। इसके अलावा पर्व–त्यौहारों में लगातार मांग बनी रहती है। नवरात्र जैसे पर्व में मखाने की मांग दुगुनी हो जाती है। मिथिला में शादी की एक रस्म होती है जिसे 'कोजगरा' कहते हैं। इसमें मखाने से बने पकवान का उपयोग अनिवार्य रहता है। इसमें बड़ी मात्रा में मखाने का उपयोग होता है।

आयुर्वेदिक औषधि

यह मखाने का फूल दिखने में कमल की तरह ही लगता है, फूलों के अन्दर ही मखाने के बीज पाए जाते हैं, जिन्हें भून कर मखाना का लावा तैयार किया जाता है। इसके बीजों में प्रोटीन 10 प्रतिशत, कार्बोहाईड्रेट 75 प्रतिशत के अलावा, आयरन, फास्फोरस और केरोटीन भी पाए जाते हैं। मखाने में वसा की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए यह हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों के लिए अमृत माना जाता है। मखाना यज्ञ का भी महत्वपूर्ण भाग है। मख का मतलब ही यज्ञ होता है। मखाने की खीर, मखाने के आटे का हलवा आदि भी बनाया जाता है। मखाने के भुने हुए बीज प्रसूताओं को ताकत के लिए खिलाए जाते हैं। यह बीज लड्डू, खीर आदि किसी भी चीज में मिला कर खिलाए जा सकते हैं। जोड़ों के दर्द और एक्जीमा वाली खुजली में मखाने के पत्तों को पीस कर लगाने से काफी फायदा मिलता है। अधिकांशतः ताकत के लिए दवाएं मखाने से बनायी जाती हैं। केवल मखाना दवा के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे सहयोगी आयुर्वेदिक औषधि भी कहते हैं। मखाना की खेती को उचित प्रश्रय मिले किसानों के लिए यह वरदान साबित हो सकता है। वैसे मखाना औषधीय गुणों से भरपूर है। कई मर्ज की कारगर दवा के रूप में मखाना का इस्तेमाल हो सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के अनुसार मखाना 'आर्गेनिक हर्बल' भी कहलाता है। जीर्ण, अतिसार, ल्यूकोरिया, शुक्राणुओं की कमी आदि में यह उपयोगी है। यह एन्टीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। इसलिए श्वसनतंत्र, मूत्राशय एवं जननतंत्र से संबंधित बीमारियों में यह लाभप्रद होता है। मखाना का नियमित सेवन करने से ब्लड–प्रेशर, कमर और घुटने का दर्द नियंत्रित रहता है। प्रसवपूर्व एवं महिलाओं में आई कमजोरी को दूर करने के लिए दूध में पकाकर यह दिया जाता है। आचार्य भाव मिश्र द्वारा रचित भाव प्रकाश निघंटु में इसका उल्लेख है। मखाना में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस के अलावा लौह, अम्ल तथा विटामिन–बी भी पाया जाता है।

उत्पादन की समस्याएं

मखाने को पानी से निकालने में किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधिक गहराई वाले तालाबों से मखाना निकालने में डूबने का डर रहता है। तालाबों में पानी के भीतर बगैर सांस लिए अधिक से अधिक 2 मिनट रहा जा सकता है। ऐसे में किसानों को बार–बार गोता लगाना पड़ता है। समय, शक्ति और मजदूरी पर अधिक पैसा खर्च होता है। पानी के जीवों में कई जहरीले भी होते हैं। और कई ऐसे विषाण ु भी होते हैं, जो गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। किसी तरह के लोशन की व्यवस्था नहीं होने से नुकसान होने का खतरा बना रहता है। मखाना कांटेदार छिलकों से घिरा होता है, जिससे किसानों को और भी कठिनाई होती है। पानी से मखाना निकालने में 25 फीसदी मखाना छूट जाता है और 25 फीसदी मखाना छिलका उतारते समय खराब हो जाता है। मखाना की खेती आमतौर पर मल्लाह जाति के लोग करते हैं। और उनके अपने तालाब नहीं होते हैं। दूसरी जाति के लोगों में मखाने की खेती की रुचि होने के बावजूद पानी में काम करने की कला नहीं आने के कारण वे सफल नहीं हो पाते। वे पुराने बीजों का इस्तेमाल करते हैं और पोखरों को पट्टे पर व्यापारी को दे देते है, जिसके कारण लाभ कम होता है।

मखाने में उत्पादन की समस्याओं का आधुनिक समाधान खोजना, किसान अधिक से अधिक देर तक पानी के अंदर रहे, इसके लिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराना होगा। तालाबों की सफाई, जहरीले जीवों से रक्षा, उपचार सुविधा और सुरक्षा दस्ताने का इंतजाम करना होगा, तैरने की ट्रेनिंग दिलानी होगी। पानी की सतह से सौ फीसदी मखाने के बीज निकाले जाएं और छिलके उतारने के दौरान वे बरबाद न हों, इसके लिए वैज्ञानिक तरकीब निकालनी होगी। अपने बाजार तलाशने होंगे। रूरल मार्ट बनाकर किसानों को जोड़ना होगा। हाईब्रिड बीज तैयार करने होंगे, ताकि उपज बढ़ सके।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : san007ht@gmail.com

सिविल सेवा अभ्यर्थियों के हित में जारी

CSAT में अच्छे अंक प्राप्त कर सिविल सेवा (प्रां) परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए

सही रणनीति व जानकारी के अभाव में बहुत से अभ्यर्थी **CSAT** को गंभीरता से नहीं लेते और फलस्वरूप गंभीर परिणाम भुगतते हैं। वे अपना कीमती समय व धन व्यर्थ करते हैं। वास्तव में आपको सिविल सेवा प्रधान परीक्षा की तैयारी तभी प्रारंभ करनी चाहिए जब आप **CSAT** में सफलता के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हों। आशा है कि आप उन अभ्यर्थियों में से नहीं हैं जिन्होंने गलत निर्णय लिया। आंकड़े बताते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने **CSAT** में अच्छे अंक प्राप्त किये वे ही प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफल रहे हैं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2014 ने एक बार फिर यह प्रमाणित कर दिया है। **CSAT** केवल अत्यधिक अंक प्रदान करने वाला प्रश्न-पत्र ही नहीं है बल्कि प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। आप प्रारंभिक परीक्षा के कट-ऑफ अंक का **80%** अंक केवल **CSAT** में ही प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप इस तथ्य से अवगत हैं कि पिछले वर्ष उत्कृष्ट रैंक प्राप्त करने वाले मेधावी अभ्यर्थियों ने भी ऐसा ही किया और **CSAT** में अच्छे अंक प्राप्त किये।

सिविल सेवा (प्रां) परीक्षा, 2013 कट-ऑफ 241#

CL के कई अभ्यर्थियों ने आवश्यक कट-ऑफ अंक (241) में से 180 अंक केवल सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र II (CSAT) में ही प्राप्त किये

CL Enrollment ID	Student Name	UPSC Roll No	CSAT Score	CSAT %age (200)	CSAT Score as a %age of CSP '13 Cutoff (241)
1988094	अभिषेक आनंद	225650	194.18	97.1	80.6
2699229	राज कमल रंजन	220538	190.83	95.4	79.2
5619304	श्रुजीत वेलुमुला	044017	190	95.0	78.8
5619556	शेख् रहमान	181495	190	95.0	78.8
5619239	प्रशांत जैन	322447	190	95.0	78.8
5619441	रविंदर जैन	327293	190	95.0	78.8
494563	शरत थोटा	083223	190	95.0	78.8
5293707	आशीष सांगवान	011764	188.33	94.2	78.1
5597674	रानाधीर अल्लू	136150	187.5	93.8	77.8
2387378	श्रीकांत रेड्डी	188130	187.5	93.8	77.8

और भी बहुत से...

अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगइन करें
www.careerlauncher.com/civils/csp13prelimstoppers.html

केवल **CL** ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा सकता है

CL के 1000* से भी अधिक छात्रों ने सिविल सेवा (प्रां) परीक्षा, 2014 में सफलता प्राप्त की

CL | Civil Services Test Prep

www.careerlauncher.com/civils

/CLRocks

नये बैचों की जानकारी हेतु अपने निकटतम् CL सिविल केंद्र से संपर्क करें

मुखर्जी नगर: 204/216, द्वितीय तल, विराट भवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस के सामने, फोन - 41415241/46
ओल्ड राजेन्द्र नगर: 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्वीट्स के सामने, फोन - 42375128/29
बेर सराय: 61बी, ओल्ड जे. एन. यू. कैम्पस के सामने, जवाहर बुक डिपो के पीछे, फोन - 26566616/17

इलाहाबाद: 19 बी/49, भूतल, कमला नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी स्टेडियम गेट के सामने, मनमोहन पार्क चौराहा, फोन - (0)9956130010

सामान्य श्रेणी

*परिणाम आंतरिक परिविक्षाधीन

KH-262/2014

स्वास्थ्य-चर्चा

आलू खाओ, सेहत बनाओ

–दिव्या श्रीवास्तव

आलू को 'सब्जी का राजा' कहा जाता है। यह कहावत अनायास ही नहीं है बल्कि आलू में भरपूर औषधीय गुण समाहित हैं। यही वजह है कि आलू को हर तरह से खाया जाता है और वह किचन की शान बना हुआ है। आलू पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। इसका मुख्य पौष्टिक तत्व स्टार्च होता है। इसमें कुछ मात्रा उच्च जैविक मान वाले प्रोटीन की भी होती है। आलू क्षारीय होता है, इसलिए यह शरीर में क्षारों की मात्रा बढ़ने या उसे बरकरार रखने में बहुत सहायक होता है। यह शरीर में ऐसीडोसिस भी नहीं होने देता। आलू में सोडा, पोटाश और विटामिन ए तथा डी भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। आलू का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व विटामिन सी है। आलू के पौष्टिक तत्वों का लाभ लेने के लिए इसे हमेशा छिलके समेत पकाना चाहिए क्योंकि आलू का सबसे अधिक पौष्टिक भाग छिलके के एकदम नीचे होता है, जो प्रोटीन और खनिज से भरपूर होता है।

ऐसा नहीं है सिर्फ भारत में ही आलू को 'सब्जी का राजा' का रुतबा मिला हुआ है बल्कि दुनियाभर में आलू लोकप्रिय है। आलू पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। इसका मुख्य पौष्टिक तत्व स्टार्च होता है। इसमें कुछ मात्रा उच्च जैविक मान वाले प्रोटीन की भी होती है। आलू क्षारीय होता है, इसलिए यह शरीर में क्षारों की मात्रा बढ़ने या उसे बरकरार रखने में बहुत सहायक होता है। यह शरीर में ऐसीडोसिस भी नहीं होने देता।

आलू में सोडा, पोटाश और विटामिन ए तथा डी भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। आलू का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व विटामिन सी है। यूरोप में आलू का प्रयोग व्यापक होता गया है। जबसे आलू का प्रयोग भरपूर शुरू हुआ तब से स्कर्वी नामक रोग की घटनाएं बहुत कम देखने में आती हैं। आलू के पौष्टिक तत्वों का लाभ लेने के लिए इसे हमेशा छिलके समेत पकाना चाहिए क्योंकि आलू का सबसे अधिक पौष्टिक भाग छिलके के एकदम नीचे होता है, जो प्रोटीन और खनिज से भरपूर होता है। आलू को उबाला, भूना या अन्य सब्जियों के साथ पकाया जाता है, इसलिए इसके पौष्टिक तत्व आसानी से हजम हो जाते हैं। शरीर उन्हें दो से तीन घंटों में आसानी से सोख लेता है। आलू का रस निकालने के लिए जूसर का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर उसे कुचलकर या कूट–पीसकर उसका रस कपड़े में से छाना जा सकता है। आलू का यदि कोई भाग हरा रह गया है तो उसे काटकर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसमें सोलेनाइन नामक विषैला पदार्थ होता है। इसके अतिरिक्त यदि आलू में अंकुर आ गए हों, तो अंकुरित भाग काटकर निकाल देना चाहिए और उसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए।

आलू पूरी दुनिया में उगाया जाता है, लेकिन इसका मूल स्थान दक्षिण अमेरिका है। भारत में यह 16वीं शताब्दी के आसपास पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। कहा जाता है कि सोलहवीं सदी में स्पेन ने अपने दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों से आलू को यूरोप पहुंचाया उसके बाद ब्रिटेन जैसे देशों ने आलू को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। आज भी आयरलैंड तथा रूस की अधिकांश

जनता आलू पर निर्भर है। भारत में यह सबसे लोकप्रिय सब्जी है। पूरी दुनिया में आलू की पैदावार प्रतिवर्ष 30 करोड़ टन से अधिक होती है। सबसे अधिक आलू चीन में पैदा होते हैं। इसके बाद रूस और तीसरे नंबर पर भारत का नंबर है। सबसे ज्यादा आलू बेलारूस में खाया जाता है। सन् 1974 में एरिकजेंकिंस ने एक पौधे से 168 किलोग्राम आलू पैदा करके विश्व रिकार्ड बनाया था जो आज भी कायम है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2008 को आलू वर्ष घोषित किया था। दुनिया में 125 देशों में आलू की खेती की जाती है। आज विश्व में आलू की 5000 के लगभग किस्में हैं जो अधिकतर एंडीस पहाड़ियों पर उगती हैं। एक अच्छी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के जीनबैंक में ये सभी किस्में सुरक्षित हैं। इस केंद्र में रखी इन प्रजातियों में आलू की 100 के आसपास जंगली किस्में हैं।

भारत में आलू की खेती करने के लिए संबंधित राज्य के कृषि व उद्यान विभाग के जरिए किसानों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाने का खाका तैयार किया गया है। राजस्थान सरीखें राज्यों ने तो उसे लागू भी कर दिया है। भारत में 97 फीसदी आलू सिर्फ 10 राज्यों में पैदा होता है। इसमें यूपी में करीब 33.12 फीसदी आलू की पैदावार होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। यहां की हिस्सेदारी 31.4 फीसदी है। इसी तरह बिहार में 13.56 फीसदी उत्पादन होता है। वर्ष 2011–12 में पूरे भारत में आलू उत्पादकता 22.32 टन प्रति हेक्टेयर रही तो यूपी ने 24. 88 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के साथ एक नया रिकार्ड हासिल किया। सरकारी आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2012–13 में पूरे भारत की उत्पादकता में करीब 10 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान है। भारतीय आलू का निर्यात श्रीलंका, बर्मा, भूटान व नेपाल में किया जा रहा है। इन देशों को भारत में पैदा होने वाले कुल आलू का करीब 15 फीसदी निर्यात किया जाता है। वर्ष 2009 में सूबे से 1000 मीट्रिक टन आलू नेपाल भेजा गया था। अकेले फर्रुखाबाद 900 मीट्रिक टन आलू पैदा कर विदेश भेजता है। इस साल नए सिरे से आलू निर्यात की तैयारी की गई है।

आलू की सबसे ज्यादा खपत होने के पीछे मूल कारण उसमें मौजूद औषधीय गुण हैं। लंबे, कुरूप और निराकार दिखने वाले आलू को वैज्ञानिक सोलान्म ट्युबरस्म कहते हैं, जिसने हम पर एक जादू–सा कर दिया है। यह आंतों में सड़न की प्रक्रिया को रोकता है, और पाचन प्रक्रिया में सहायक बैक्टीरिया के विकास में सहायता करता है। आलू यूरिक अम्ल को घोलकर निकालता है। पुरानी कब्ज, आंतों में विषाक्तता, यूरिक अम्ल से संबंधित रोग, गुर्दों में पथरी, ड्रॉप्सी आदि रोगों के इलाज में आलू पर आधारित चिकित्सा को बहूपयोगी माना गया है। स्कर्वी रोग में आलू को आदर्श आहार औषधि माना गया है।

आयुर्वेदाचार्यों की मानें तो प्रत्येक बार भोजन करने से पहले चाय का एक या दो चम्मच भर कच्चे आलुओं का रस पीने से सभी तरह के तेजाब शरीर से निकल जाते हैं और गठिया रोग में आराम मिलता है। आलू के छिलके में महत्वपूर्ण खनिज लवण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जिस पानी में आलुओं को छिलके समेत उबाला जाता है वह पानी शरीर में तेजाब की अधिकता के कारण होने वाले रोगों की आदर्श दवा बन जाता है। इसका कड़ा तैयार कर, छानकर एक–एक गिलास दिन में 3–4 बार प्रतिदिन लेना चाहिए। इसी तरह से पाचन संबंधी बीमारियों में कच्चे आलू का रस बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि यह आंतों में सूजन से आराम दिलाता है। इस रोग में आराम पाने के लिए कच्चे आलू का आधा प्याला रस भोजन से आधा घंटा पहले दिन में दो या तीन बार लेना चाहिए। यह आंतों की सूजन और ड्योडेनल अल्सर से भी आराम दिलाता है।

पेट और आंतों के रोगों तथा विषाक्तता के मामलों में आलू के स्टार्च का इस्तेमाल एंटीइंफ्लेमेट्री (सूजन दूर करने वाले)

पदार्थ के रूप में किया जाता है। कच्चे आलू का रस त्वचा पर दाग–धब्बे दूर करने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। आलू में मौजूद पोटेशियम सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा त्वचा की सफाई में मदद करती है। जब तक यह कच्चा रहता है, उसमें जीवित कार्बनिक परमाणु अधिक होते हैं। पकाई हुई अवस्था में ये जैविक परमाणु अकार्बनिक परमाणु में बदल जाते हैं और उनका लाभ कम हो जाता है। कई लोग इसे चर्बी बढ़ाने वाला मानते हुए आलू का सेवन करने से परहेज करते हैं, लेकिन आलू में विटामिन सी, बी कॉम्पलेक्स तथा आयरन , कैल्शियम, मैंगनीज, फास्फोरस तत्व होते हैं। आलू के प्रति 100 ग्राम में 1.6 प्रतिशत प्रोटीन, 22.6 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, 0.1 प्रतिशत वसा, 0.4 प्रतिशत खनिज और 97 प्रतिशत कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है।

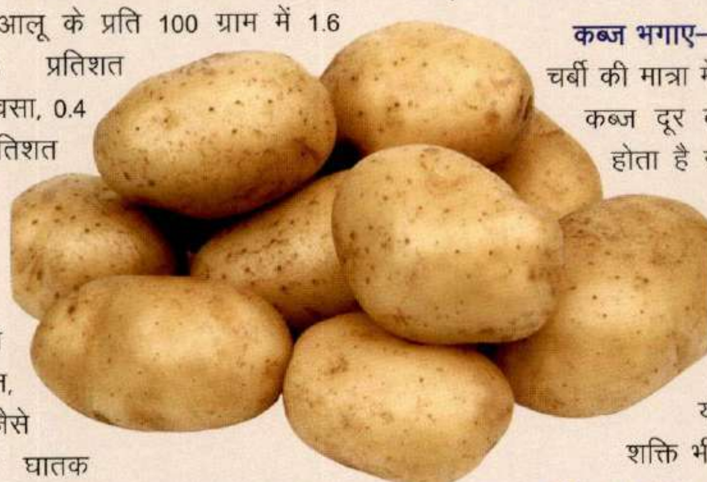

सावधानी भी बरतें

हरे आलू जहरीले होते हैं। इनमें मौजूद सोलानिन, चाकोनिन और आर्सेनिक जैसे एल्कलोडस् आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे में हरे आलू को नियमित तौर पर प्रयोग नहीं करना चाहिए।

दाग–धब्बे खत्म करे– आलू की रसदार लुग्दी या पेस्ट झुर्रियां खत्म करती हैं। यह बढ़ती उम्र के दाग–धब्बे और त्वचा की रंगत निखारने में सहायता करती हैं। आलू को पीसकर त्वचा पर मलने से रंग गोरा हो जाता है। विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स के साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जस्ता जैसे खनिज हमारी त्वचा के लिए लाभदायक हैं। ऐसे उबले हुए आलू में थोड़ा–सा शहद मिलाकर, इसका एक फेस पैक बनाएं और अपने चेहरे पर लगाएं। यह पैक आपके चेहरे के मुंहासों और धब्बों को मिटा देगा। इसी तरह आलू के रस में नींबू रस की कुछ बूंदें मिलाकर लगाने से चेहरे के धब्बे हल्के हो जाते हैं। आलू के टुकड़ों को गर्दन, कुहनियों आदि सख्त स्थानों पर रगड़ने से वहां की त्वचा साफ एवं कोमल हो जाती है। इसी तरह आलू के रस में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर झाइयों और झुर्रियों पर लगाएं। बीस मिनट बाद चेहरा पानी से साफ कर लें। धीरे–धीरे झुर्रियां एवं झाइयां कम होती जाती हैं। कच्चा आलू पत्थर पर घिसकर सुबह–शाम काजल की तरह लगाने से जाला और फूला तीन–चार महीने में साफ हो जाता है। तेज धूप व लू से त्वचा झुलस जाने पर कच्चे आलू का रस झुलसी त्वचा पर लगाना लाभदायक है।

बाल चमकीला बनाए– आलू उबालने के बाद बचे पानी में एक आलू मसलकर बाल धोने से आश्चर्यजनक रूप से बाल चमकीले, मुलायम और जड़ों से मजबूत होंगे। सिर में खाज, सफेद होना व गंजापन तत्काल रुक जाता है।

जलन से राहत – जलने पर कच्चा आलू कुचलकर जले भाग पर तुरंत लगा देने से आराम मिल जाता है। जले हुए स्थान पर फफोला पड़ने से पूर्व ही कच्चा आलू पत्थर पर बारीक पीसकर लेप कर देने से दाहकता शांत हो जाएगी, फफोला नहीं पड़ेगा और रोगी स्थान शीघ्र ठीक हो जाएगा।

कब्ज भगाए– आलू भूनकर नमक के साथ खाने से चर्बी की मात्रा में कमी होती है। भुना हुआ आलू पुरानी कब्ज दूर करता है। आलू में पोटेशियम साल्ट होता है जो अम्लपित्त को रोकता है। आलू में, भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेटस् पाए जाते हैं, जो पचाने में तो आसान हैं ही साथ ही पाचनशक्ति को भी बढ़ाते हैं। इसलिए मरीजों और बच्चों को आहार में आलू दिए जाते हैं, क्योंकि यह पचाने में आसान और शरीर को शक्ति भी देते हैं।

गठिया भगाए– गठिया के मरीजों के लिए आलू का सेवन लाभदायक और हानिकारक हो सकता है। आलू में मौजूद विटामिन, कैल्शियम और मैग्नीशियम गठिया के मरीजों के लिए लाभदायक है। चार आलू सेंक लें और फिर उनका छिलका उतार कर नमक, मिर्च डालकर खाएं। इससे गठिया ठीक हो जाता है। उबले हुए आलू का पानी भी इस बीमारी से राहत दिलाता है। हालांकि आलू में भरपूर मात्रा में मौजूद स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट गठिया के मरीजों का वजन बढ़ा सकता हैं। इस वजह से इसे अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए।

उच्च रक्तचाप– उच्च रक्तचाप के रोगी भी आलू खाएं तो रक्तचाप को सामान्य बनाने में लाभ करता है। इस बीमारी के रोगियों को आलू खाने से रक्तचाप को सामान्य बनाने में अधिक लाभ प्राप्त होता है। पानी में नमक डालकर आलू उबालें। (छिलका होने पर आलू में नमक कम पहुंचता है।) और आलू नमकयुक्त भोजन बन जाता है। इस प्रकार यह उच्च रक्तचाप में लाभ करता है क्योंकि आलू में मैग्नीशियम पाया जाता है।

सूजन– यदि किसी भी स्थान पर सूजन है तो आलू का सेवन लाभदायक है। आलू खाने में नर्म और हाजमेदार तो होता ही है, साथ ही इसमें मौजूद विटामिन सी, पोटेशियम, विटामिन–बी6 और अन्य खनिज, अंतड़ियों और पाचन तंत्र में हुई सूजन को घटाते हैं। इसी तरह आलू का सेवन मुंह के छालों से राहत दिलाता है। चोट

लगने पर नील पड़ जाने की स्थिति में जिस स्थान पर नील है वहां कच्चा आलू पीसकर लगाना लाभप्रद है।

मस्तिष्क विकास – आलू का प्रयोग मस्तिष्क के विकास की दृष्टि से भी फायदेमंद माना गया है। यह शरीर में मौजूद ग्लूकोज के स्तर को मेंटेन करने के साथ ही ऑक्सीजन की पूर्ति, विटामिन बी कॉम्प्लेकस में मौजूद कुछ तत्वों, हार्मोन, एमिनो एसिड और फैटी एसिड जैसे ओमेगा–3 को नियंत्रित करता है।

हृदय रोग– हृदय में जलन हो तो आलू का रस पिएं। यदि रस निकाला जाना कठिन हो तो कच्चे आलू को मुंह से चबाएं तथा रस पी जाएं और गूदे को थूक दें। आलू का रस पीने से हृदय की जलन दूर होकर तुरन्त ठंडक प्रतीत होती है। आलू का रस शहद के साथ पीने से हृदय की जलन मिटती है। आलू में विटामिन, मिनरल और अन्य पोषण तत्वों के अलावा केरोतेनौड्स नामक पदार्थ होता है, जो हमारे हृदय और आंतरिक अंगों के लिए हितकारी है। हालांकि यह ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है और मोटापा बढ़ाने में भी सहायक है। इसलिए इसके सेवन के वक्त विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। कोशिश करें कि दो से तीन आलू ही प्रयोग करें।

एसीडिटी–आलू की प्रकृति क्षारीय है जो अम्लता को कम करती है। जिन रोगियों के पाचन अंगों में अम्लता की अधिकता है, खट्टी डकारें आती हैं और वायु (गैस) अधिक बनती है, उनके लिए गरम–गरम राख या रेत में भुना हुआ आलू बहुत ही लाभदायक है। भुना हुआ आलू गेहूं की रोटी से आधे समय में पच जाता है। यह पुरानी कब्ज और अन्तड़ियों की दुर्गंध को दूर करता है। आलू में पोटेशियम साल्ट होता है जो अम्लपित्त को रोकता है।

गुर्दे की पथरी– गुर्दे में पथरी होने पर केवल आलू खाते रहने पर बहुत लाभ होता है। पथरी के रोगी को केवल आलू खिलाकर और बार–बार अधिक मात्रा में पानी पिलाते रहने से गुर्दे की पथरियां और रेत आसानी से निकल जाती हैं। आलू में मैग्नीशियम पाया जाता है जो पथरी को निकालता है तथा पथरी बनने से रोकता है।

दस्त में भी कारगर– एक तरफ जहां ज्यादा आलू का सेवन पेट खराब करता है वहीं आलू दस्त के मरीजों के लिए फायदेमंद माना गया है। आलू खाने में काफी हल्का और पचाने में बहुत आसान होता है। ऐसे में इसके सेवन से दस्त से परेशान मरीज अपनी खोई ऊर्जा वापस पाएंगे।

स्कर्वी में फायदेमंद – आलू स्कर्वी रोग में भी फायदेमंद है। दांतों की हड्डियां सूज गई हो और मसूड़ों से रक्त निकलता हो तो भुने आलुओं का सेवन करें अथवा छिलके सहित आलू का पतला शाक या सूप बनाकर लेना चाहिए। करीब तीन माह तक इसका सेवन करने के बाद फायदा नजर आने लगेगा।

बेरी बेरी– इस रोग में जंघागत नाड़ियों में कमजोरी का लक्षण विशेष रूप से होता है।

कच्चा आलू चबाकर उसका रस ग्रहण करने अथवा आलू कूट–पीसकर उसका रस निचोड़ कर एक–एक चम्मच की मात्रा में पिलाते रहने से नाड़ियों की क्षीणता दूर होने लगती है और बेरी–बेरी रोग में फायदा मिलता है।

बिवाई के फटने पर–सूखे और फटे हुए हाथों को ठीक करने के लिए आलू को उबाल लें, फिर उसका छिलका हटाकर पीसकर उसमें जैतून का तेल मिलाकर हाथों पर लगायें तथा लगाने के 10 मिनट बाद हाथों को धोने से लाभ होता है।

दाद –कच्चे आलू का रस पीने से दाद ठीक हो जाता है। आलू को पीस कर दाद पर लगाया भी जा सकता है। इससे खुजली कम होती है।

कमर का दर्द– यदि आप कमर दर्द से अधिक परेशान हैं तो कच्चे आलू की पुल्टिस बनाकर कमर पर लगानी चाहिए। ऐसे में नियमित सप्ताहभर तक करें तो फायदा दिखने लगेगा।

फोड़े – फुंसियां – कच्चे आलू का रस पीने से दाद, फुंसियां, गैस, स्नायुविक और मांसपेशियों के रोग दूर होते हैं।

बच्चों के लिए – आलू का रस दूध पीते बच्चों और बड़े बच्चों को पिलाने से वे मोटे–ताजे हो जाते हैं। आलू के रस में मधु मिलाकर भी पिला सकते हैं।

एलर्जी होने पर–कच्चे आलू का रस जहां पर एलर्जी हो उस स्थान पर लगाने से लाभ होता है।

(लेखिका पत्रकार हैं तथा किसान क्लब व स्वयंसहायता समूह से भी जुड़ी हैं)

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
सार्क देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

सफलता की कहानी

गांव की स्वच्छता एवं शिक्षा के लिए समर्पित

—इंद्रेश चौहान

देश के तमाम युवा अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो खुद के साथ ही समाज व देश के बारे में भी सोचते हैं। ऐसे ही युवा है रघुराज सिंह। रघुराज ने सरपंच का पद संभालने के बाद धीरे-धीरे अपने गांव की समस्याओं की ओर ध्यान देना शुरू किया। स्वच्छता एवं शिक्षा की दिशा में गांव को नई राह दिखाई। अपने प्रयासों से और अपने ज्ञान से गांव की खुशहाली की इबारत लिखनी शुरू की। नतीजा यह है कि राष्ट्रीय परिदृश्य में अपना झंडा गाड़ चुका यह गांव सत्येंद्र मिश्रा पुरस्कार सहित निर्मल ग्राम से भी पुरस्कृत हो चुका है।

हमारे देश में ज्यादातर युवा पढ़ाई-लिखाई के बाद अपना कैरियर संवारने में जुट जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी युवा हैं, जो अपने कैरियर के साथ ही अपने देश व समाज के विकास को वरीयता देते हैं। ऐसे युवाओं को देशवासी अपना नेता चुनते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने को तैयार रहते हैं। ऐसे ही एक युवा हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली सिलटी ग्राम पंचायत के निवासी रघुराज सिंह। इन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित करने के बाद गांव का रुख किया और अपने गांव की तस्वीर बदल दी। अब अपने परिवार के सहयोग के चलते रघुराज सिंह ने अपनी 10-15 एकड़ खेती को आजीविका का माध्यम बनाया और गांव के विकास में लगे हुए हैं। रघुराज के प्रयासों को शासन-स्तर से भी सभी तरह का सहयोग प्राप्त हो रहा है। पूरा प्रदेश इस गांव को 'आदर्श गांव' के रूप में देख रहा है।

रघुराज सिंह की ओर से चलाए गए विभिन्न अभियानों की वजह से सिलटी ग्राम पंचायत की पूरी तस्वीर बदली हुई है। इस गांव में प्रवेश करते ही जलनिकासी की समुचित व्यवस्था दिखती है। सबसे ज्यादा जोर सफाई व्यवस्था पर रहा। जगह-जगह कूड़ेदान रखा हुआ है। गांव के लोग कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं गांव की नालियां भी नियमित रूप से साफ की जाती हैं। सफाईकर्मी के न होने पर गांव के लोग अपने घरों के सामने खुद सफाई करते हैं। ऐसे में सफाई के मामले में यह गांव पूरे इलाके के लिए नजीर के तौर पर सामने आ रहा है। ग्रामीणों की सामूहिक भागीदारी का नतीजा है कि गांव में घुसते ही पेयजल एवं स्वच्छता का नजारा साफतौर पर

दिखता है। गांव में नालियों तक में गंदगी नहीं दिखती। यानी नालियों का पानी सड़क पर बहता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। नियमित सफाई होने के साथ ही यहां पेयजल स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल रहा है। हैंडपंप के प्लेटफार्म बने हुए हैं। इससे गंदा पानी हैंडपंप से कुछ दूर नालियों के जरिए आगे निकल जाता है। जिन स्थानों पर कुएं हैं वहां भी सफाई की समुचित व्यवस्था की गई है। पाइप से होने वाली सप्लाई में पानी में क्लोरीन डालने के साथ ही नियमित तौर पर चूना पाउडर का छिड़काव किया जाता है। इस वजह से रघुराज सिंह को राष्ट्रपति के हाथों 'निर्मल' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि गांवों में बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए सत्येंद्र मिश्रा सम्मान से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं रघुराज सिंह को गांव में कुष्ठ निवारण अभियान के तहत किए गए कार्यों के लिए भी कई सम्मान प्रदान किए गए हैं।

कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली सिलटी पंचायत की कुल आबादी लगभग 2300 है। इस ग्राम पंचायत में सभी जाति व धर्म के लोग रहते हैं। सभी का आपस में काफी अच्छा मेलजोल है। ग्रामीण विभिन्न आयोजनों एवं समारोहों में एक–दूसरे के हमदर्द भी रहते हैं, लेकिन इस ग्राम पंचायत के विकास को लेकर कोई खास काम नहीं हो पाया था। इसी ग्राम पंचायत में एक होनहार युवक का जन्म हुआ। इस युवक ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वे पंचायत के सरपंच बनेंगे। रघुराज सिंह बताते हैं कि वह बचपन से ही मेधावी रहे हैं। हाईस्कूल की पढ़ाई के बाद अपने जिले से ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। इसके बाद स्नात्तक किया। उनके गांव के तमाम बच्चे विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के जरिए नामचीन कंपनियों में नौकरी कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने भी प्रोफेशनल कोर्स की ओर मन दौड़ाया। विभिन्न कोर्स के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद तय किया कि वह बीसीए करेंगे। इसके लिए उन्होंने भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में आवेदन किया। अच्छे नंबर होने की वजह से विश्वविद्यालय में बीसीए कोर्स में प्रवेश मिल गया। इस कोर्स के करने के बाद फिर एमबीएम करने का मन हुआ। इसके लिए बैंगलोर विश्वविद्यालय में आवेदन किया। यहां एमबीए की पढ़ाई पूरी की। एमबीए करने तक मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था कि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करेंगे। पढ़ाई पूरी होते ही बेंगलुरू में नौकरी की शुरुआत की। विभिन्न कंपनियों में काम करने के बाद एक निजी कंपनी में बतौर मैनेजर काम शुरू किया। यह काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन कभी असहज नहीं हुए। कंपनी में बतौर मैनेजर अच्छी शुरुआत हुई। कंपनी को फायदा होने के साथ ही कामगारों को भी बेहतरी देने की कोशिश की। इस बीच दिवाली की छुट्टियों में गांव आए। गांव में तमाम समस्याएं देखी। अन्य गांवों की तरह ही इस ग्राम पंचायत में भी सफाई एवं पेयजल एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या के निदान के लिए कोई तैयार नहीं था। गांव के लोग जहां चाहते वहीं कूड़ा फेंकते थे। साफ पेयजल का भी इंतजाम नहीं था। इस वजह से गांव में आए दिन बीमारियां फैलती थीं। कई बार बच्चों ने संक्रामक बीमारी की चपेट में आने की वजह से दम तोड़ दिया। इन सारी बातों को लेकर रघुराज के मन में भी चिंता थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि इन समस्याओं का निस्तारण कैसे किया जाए। बस पढ़ाई–लिखाई के बाद अपने कैरियर की फिक्र थी।

रघुराज बताते हैं कि जब वह दीपावली की छुट्टी में घर आए तो उस दौरान गांव में पंचायत के चुनाव चल रहे थे। गांव में रात को चौपाल बैठती थी कि किसे सरपंच चुना जाए। यह देखकर उनके मन में सरपंच का चुनाव लड़ने वालों के प्रति अच्छे विचार नहीं थे। वे सोचते थे कि आखिर सरपंच का चुनाव लड़ने के बाद लोग गांव को क्यों भूल जाते हैं। जिस मकसद के लिए ग्रामीणों ने उन्हें सरपंच चुना है, उसे पूरा क्यों नहीं करते हैं। इस तरह के तमाम सवाल उनके मन में उठने लगे थे। रघुराज सिंह बताते हैं कि वह पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि पूरे परिवार के साथ शहर में शिफ्ट कर जाएं। कुछ ऐसी ही मंशा लेकर दीपावली के समय गांव में आए। लेकिन गांव में आने के बाद जब ग्रामीण ों का दर्द देखा और पंचायत चुनाव के दौरान सरपंच पद को लेकर चल रही जोड़तोड़ देखी तो उनका मन बहुत दुखी हुआ। वह गांव की तमाम समस्याओं और ग्रामीणों के हालात को लेकर विचलित हो गए। इसी बीच गांव के लोगों से बातचीत हुई। लोगों ने पढ़ाई–लिखाई के बारे में पूछा। फिर कहा कि ऐसी पढ़ाई की है जो अपने ही गांव के काम नहीं आ रही है। बस यही से मन बदल गया। लोगों का प्यार देखा। एक

पढ़े–लिखे नौजवान से गांव का हर व्यक्ति उम्मीद लगाए नजर आया। यही से मन बदल गया और तय किया कि पढ़ाई–लिखाई से जो कुछ भी सीखा है उसका पहला फायदा अपने ही गांव के लोगों को दूंगा। इसी मंशा के साथ कुछ दिन गांव में रुक गया। इसी दौरान पंचायत चुनाव चल रहे थे। परिवार के लोगों को बिना बताए ब्लॉक मुख्यालय पहुंचा और चुपचाप सरपंच के चुनाव का पर्चा दाखिल कर दिया। चुनाव में गांववालों ने नया सरपंच चुना। रघुराज बताते हैं कि सरपंच चुने जाने के बाद उनके सिर पर बड़ी चुनौती थी। क्योंकि आमतौर पर अभी तक चुने जाने वाले सरपंच से लोग कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं लगाते थे, लेकिन उनसे ज्यादा उम्मीदें थीं। लोगों को भरोसा था कि पढ़ा–लिखा नौजवान सरपंच बना है तो गांव की तस्वीर भी बदलेगी। ग्रामीणों की इन तमाम उम्मीदों की वजह से ही ज्यादा दिक्कतें थीं। यदि लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई तो ग्रामीण टूट जाएंगे। उनका भरोसा टूट जाएगा। उन्हें लगेगा कि उनके गांव की तस्वीर किसी भी कीमत पर नहीं बदल सकती है, जो मुझे मंजूर नहीं था। मैं हर हाल में गांव की तस्वीर बदलना चाहता था और जिस उम्मीद के साथ ग्रामीणों ने सरपंच चुना था, उसे पूरा करने का जज़्बा था।

रघुराज सिंह बताते हैं कि सरपंच चुने जाने के बाद सबसे पहले गांव के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विश्वास में लिया। लेखपाल से लेकर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तक से बात की। सरकारी दिक्कतों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली दिक्कतों को समझा। फिर ब्लॉक मुख्यालय जाकर अधिकारियों से बात की। इस दौरान तय किया कि यदि गांव की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाए तो आधी समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिए अधिकारियों से बात करके गांव में नालियों का निर्माण किया। कूड़ादान की व्यवस्था के साथ ही लोगों को खुद स्वच्छ रहने के प्रति जागरूक किया। इसका नतीजा रहा कि गांव के लोगों ने इसमें बढ़चढ़ कर सहयोग दिया। स्वच्छता अभियान पूरे गांव में जमकर चला। एक स्थिति यह आई कि जिला मुख्यालय के तमाम अधिकारी गांव में आकर स्वच्छता अभियान के बारे में हकीकत जानने लगे। अधिकारियों के गांव में आने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि तमाम ग्रामीणों की समस्याओं का गांव में ही निस्तारण होने लगा। धीरे–धीरे समस्याओं का निस्तारण हुआ और गांव में विकास के तमाम कार्य हुए। सड़क, बिजली, पानी, नाली खड़ंजा आदि का निर्माण अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। ऐसे में कहीं से भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने पाई। पेयजल एवं स्वच्छता की दिशा में किए गए तमाम कार्यों की वजह से ग्राम पंचायत को 'निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना' में चुना गया। इसके तहत ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिले। पुरस्कार स्वरूप मिली राशि से ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराए गए।

चीन की यात्रा से बहुत कुछ सीखा

ग्राम पंचायत में किए गए तमाम कार्यों की वजह से ही उन्हें विदेश यात्रा का भी अवसर मिला। रघुराज सितंबर 2011 में सांस्कृतिक आदान–प्रदान के अंतर्गत चीन यात्रा पर गए। रघुराज का कहना है कि वहां ग्रामीण विकास की दिशा में तमाम कार्य हुए हैं जिसके जरिए भारत के गांवों को भी संवारा जा सकता है। जैसे चीन के गांवों में साफ–सफाई पर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाता है। ऐसे में भारत के लोग

भी अपनी जिम्मेदारी निभाकर अपने गांव और आसपास के माहौल को स्वच्छ बना सकते हैं। चीन में देखे गए कार्यों के जरिए ही सिलटी गांव में भी विकास कार्य कराने की कोशिश की जा रही है। रघुराज कहते हैं कि उनका जोर है कि उनके गांव के लोग चीन की तरह ही अपने काम के जरिए तरक्की करें। इसके लिए वह लोगों को न सिर्फ शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं बल्कि उन्हें नौकरी के नए–नए रास्ते भी बताते हैं।

बढ़ेंगे लोग तो बढ़ेगा देश

सरपंच रघुराज सिंह गांव में साफ–सफाई के साथ ही पढ़ाई पर भी जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि यदि गांव के लोग पढ़े–लिखे होंगे तो अपने विकास के बारे में सोचेंगे। इसी सोच के साथ ही सरपंच बनते ही ग्रामीणों को शिक्षित करने की कोशिश शुरू की गई। वह बताते हैं कि गांव में लड़के तो पढ़ाई करते थे पर लड़कियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीण अपनी बच्चियों को पढ़ाने में भी कोई खास रुचि नहीं दिखाते थे। ऐसे में लोगों को समझाया गया। पंचायत की बैठक में पढ़ाई का मुद्दा सबसे आगे रखा गया। फिर लोगों के घर–घर जाकर शिक्षा के फायदे बताए। अब स्थिति यह है कि गांव का हर व्यक्ति अपने बेटे के साथ ही बेटियों को भी पढ़ा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए तमाम कार्यों की वजह से ही उन्हें सत्येंद्र मिश्र सम्मान से सम्मानित किया गया। अब उनकी कोशिश है कि गांव में पढ़ाई के प्रति माहौल बने। ऐसे में लोगों को देश–दुनिया की जानकारी होनी चाहिए। गांव में अखबार आने लगा है। अब कोशिश है कि एक नई लाइब्रेरी खोली जाए। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही नई लाइब्रेरी खुल जाएगी। ऐसे में गांव के लोगों को हर तरह की किताबें मिल सकेंगी। लाइब्रेरी में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा किताबें हों। क्योंकि बच्चों में ललक पैदा करने के लिए नई–नई किताबें होना भी जरूरी है। सिलटी के सरकारी स्कूल में सात कम्प्यूटर हैं। इस कंप्यूटर के जरिए गांव के बच्चे नई तकनीक की जानकारी ले रहे हैं। उनके लिए यह अनोखा प्रयोग है। सरपंच की कोशिश है कि गांव के स्कूल में इस वर्ष दर्जनभर से अधिक कंप्यूटर हो जाएं। इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा।

विभिन्न संगठनों ने दिया सहयोग

सरपंच की विकासात्मक सोच को देखते हुए कई कंपनियां भी गांव के विकास में सहयोग कर रही हैं। सरकारी–स्तर पर मिल रहे सहयोग के साथ ही विभिन्न समूहों की ओर से सहयोग मिलने से गांव के विकास को गति मिली है। सरपंच रघुराज सिंह ने बताया कि उन्होंने टीपीसी के सहयोग से बाजार में 15 लाख रुपये का शेड बनवाया। इसके साथ ही जल्द ही गांव में सौर ऊर्जा से प्रकाशित होने वाली स्ट्रीट लाइट लगने वाली है। वेदांता समूह के सहयोग से गांव की लड़कियों को स्वरोजगार संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रघुराज सिंह बताते हैं कि विभिन्न कंपनियों में काम करने की वजह से उन्हें यह अच्छी तरह से पता है कि कंपनियां भी सामाजिक क्षेत्र में सहयोग करती हैं। ऐसे में वह अपने गांव में विभिन्न कंपनियों से संपर्क करके तमाम विकासात्मक परियोजनाएं ला रहे हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : indreshc22@gmail.com

हमारे आगामी अंक

जनवरी, 2015 – कृषि का व्यवसायीकरण

फरवरी, 2015 – ग्रामीण–शहरी लिंकेज

बाल दिवस के अवसर पर

10 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए

बाल भारती

निबंध प्रतियोगिता 2014

स्वच्छ भारत मिशन को समर्पित

नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 1500 शब्दों में निबंध लिखकर भेजें

- मैंने भी की मुहल्ले की सफाई
- घर साफ–सुथरा तो पार्क–सड़क गंदे क्यों?
- साफ–सफाई–सबको भाई
- एक कूड़ेदान की दास्तान
- झाड़ू बेचारा, आफत का मारा
- सपने में देखा एक स्वच्छ, सुहावना शहर
- तन की सफाई: मन की सफाई

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रथम पुरस्कार : ₹ 8000/–
द्वितीय पुरस्कार : ₹ 6000/–
तृतीय पुरस्कार : ₹ 4000/–
दस प्रोत्साहन पुरस्कार : ₹ 1000/– प्रत्येक

- इस प्रतियोगिता में 15 अक्टूबर 1999 से 15 अक्टूबर 2004 के बीच जन्मतिथि वाले बच्चे भाग ले सकते हैं।
- स्कूल के प्रधानाचार्य/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित जन्म प्रमाण पत्र की प्रति प्रविष्टि के साथ भेजें।

निबंध प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 31 दिसंबर, 2014

निबंध के साथ अपना नाम, उम्र, कक्षा, टेलीफोन व मो. नं. और घर का पूरा पता साफ–साफ अक्षरों में लिखकर निम्न पते पर भेजें। लिफाफे पर 'बाल भारती निबंध प्रतियोगिता' लिखें।

प्रकाशन विभाग

कमरा नं. 120, सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 दूरभाष : 011–24362910
ईमेल : balbharti1948@gmail.com वेबसाइट : publicationsdivision@nic.in

आर. एन. आई./708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05/3164/2012–14
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–54/2012–14
2 दिसम्बर 2014 को प्रकाशित एवं 5–6 दिसम्बर 2014 को डाक द्वारा जारी

R.N.I./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2012-14
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2012-14
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : डॉ. साधना राउत अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू–30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया–II, नई दिल्ली–110020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना